



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

खण्ड 79] प्रयागराज, शनिवार, 27 दिसम्बर 2025 ई० (पौष 06, 1947 शक संवत्) [संख्या 52

विषय-सूची

हर भाग के पन्ने अलग-अलग किये गये हैं, जिससे इनके अलग-अलग खण्ड बन सके।

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा	विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य		रु०			रु०
भाग 1— विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस	691-698	3075	भाग 5—एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तर प्रदेश	...	975
भाग 1—क— नियम, कार्य-विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया	1355-1358	1500	भाग 6—(क) बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत किये जाने से पहले प्रकाशित किये गये (ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट क—भारतीय संसद के ऐक्ट	...	975
भाग 1—ख (1) औद्योगिक न्यायाधिकरणों के अभिनिर्णय			भाग 7—(क) बिल, जो राज्य की धारा सभाओं में प्रस्तुत किये जाने के पहले प्रकाशित किये गये		
भाग 1—ख (2)—श्रम न्यायालयों के अभिनिर्णय			(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 2—आज्ञायें, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों का उद्धरण	7-12	975	भाग 7—क—उत्तर प्रदेशीय धारा सभाओं के ऐक्ट भाग 7—ख—इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	...	975
भाग 3—स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़पत्र, खण्ड ग—निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड घ—जिला पंचायत	91-114	975	भाग 8—नगरपालिका परिषद्, नगर पंचायत, सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रुई की गाठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आँकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आँकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि	2005-2023	975
भाग 4— निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश	...	975	स्टोर्स-पर्वज विभाग का क्रोड़ पत्र	...	1425

आवश्यक सूचना

1—गजट के न मिलने की सूचना गजट में प्रकाशित होने से 15 दिन के अन्दर निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को प्राप्त होनी चाहिये। उसके बाद के परिवादों की कोई सुनवाई न होगी। केवल गजट की वही प्रतियां पुनः बगैर कीमत भेजी जा सकेंगी जो डिलीवरी न होने के कारण वापस आई हों।

2—सम्पूर्ण गजट के ग्राहकों को असाधारण गजट की सम्पूर्ति की जाती है। असाधारण गजट नवीन राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ से वितरित होता है। अतः असाधारण गजट के सम्बन्ध में यदि कोई पत्र-व्यवहार करना हो तो कृपया उक्त पते पर ही करें। सम्पूर्ण गजट का वार्षिक एवं अर्द्धवार्षिक चन्दा 20 सितम्बर, 1997 से क्रमशः रु0 3,075.00 एवं रु0 1,560.00 हो गया है।

3—गजट के प्रत्येक भाग का वार्षिक चन्दा प्रत्येक के सामने अलग-अलग अंकित है। भाग-1 का वार्षिक चन्दा रु0 1,500.00 तथा छमाही चन्दा रु0 780.00 है। स्टोर्स-पर्वज का वार्षिक चन्दा रु0 1,425.00 तथा अर्द्धवार्षिक चन्दा रु0 750.00 है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक भाग का वार्षिक चन्दा रु0 975.00 तथा अर्द्धवार्षिक रु0 555.00 है।

प्रत्येक गजट अथवा गजट (साधारण अथवा असाधारण) के भागों के वार्षिक एवं अर्द्धवार्षिक चन्दे की राशि में यदि कोई परिवर्तन किन्हीं अपरिहार्य कारणोंवश होता है तो उसकी सूचना अलग से दी जायेगी।

4—उत्तर प्रदेश राजपत्र (गजट) के स्थायी ग्राहकों को सूचित किया जाता है कि वे अर्द्धवार्षिक और वार्षिक चन्दा समाप्त होने की तारीख से एक मास पूर्व ही अपना नवीन चन्दा गजट के लिये इस कार्यालय को भेज देने की कृपा करें, जिससे गजट के भेजने का क्रम टूटने न पावे और नियमित रूप से उन्हें हम गजट भेजते रहें। इससे ग्राहकों को भी असुविधा नहीं होगी और वे निश्चित समय पर गजट प्राप्त कर सकेंगे।

इस सम्बन्ध में, मैं यह भी सूचित करना आवश्यक समझता हूँ कि पूर्ण वर्ष के ग्राहक अब जनवरी से दिसम्बर तक के लिये ही बनाये जायेंगे। इनके बीच के महीनों में चन्दा प्राप्त होने पर ग्राहकों का नाम उसी वर्ष के जुलाई से दिसम्बर तक के लिये तथा जैसी स्थिति होगी, अंकित किया जायेगा।

ग्राहकों से यह भी निवेदन है कि वे अपने पत्रों का उत्तर शीघ्र पाने के लिये पत्रव्यवहार करते समय अपनी ग्राहक संख्या अवश्य लिखें अन्यथा उत्तर देने में इस कार्यालय को कठिनाई या विलम्ब हो सकता है।

पुनीत कुमार तिवारी,
निदेशक,
मुद्रण एवं लेखनसामग्री, विभाग,
उ0प्र0, प्रयागराज।

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस।

राजस्व विभाग

अनुभाग-8

सेवानिवृत्ति

04 नवम्बर, 2024 ई0

सं0 I/784633/1-8001(099)/8/2023/एक-8-2024/रा0-8-चकबन्दी आयुक्त, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-364/ई0-123/2018-19 (से0नि0) दिनांक 17 अक्टूबर, 2024 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के आधार पर उ0प्र0 चकबन्दी सेवा के निम्नलिखित बन्दोबस्त अधिकारीगण चकबन्दी/उप संचालक चकबन्दी 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु पूर्ण कर तालिका के कॉलम-6 में उल्लिखित तिथि से सेवानिवृत्त होंगे—

क्रम सं0	अधिकारी का नाम	पदनाम	कार्यरत जनपद	जन्मतिथि	सेवानिवृत्ति की तिथि	ज्येष्ठता सूची दि0 11.11.2020 के अनुसार क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
सर्वश्री—						
01	सुभाष चन्द्र गुप्ता	उ0सं0च0	हरिद्वार उत्तराखण्ड	05.05.1965	31.05.2025	20
02	अनिल कुमार पाण्डेय	ब0अ0च0	आजमगढ़	16.01.1965	31.01.2025	34
03	मातादीन मोर्य	ब0अ0च0	हाथरस	10.02.1965	28.02.2025	46
04	टीकम सिंह (नवप्रोन्नत ब0अ0च0)	ब0अ0च0	हरिद्वार उत्तराखण्ड	17.05.1965	31.05.2025	—
05	शशिकान्त शुक्ला	ब0अ0च0	गोरखपुर	23.05.1965	31.05.2025	29
06	भूपेन्द्र सिंह कुटियाल (नवप्रोन्नत ब0अ0च0)	ब0अ0च0	मैनपुरी	20.06.1965	30.06.2025	—

आज्ञा से,
हरि प्रसाद सिंह,
अनु सचिव।

प्रोन्नति

04 दिसम्बर, 2024 ई0

सं0 I/813350/1-8001(099)/9/2023/एक-8-2024-रा0-8—श्री राज्यपाल महोदय चकबन्दी विभाग में कार्यरत श्री मनोज कुमार सिंह, चकबन्दी अधिकारी, (ज्येष्ठता क्र0-90) जनपद वाराणसी को वर्तमान तैनाती के जनपद

में बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी के पद पर (ग्रेड पे रु० 5,400/-, पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10) प्रोन्नति प्रदान किये जाने की स्वीकृति प्रदान करती हैं।

2— श्री मनोज कुमार सिंह, चकबन्दी अधिकारी, को प्रोन्नति के पद पर योगदान देने की तिथि से ही बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी के पद पर प्रोन्नत माना जायेगा।

3— श्री मनोज कुमार सिंह की तैनाती के संबंध में पृथक से आदेश निर्गत किये जायेंगे।

सं० I/813353/1-8001(099)/9/2023/एक-8-2024-रा०-8—श्री राज्यपाल महोदय चकबन्दी विभाग में कार्यरत श्री राम प्रवेश प्रसाद सिंह, चकबन्दी अधिकारी, (ज्येष्ठता क्र०-93) जनपद सोनभद्र को वर्तमान तैनाती के जनपद में बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी के पद पर (ग्रेड पे रु० 5,400/-, पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10) प्रोन्नति प्रदान किये जाने की स्वीकृति प्रदान करती हैं।

2— श्री राम प्रवेश प्रसाद सिंह, चकबन्दी अधिकारी, को प्रोन्नति के पद पर योगदान देने की तिथि से ही बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी के पद पर प्रोन्नत माना जायेगा।

3— श्री राम प्रवेश प्रसाद सिंह की तैनाती के संबंध में पृथक से आदेश निर्गत किये जायेंगे।

सं० I/813423/1-8001(099)/9/2023/एक-8-2024-रा०-8—श्री राज्यपाल महोदय चकबन्दी विभाग में कार्यरत श्री संजीव कुमार, चकबन्दी अधिकारी, (ज्येष्ठता क्र०-92) जनपद जौनपुर को वर्तमान तैनाती के जनपद में बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी के पद पर (ग्रेड पे रु० 5,400/-, पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10) प्रोन्नति प्रदान किये जाने की स्वीकृति प्रदान करती हैं।

2— श्री संजीव कुमार, चकबन्दी अधिकारी, को प्रोन्नति के पद पर योगदान देने की तिथि से ही बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी के पद पर प्रोन्नत माना जायेगा।

3— श्री संजीव कुमार, नवप्रोन्नत बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी की तैनाती के संबंध में पृथक से आदेश निर्गत किये जायेंगे।

आज्ञा से,
ओम प्रकाश यादव,
संयुक्त सचिव।

कार्यालय ज्ञाप

17 दिसम्बर, 2024 ई०

सं० I/824373/1-8001(099)/13/2024/एक-8-2024-रा०-8—श्री टीकम सिंह, (जन्मतिथि दि० 10 मई, 1966) बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी, बुलन्दशहर का शासन को (नियुक्ति प्राधिकारी के रूप में) सम्बोधित प्रार्थना-पत्र दिनांक 03 अक्टूबर, 2024, शासन में चकबन्दी निदेशालय के माध्यम से दिनांक 17 अक्टूबर, 2024 को प्राप्त हुआ है। श्री सिंह द्वारा उक्त प्रार्थना-पत्र में पारिवारिक एवं चिकित्सीय परिस्थितियों के दृष्टिगत वित्तीय हस्तपुस्तिका के खण्ड-2 भाग 2 से 4 के मूल नियम-56 में निर्धारित प्राविधानों के अनुसार आवेदन की तिथि से 03 माह पश्चात से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2— स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के संबंध में वित्तीय हस्तपुस्तिका के खण्ड-2 भाग 2 से 4 के मूल नियम-56 (ग) में उपबंध है कि सरकारी सेवक 45 वर्ष की आयु अथवा 20 वर्ष की अर्ह सेवा पूर्ण कर लेने पर नियुक्ति प्राधिकारी को सूचना देकर स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हो सकता है। मूल नियम-56 (घ) के अनुसार ऐसी सूचना की अवधि 03 मास है।

3— अतः श्री टीकम सिंह के प्रार्थना-पत्र दिनांक 03 अक्टूबर, 2024 में उल्लिखित पारिवारिक एवं चिकित्सीय परिस्थितियों के दृष्टिगत शासन स्तर पर सम्यक् विचारोपरान्त श्री टीकम सिंह, बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी, बुलन्दशहर को वित्तीय हस्तपुस्तिका के खण्ड-2 भाग 2 से 4 के मूल नियम-56 में निर्धारित प्राविधानों के अनुसार उनके प्रार्थना-पत्र दिनांक 03 अक्टूबर, 2024 को स्वीकार करते हुए तात्कालिक प्रभाव से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रदान किये जाने की स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय एतद्वारा प्रदान करती हैं।

आज्ञा से,
पी0 गुरुप्रसाद,
प्रमुख सचिव।

प्रोन्नति

27 दिसम्बर, 2024 ई0

सं0 I/833734/1-8001(099)/9/2023/एक-8-2024-रा0-8—श्री राज्यपाल महोदय चकबन्दी विभाग में कार्यरत श्री अशोक कुमार, चकबन्दी अधिकारी, (ज्येष्ठता क्र0-94) जनपद मऊ को वर्तमान तैनाती के जनपद में बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी के पद पर (ग्रेड पे रु0 5,400/-, पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10) प्रोन्नति प्रदान किये जाने की स्वीकृति प्रदान करती हैं।

2— श्री अशोक कुमार, चकबन्दी अधिकारी, को प्रोन्नति के पद पर योगदान देने की तिथि से ही बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी के पद पर प्रोन्नत माना जायेगा।

3— श्री अशोक कुमार, नवप्रोन्नत बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी की तैनाती के संबंध में पृथक से आदेश निर्गत किये जायेंगे।

आज्ञा से,
ओम प्रकाश यादव,
संयुक्त सचिव।

कार्यालय ज्ञाप

18 फरवरी, 2025 ई0

सं0 I/881337/1-8001(009)/1/2024/एक-8-2024-रा0-8—श्री नरेन्द्र सिंह तत्का0 बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी, मीरजापुर का प्रार्थना-पत्र दिनांक 11 सितम्बर, 2024 जो शासन में दिनांक 17 सितम्बर, 2024 को प्राप्त हुआ है, के द्वारा अपनी विषम पारिवारिक एवं चिकित्सीय परिस्थितियों के दृष्टिगत वित्तीय हस्तपुस्तिका के खण्ड-2 भाग 2 से 4 के मूल नियम-56 में निर्धारित प्राविधानों के अनुसार आवेदन की तिथि से 03 माह बाद से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2— स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के संबंध में वित्तीय हस्तपुस्तिका के खण्ड-2 भाग 2 से 4 के मूल नियम-56 (ग) में उपबंध है कि सरकारी सेवक 45 वर्ष की आयु अथवा 20 वर्ष की अर्ह सेवा पूर्ण कर लेने पर नियुक्ति प्राधिकारी को सूचना देकर स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हो सकता है। मूल नियम-56 (घ) के अनुसार ऐसी सूचना की अवधि 03 मास है।

3— श्री नरेन्द्र सिंह द्वारा अपने प्रार्थना-पत्र दिनांक 11 सितम्बर, 2024 के दिये जाने के 03 माह के उपरान्त अर्थात् दिनांक 12 दिसम्बर, 2024 से बंदोबस्त अधिकारी चकबन्दी का कार्यभार छोड़ दिया गया है। अतः श्री नरेन्द्र सिंह के प्रार्थना-पत्र दिनांक 11 सितम्बर, 2024 में उल्लिखित उनकी विषम पारिवारिक एवं चिकित्सीय परिस्थितियों के दृष्टिगत शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त श्री नरेन्द्र सिंह, तत्कालीन बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी. मीरजापुर को वित्तीय हस्तपुस्तिका के खण्ड-2 भाग 2 से 4 के मूल नियम 56 में निर्धारित प्राविधानों के अनुसार उनके स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति संबंधी प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए उनके आवेदन की तिथि दिनांक 11 सितम्बर, 2024 से 03 माह पश्चात की तिथि अर्थात् दिनांक 11 दिसम्बर, 2024 से डीम्ड स्वैच्छिक सेवानिवृत्त माने जाने की स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय एतद्वारा प्रदान करती हैं।

आज्ञा से,
पी0 गुरुप्रसाद,
प्रमुख सचिव।

वित्त (लेखा परीक्षा) विभाग

अनुभाग-1

विज्ञप्ति / तैनाती

07 फरवरी, 2025 ई0

सं0 I/874167/2025—उत्तर प्रदेश, लोक सेवा आयोग, प्रयागराज की संस्तुति के अनुसार सहकारी समितियां एवं पंचायत लेखा परीक्षा विभाग के अन्तर्गत निम्नलिखित सहायक लेखा परीक्षा अधिकारियों को जिला लेखा परीक्षा अधिकारी (वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 रुपये 56,100 से 1,77,500/-) के पद पर नियमित रूप से पदोन्नति प्रदान करते हुए उनके नाम के सम्मुख अंकित स्तम्भ-4 में उल्लिखित रिक्त जनपद में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा पदस्थापित/तैनात किया जाता है—

क्रमांक	अधिकारियों के नाम	गृह जनपद	पदस्थापन/तैनाती
1	2	3	4
	(सर्वश्री)–		
1.	विवेक श्रीवास्तव	प्रयागराज	शामली
2.	शरद चन्द्र श्रीवास्तव	लखनऊ	रायबरेली
3.	कृष्ण कुमार	बिहार	सिद्धार्थनगर
4.	बैजनाथ सिंह राठौर	फर्रुखाबाद	मीरजापुर
5.	सर्वेश्वर त्रिपाठी	बिहार	मेरठ

2— उक्त अधिकारियों को पदोन्नति के पद पर योगदान देने की तिथि से ही जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के पद पर पदोन्नत माना जायेगा।

3— उक्त पदोन्नत अधिकारी प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना नवीन तैनाती जनपद में तत्काल कार्य-भार ग्रहण कर कार्य-भार प्रमाणक शासन एवं निदेशक, सहकारी समितियां एवं पंचायत लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश को उपलब्ध करायेंगे।

4— उक्त अधिकारियों को जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के पद पर उत्तर प्रदेश, सहकारी और पंचायत लेखा परीक्षा सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2024 में दी गयी व्यवस्था के अन्तर्गत परीक्षा अवधि पर रखा जाता है।

5— उक्त अधिकारियों को अगले माह का वेतन उनकी नवीन तैनाती स्थान से आहरित होगा।

विज्ञप्ति/सेवा निवृत्ति

19 फरवरी, 2025 ई0

सं0 I/885893/2025—सहकारी समितियां एवं पंचायत, लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के निम्नलिखित अधिकारी वर्ष 2025 में 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु पूर्ण कर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-6 में उल्लिखित दिनांक के अपराह्न में वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2, भाग-2 से 4 के मूल नियम-56 (क) के अन्तर्गत सेवा निवृत्त हो जाएँगे—

क्र0	कोटि	अधिकारी का नाम	पद नाम/कार्यरत जनपद/संस्था का नाम	जन्म तिथि	सेवा निवृत्त तिथि
सं0	क्रमांक				
1	2	3	4	5	6
सर्वश्री—					
1.	02—	पदम जंग	निदेशक	15.05.1965	31.05.2025
2.	26—	सुशील कुमार सिंह	उप निदेशक, देवीपाटन मण्डल गोण्डा	12.09.1965	30.09.2025
3.	28—	आनन्द प्रकाश पाठक	उप निदेशक, आजमगढ़ मण्डल, आजमगढ़	03.08.1965	31.08.2025
4.	49—	अशोक कुमार मिश्रा	उप निदेशक, अयोध्या मण्डल, अयोध्या	15.10.1965	31.10.2025
5.	61—	रवि कुमार श्रीवास्तव	उप निदेशक, उपभोक्ता सहकारी संघ, लखनऊ	20.04.1965	30.04.2025
6.	8—	राज नारायण यादव	जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, कौशाम्बी	30.06.1965	30.06.2025
7.	9—	नरेश कुमार अग्रवाल	जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, श्रावस्ती	15.05.1965	31.05.2025
8.	10—	फारूक अहमद खा	जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, गोण्डा	25.05.1965	31.05.2025
9.	15—	विजय शंकर यादव	जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी चीनी मिल, सुल्तानपुर	30.07.1965	31.07.2025
10.	19—	राम अवध राम	जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, रायबरेली	08.01.1965	31.01.2025
11.	20—	हरिशंकर तिवारी	जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी दुग्ध संघ, बस्ती	24.03.1965	31.03.2025
12.	25—	अच्छेलाल राम	जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, अम्बेडकर नगर	25.06.1965	30.06.2025
13.	27—	राजेन्द्र प्रसाद (प्रथम)	जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, बहराइच	03.03.1965	31.03.2025

1	2	3	4	5	6
		सर्वश्री—			
14.	30—	श्यामवीर सिंह	जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, पीलीभीत	25.07.1965	31.07.2025
15.	31—	सुनील कुमार	जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, एटा	15.07.1965	31.07.2025
16.	34—	राज कुमार तोमर	जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, मेरठ	02.01.1965	31.01.2025
17.	37—	जनार्दन प्रसाद सिंह	जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी चीनी मिल, सठियावा, आजमगढ़	01.03.1965	28.02.2025
18.	40—	रवीन्द्र कुमार	जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, प्रतापगढ़	27.07.1965	31.07.2025
19.	49—	जय सिंह	जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी दुग्ध संघ, प्रयागराज	25.07.1965	31.07.2025
20.	55—	अजय कुमार सिंह	जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, सिद्धार्थनगर	02.01.1965	31.01.2025
21.	66—	अश्वनी कुमार शुक्ला	जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, औरैया	09.03.1965	31.03.2025
22.	67—	धर्मेन्द्र कुमार सिन्हा	जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, संभल	27.12.1965	31.12.2025
23.	78—	भूपेन्द्र वीर सिंह	जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, मिर्जापुर	05.01.1965	31.01.2025
24.	79—	रमेश चन्द्र श्रीवास्तव	जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, प्रयागराज	10.10.1965	31.10.2025
25.	95—	विनोद कुमार	जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, महोबा	15.10.1965	31.10.2025

समीर,
विशेष सचिव।

विज्ञप्ति/तैनाती

24 अप्रैल, 2025 ई0

सं0 I/943540/2025—विभागीय चयन समिति की संस्तुति पर सम्यक् विचारोपरान्त श्री बजरंगी सिंह, संयुक्त निदेशक, सहकारी समितियां एवं पंचायत लेखा परीक्षा, निदेशालय को अपर निदेशक, सहकारी समितियां एवं पंचायत लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश, पे-मैट्रिक्स लेवल-13 (वेतनमान रु0 1,23,100—2,15,900) के पद पर पदोन्नति प्रदान करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं।

2— उक्त पदोन्नत पद पर कार्य-भार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नत माना जायेगा।

3— श्री बजरंगी सिंह द्वारा उक्त पदोन्नत पद पर कार्य-भार ग्रहण कर कार्य-भार प्रमाणक शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

4— उक्त पदोन्नति आदेश विभिन्न मा0 न्यायालय/मा0 अधिकरण के समक्ष प्रचलित रिट याचिकाओं/निर्देश याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन होगा।

आज्ञा से,
दीपक कुमार,
अपर मुख्य-सचिव।

पी0एस0यू0पी0—39 हिन्दी गजट—भाग 1—2025 ई0।

मुद्रक एवं प्रकाशक—निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 27 दिसम्बर, 2025 ई० (पौष 06, 1947 शक संवत्)

भाग 1-क

नियम, कार्य विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया।

वाराणसी के जिलाधिकारी की आज्ञायें

05 सितम्बर, 2023 ई०

सं० 1139/सात-भू०सु०-2023-शासनादेश संख्या-32/744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 (उ०प्र० अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उप धारा-(4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करने तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-689/एक-1-2020-20(5)/2016, दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का उपयोग करते हुए मैं एस० राजलिंगम, जिलाधिकारी, वाराणसी अधोलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त शासनादेशानुसार अनुसूची के स्तम्भ-5 में उल्लिखित गाँव में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ। तदुपरान्त अनुसूची में क्रम संख्या 6/7 में उल्लिखित कुल गाटा-1 आ०नं०-795 मि० रकबा 0.405 हे० बंजर भूमि को अग्निशमन केन्द्र की स्थापना हेतु गृह विभाग को हस्तगत कराया जाय।

अनुसूची

क्र० सं०	जिला	तहसील	परगना	ग्राम	प्लॉट संख्या / गाटा संख्या	क्षेत्रफल	विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहित की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	वाराणसी	राजातालाब	कसवार राजा	खजुरी	आ०नं० 795, बंजर	0.405 हेक्टेयर	गृह विभाग (अग्निशमन केन्द्र के निर्माण हेतु)

18 नवम्बर, 2023 ई०

सं० 3741/सात-भू०सु०-2023Camp-शासनादेश संख्या-32/744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 (उ०प्र० अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उप धारा-(4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करने तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-689/एक-1-2020-20(5)/2016, दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का उपयोग करते हुए मैं एस० राजलिंगम, जिलाधिकारी, वाराणसी अधोलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त शासनादेशानुसार अनुसूची के स्तम्भ-5 में उल्लिखित गाँव में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ। तदुपरान्त अनुसूची में क्रम संख्या 6/7 में उल्लिखित आ०नं०-274छ रकबा 1.680 हे० में से 0.061 हे० बंजर भूमि को राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, रोहनिया की स्थापना हेतु आयुष विभाग को हस्तगत कराया जाय।

अनुसूची

क्र० सं०	जिला	तहसील	परगना	ग्राम	प्लॉट संख्या/ गाटा संख्या	क्षेत्रफल	विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहित की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	वाराणसी	सदर	देहात अमानत	हरिहरपुर	आ०नं० 274छ, बंजर	0.061 हेक्टेयर	आयुष विभाग (राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय के निर्माण हेतु)

09 नवम्बर, 2024 ई०

सं० 1769/सात-भू०सु०-2024-शासनादेश संख्या-32/744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 (उ०प्र० अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उप धारा-(4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करने तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-689/एक-1-2020-20(5)/2016, दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का उपयोग करते हुए मैं एस० राजलिंगम, जिलाधिकारी, वाराणसी अधोलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त शासनादेशानुसार अनुसूची के स्तम्भ-5 में उल्लिखित गाँव में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ। तदुपरान्त अनुसूची में क्रम संख्या 6/7 में उल्लिखित आ०नं०-664 कुल रकबा 0.0610 हे० में से 0.0370 वर्ग मीटर नवीन परती भूमि को बाल विकास परियोजना कार्यालय के निर्माण हेतु बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग को हस्तगत कराया जाय।

अनुसूची

क्र० सं०	जिला	तहसील	परगना	ग्राम	प्लॉट संख्या /गाटा संख्या	क्षेत्रफल	विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहित की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	वाराणसी	राजातालाब	कसवार राजा	हरपुर	आ०नं० 664 नवीन परती	0.0370 हेक्टेयर	बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग (बाल विकास परियोजना कार्यालय के निर्माण हेतु)

12 दिसम्बर, 2024 ई0

सं0 1817/सात-भू0सु0-2024-शासनादेश संख्या-32/744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उप धारा-(4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करने तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-689/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का उपयोग करते हुए मैं एस0 राजलिंगम, जिलाधिकारी, वाराणसी अधोलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त शासनादेशानुसार अनुसूची के स्तम्भ-5 में उल्लिखित गाँव में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ। तदुपरान्त अनुसूची में क्रम संख्या 6/7 में उल्लिखित आ0नं0-605 मि0 रकबा 0.0580 वर्ग शिकस्त बीहड़ भूमि को पुलिस यार्ड के निर्माण हेतु पुलिस विभाग को हस्तगत कराया जाय।

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम	प्लॉट संख्या /गाटा संख्या	क्षेत्रफल	विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहित की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	वाराणसी	सदर	रामनगर	भीटी	आ0नं0 605 मि0 शिकस्त बीहड़	0.0580 हेक्टेयर	पुलिस विभाग (पुलिस यार्ड के निर्माण हेतु)

एस0 राजलिंगम,
जिलाधिकारी, वाराणसी।

14 फरवरी, 2025 ई0

सं0 1908/सात-भू0सु0-2025-शासनादेश संख्या-32/744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उप धारा-(4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करने एवं उप जिलाधिकारी पिण्डरा के प्रस्ताव पत्रांक 3121 दिनांक 16 जनवरी, 2025 के आधार पर जिलाधिकारी वाराणसी द्वारा अधोलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को जो अब तक उपरोक्त शासनादेशानुसार अनुसूची के स्तम्भ-5 में उल्लिखित गाँव में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेने के जिलाधिकारी महोदय के अनुमोदन दिनांक 30 जनवरी, 2025 व 10 फरवरी, 2025 के क्रम में लिया जाता है। अपर मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन, अतिरिक्त ऊर्जा विभाग, लखनऊ के पत्र-सं0 1050/87 अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत वि0/2023 दिनांक 03 अगस्त, 2023 व वरिष्ठ परियोजना अधिकारी, यूपीनेडा के पत्र-सं0 490 दिनांक 22 नवम्बर, 2024 तथा उ0प्र0 शासन, राजस्व अनुभाग-1, लखनऊ के कार्यालय ज्ञाप (संशोधन) सं0 06/2023/16-1-1-2016-2023-रा0-लखनऊ दिनांक 15 मार्च, 2023 के प्रस्तर 1 तथा कार्यालय ज्ञाप संशोधन राजस्व अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन के पत्र-सं0 22/2024/प्र0स0-37/एक-1-2024-1-1099/89/2024 दिनांक 10 जून, 2024 के प्रस्तर 1 में दी गयी व्यवस्था के आलोक में उ0प्र0 जल ऊर्जा नीति-2022 के अन्तर्गत बायो डीजल संयंत्र की स्थापना हेतु 1 रु0 प्रति एकड़ की सांकेतिक मूल्य पर अधिकतम 30 वर्ष के लिए पट्टे पर प्रशासकीय विभाग के रूप में अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, उ0प्र0 शासन को प्रदान करता हूँ। यदि भविष्य में भूमि का मूल्य दिये जाने के सम्बन्ध में कोई अन्यथा निर्देश संज्ञानित होते हैं, तो भूमि की मूल्य की देयता अतिरिक्त ऊर्जा विभाग की होगी। तदुपरान्त जिलाधिकारी महोदय के अनुमोदन दिनांक 30 जनवरी, 2025 व 10

फरवरी, 2025 के क्रम में क्रम संख्या 6/7 में उल्लिखित आ०नं०-104 कुल रकबा 1.021 हे० में से 0.800 हे० नवीन परती भूमि को बायो डीजल संयंत्र के निर्माण हेतु उ०प्र० नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपीनेडा) के अनुरोध पर अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग को हस्तगत कराया जाय।

अनुसूची

क्र० सं०	जिला	तहसील	परगना	ग्राम	प्लॉट संख्या / गाटा संख्या	क्षेत्रफल	विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पट्टे पर दी जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	वाराणसी	पिण्डरा	पन्दह	लछिरा मपुर	आ०नं० 104 नवीन परती	0.800 हे०	उ०प्र० नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपीनेडा) के अनुरोध पर अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग (बायो डीजल संयंत्र के निर्माण हेतु)

(बिपिन कुमार)
अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)
वाराणसी।



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 27 दिसम्बर, 2025 ई० (पौष 06, 1947 शक संवत्)

भाग 2

आज्ञायें, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों का उद्धरण।

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

ADMINISTRATIVE (E-1) SECTION

NOTIFICATION

December 16, 2025

No. 998/XC-3/Admin.(E-1)Section/2026/Alld.—In continuation of Court's Notification no. 721/XC-3/Admin.(E-1)/2026/ Dated: Allahabad: 08.08.2025, the following list of holidays to be observed in the High Court of Judicature at Allahabad including its Bench at Lucknow during the year 2026 is being published for general information:

List of holidays to be observed in the High Court of Judicature at Allahabad including its bench at Lucknow during the year 2026

Sl. No.	Holidays	Dates on which they fall	Days of the Week	No. of days
1	2	3	4	5
1.	New Year's Day	January 01 & 02, 2026	Thursday & Friday	02
2.	Makar Sankranti	January 14, 2026	Wednesday	01
3.	Basant Panchami	January 23, 2026	Friday	01
4.	Republic Day	January 26, 2026	Monday	01

1	2	3	4	5
5.	Mahashivratri	February 15, 2026	Sunday	01
6.	Holi Holidays	March 02 to 07, 2026	Monday to Saturday	06
7.	*Id-ul-Fitra	March 21, 2026	Saturday	01
8.	Ram Navami	March 26, 2026	Thursday	01
9.	Ambedkar Jayanti	April 14, 2026	Tuesday	01
10.	*Id-ul-Zuha	May 28, 2026	Thursday	01
11.	Summer Vacation	June 01 to 30, 2026	Monday to Tuesday	30
12.	*Moharram	June 26, 2026	Friday	01
13.	Independence Day	August 15, 2026	Saturday	01
14.	*Barawafat	August 26, 2026	Wednesday	01
15.	Raksha Bandhan	August 28, 2026	Friday	01
16.	Janmashtami	September 04, 2026	Friday	01
17.	Gandhi Jayanti	October 02, 2026	Friday	01
18.	Dashehra Holidays	October 17 to 21, 2026	Saturday to Wednesday	05
19.	Deepawali Holidays	November 07 to 11, 2026	Saturday to Wednesday	05
20.	Guru Nanak Jayanti & Kartik Purnima	November 24, 2026	Tuesday	01
21.	Winter Holidays	December 25 to 31, 2026	Friday to Thursday	07

NOTES :-

1. The dates marked with asterisk (*) can be re-fixed according to the local visibility of the Moon. If there is no change, no notification shall be issued.
2. Second Saturday of each month will be a holiday.
3. Sunday, January 18, 2026 will be a local holiday on account of Mauni Amavasya only for Allahabad.
4. Friday, March 20, 2026 will be a restricted holiday on account of Last Friday of Ramzan for Muslims only.
5. Friday, April 03, 2026 will be a restricted holiday on account of Good Friday for Christians only.
6. Tuesday, May 05, 2026 will be local holiday on account of Mahavir-Ji-Ka-Mela only for Lucknow Bench of the Court.
7. The Court shall also sit on Saturday falling on March 28, 2026 both at Allahabad and Lucknow.
8. There is a separate list of holidays for the District Judiciary of Allahabad High Court.

By Order of the Court,
 Manjeet Singh Sheoran,
 (H.J.S.),
 Registrar General.

इलाहाबाद उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

प्रशासनिक (ई-1) अनुभाग

विज्ञप्ति

16 दिसम्बर, 2025 ई0

सं0 999/XC-3/प्रशासनिक(ई-1)अनु0/2026/इलाहाबाद-न्यायालय की विज्ञप्ति संख्या 722/XC-3/प्रशासनिक (ई-1)अनु./2026/दिनांक: इलाहाबाद 08.08.2025 के क्रम में निम्नलिखित अवकाश सूची जिसमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ पीठ सहित वर्ष 2026 में बन्द रहेगा, सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित की जाती है।

अवकाशों की सूची जिनके अनुसार इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ पीठ सहित वर्ष 2026 में बन्द रहेगा।

क्रम संख्या	पर्व/अवकाश के नाम	दिनांक	सप्ताह के दिन	दिवस की संख्या
1	2	3	4	5
1	नव वर्ष दिवस	01 एवं 02 जनवरी, 2026	बृहस्पतिवार एवं शुक्रवार	02
2	मकर संक्रान्ति	14 जनवरी, 2026	बुधवार	01
3	बसंत पंचमी	23 जनवरी, 2026	शुक्रवार	01
4	गणतंत्र दिवस	26 जनवरी, 2026	सोमवार	01
5	महाशिवरात्रि	15 फरवरी, 2026	रविवार	01
6	होली अवकाश	02 से 07 मार्च, 2026	सोमवार से शनिवार	06
7	*ईद-उल-फ़ित्र	21 मार्च, 2026	शनिवार	01
8	रामनवमी	26 मार्च, 2026	बृहस्पतिवार	01
9	अम्बेडकर जयंती	14 अप्रैल, 2026	मंगलवार	01
10	*ईद-उल-जुहा	28 मई, 2026	बृहस्पतिवार	01
11	ग्रीष्मावकाश	1 से 30 जून, 2026	सोमवार से मंगलवार	30
12	*मोहर्रम	26 जून, 2026	शुक्रवार	01
13	स्वतंत्रता दिवस	15 अगस्त, 2026	शनिवार	01
14	*बारावफात	26 अगस्त, 2026	बुधवार	01
15	रक्षाबंधन	28 अगस्त, 2026	शुक्रवार	01
16	जन्माष्टमी	04 सितम्बर, 2026	शुक्रवार	01
17	गांधी जयंती	02 अक्टूबर, 2026	शुक्रवार	01
18	दशहरा अवकाश	17 से 21 अक्टूबर, 2026	शनिवार से बुधवार	05
19	दीपावली अवकाश	07 से 11 नवम्बर, 2026	शनिवार से बुधवार	05
20	गुरुनानक जयंती एवं कार्तिक पूर्णिमा	24 नवम्बर, 2026	मंगलवार	01
21	शीतकालीन अवकाश	25 से 31 दिसम्बर, 2026	शुक्रवार से बृहस्पतिवार	07

टिप्पणी-

1-तारांकित (*) तिथियां स्थानीय चंद्र दर्शन के अनुसार पुनः निर्धारित की जा सकती हैं। यदि तिथियों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो अधिसूचना जारी नहीं की जायेगी।

- 2—प्रत्येक मास के द्वितीय शनिवार को अवकाश रहेगा।
- 3—रविवार, 18 जनवरी, 2026 को मौनी अमावस्या के उपलक्ष्य में केवल इलाहाबाद के लिये स्थानीय अवकाश रहेगा।
- 4—शुक्रवार, 20 मार्च, 2026 को रमज़ान के अन्तिम शुक्रवार के उपलक्ष्य में केवल मुसलमानों के लिये निर्बन्धित अवकाश रहेगा।
- 5—शुक्रवार, 03 अप्रैल, 2026 को गुड फ्राईडे के उपलक्ष्य में केवल ईसाइयों के लिये निर्बन्धित अवकाश रहेगा।
- 6—मंगलवार, 05 मई, 2026 को 'महावीर जी का मेला' के उपलक्ष्य में केवल लखनऊ पीठ के लिये स्थानीय अवकाश रहेगा।
- 7—शनिवार, 28 मार्च, 2026 को इलाहाबाद एवं लखनऊ में न्यायालय का कार्य-दिवस रहेगा।
- 8—इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जनपद न्यायालयों के अवकाशों की सूची अलग से है।

न्यायालय की आज्ञा से,
मंजीत सिंह श्योराण,
उ0 न्या0 से0,
महानिबन्धक।

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

ADMINISTRATIVE (E-1) SECTION

NOTIFICATION

December 16, 2025

No. 1000/XC-4/Admin.(E-1)/2026/Allahabad—In continuation of Court's Notification no. 723/XC-4/Admin.(E-1)/2026/ Dated: Allahabad: 08.08.2025, the following list of holidays to be observed in the District Judiciary of the High Court of Judicature at Allahabad during the year 2026 is being published for general information:

List of Holidays to be observed in the District Judiciary of Allahabad High Court during the year 2026

Sl. No.	Holidays	Dates on which they fall	Days of the Week	No. of days
1	2	3	4	5
1.	Republic Day	January 26, 2026	Monday	01
2.	Mahashivratri	February 15, 2026	Sunday	01
3.	Holi Holidays	March 02 to 04, 2026	Monday to Wednesday	03
4.	*Id-ul-Fitra	March 21, 2026	Saturday	01
5.	Ram Navami	March 26, 2026	Thursday	01
6.	Ambedkar Jayanti	April 14, 2026	Tuesday	01
7.	*Id-ul-Zuha	May 28, 2026	Thursday	01
8.	**Summer Vacation	June 01 to 30, 2026	Monday to Tuesday	-

1	2	3	4	5
9.	*Moharram	June 26, 2026	Friday	01
10.	Independence Day	August 15, 2026	Saturday	01
11.	Janmashtami	September 04, 2026	Friday	01
12.	Gandhi Jayanti	October 02, 2026	Friday	01
13.	Dashehra	October 20, 2026	Tuesday	01
14.	Deepawali Holidays	November 08 & 09, 2026	Sunday & Monday	02
15.	Christmas Day	December 25, 2026	Friday	01
16.	Winter Holidays	December 26 to 31, 2026	Saturday to Thursday	06

NOTES :-

- 1- The dates marked with asterisk (*) can be re-fixed according to the Local visibility of the Moon.
- 2- Second Saturday of each month will be a holiday.
- 3- The District Judge shall declare five days local holidays in consultation with the District Magistrate.
- 4- Friday, March 20, 2026 will be a restricted holiday on account of Last Friday of Ramzan for Muslims only.
- 5- Friday, April 03, 2026 will be a restricted holiday on account of Good Friday for Christians only.
- 6- **Only Civil Work (except urgent matters) will be suspended during the period of Summer Vacation whereas the work related to Criminal Cases shall continue as usual.
- 7- In case any of the National or other holidays mentioned in the Calendar falls on Second Saturday or on a Sunday, it will be up to the District Judge to declare in its place additional days as holidays.
- 8- There shall not be less than 265 working days in the District Judiciary of Allahabad High Court in a year.
- 9- Every Fourth Saturday shall be holiday only for Judicial Officers but working day for all purposes for other staff of the District Judiciary of Allahabad High Court.
- 10- The Court shall also sit on Fourth Saturdays falling on March 28, 2026 and April 25, 2026 in the District Judiciary of Allahabad High Court.
- 11- There is a separate list of holidays for the High Court.

By Order of the Court,
Manjeet Singh Sheoran,
(H.J.S.),
Registrar General.

इलाहाबाद उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

प्रशासनिक (ई-1) अनुभाग

विज्ञप्ति

17 दिसम्बर, 2025 ई0

सं0 1002/XC-4/प्रशासनिक(ई-1)अनु0/2026/इलाहाबाद-न्यायालय की विज्ञप्ति सं0 724/XC-4/प्रशासनिक(ई-1)/अनु./2026/ दिनांक; इलाहाबाद 08.08.2025 के क्रम में निम्नलिखित अवकाश सूची जिसमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जनपद न्यायालय वर्ष 2026 में बन्द रहेंगे, सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित की जाती है।

अवकाशों की सूची जिनके अनुसार इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जनपद न्यायालय वर्ष 2026 में बन्द रहेंगे।

क्रम संख्या	पर्व/अवकाश के नाम	दिनांक	सप्ताह के दिन	दिवस की संख्या
1	2	3	4	5
1	गणतंत्र दिवस	26 जनवरी, 2026	सोमवार	01
2	महाशिवरात्रि	15 फरवरी, 2026	रविवार	01
3	होली अवकाश	02 से 04, मार्च, 2026	सोमवार से बुधवार	03
4	*ईद-उल-फ़ित्र	21 मार्च, 2026	शनिवार	01
5	रामनवमी	26 मार्च, 2026	बृहस्पतिवार	01
6	अम्बेडकर जयंती	14 अप्रैल, 2026	मंगलवार	01
7	*ईद-उल-जुहा	28 मई, 2026	बृहस्पतिवार	01
8	**ग्रीष्मावकाश	1 से 30 जून, 2026	सोमवार से मंगलवार	—
9	*मोहर्रम	26 जून, 2026	शुक्रवार	01
10	स्वतंत्रता दिवस	15 अगस्त, 2026	शनिवार	01
11	जन्माष्टमी	04 सितम्बर, 2026	शुक्रवार	01
12	गांधी जयंती	02 अक्टूबर, 2026	शुक्रवार	01
13	दशहरा	20 अक्टूबर, 2026	मंगलवार	01
14	दीपावली अवकाश	08 एवं 09, नवम्बर, 2026	रविवार एवं सोमवार	02
15	क्रिसमस दिवस	25 दिसम्बर, 2026	शुक्रवार	01
16	शीतकालीन अवकाश	26 से 31 दिसम्बर, 2026	शनिवार से बृहस्पतिवार	06

टिप्पणी—

- 1— तारांकित (*) तिथियाँ स्थानीय चंद्र दर्शन के अनुसार पुनः निर्धारित की जा सकती हैं।
- 2— प्रत्येक मास के द्वितीय शनिवार को अवकाश रहेगा।
- 3— जनपद न्यायाधीश पाँच दिन का स्थानीय अवकाश ज़िला मजिस्ट्रेट से विचार-विमर्श करके निश्चित एवं घोषित करेंगे।
- 4— शुक्रवार, 20 मार्च, 2026 को रमज़ान के अन्तिम शुक्रवार के उपलक्ष्य में केवल मुसलमानों के लिये निर्बन्धित अवकाश रहेगा।
- 5— शुक्रवार, 03 अप्रैल, 2026 को गुड फ्राइडे के उपलक्ष्य में केवल ईसाइयों के लिये निर्बन्धित अवकाश रहेगा।
- 6— **ग्रीष्मावकाश की अवधि में केवल सिविल कार्य (अत्यावश्यक मामलों को छोड़कर) स्थगित रहेंगे, जबकि आपराधिक मामलों की सुनवाई यथावत् जारी रहेगी।
- 7— यदि कैलेंडर में वर्णित कोई राष्ट्रीय या अन्य अवकाश, द्वितीय शनिवार या रविवार को पड़ता है, तो जनपद न्यायाधीश उसके स्थान पर अतिरिक्त दिवस को अवकाश के रूप में घोषित कर सकते हैं।
- 8— उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के जनपद न्यायालयों में कार्य-दिवस एक वर्ष में 265 दिन से कम नहीं रहेगा।
- 9— प्रत्येक मास के चतुर्थ शनिवार को केवल न्यायिक अधिकारियों के लिये अवकाश रहेगा परन्तु अन्य कर्मचारियों के लिये कार्य-दिवस रहेगा।
- 10— चतुर्थ शनिवार, मार्च 28, 2026 एवं अप्रैल 25, 2026 को उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के जनपद न्यायालयों में न्यायिक कार्य-दिवस रहेगा।
- 11— उच्च न्यायालय के अवकाशों की सूची अलग से है।

न्यायालय की आज्ञा से,
मंजीत सिंह श्योराण,
उ0 न्या0 से0,
महानिबन्धक।



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 27 दिसम्बर, 2025 ई० (पौष 06, 1947 शक संवत्)

भाग 3

स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़पत्र, खण्ड ग-निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड घ-जिला पंचायत।

खण्ड-घ

जिला पंचायत, बाराबंकी

ग्रामीण क्षेत्रान्तर्गत व्यवसायिक लाईसेंस उपविधि

15 दिसम्बर, 2025 ई०

सं० स्था०नि०सहा०/इक्कीस-1(2025-26) 843-जिला पंचायत, बाराबंकी द्वारा जनपद बाराबंकी के ग्रामीण क्षेत्रों में व्यवसाय करने वाले कोई भी व्यक्ति, कम्पनी, पार्टनरशिप फर्म या अन्य संस्था, राजकीय विभाग, राज्य सरकार द्वारा दिये गये ठेके के ठेकेदार या स्थानीय संस्थाएँ, व्यापारियों/दुकानदार/फर्म/कारखाना मालिक आदि को नियमित एवं विनियमित करने के उद्देश्य से उपविधियों प्रचलित है। जिनका प्रकाशन सरकारी गजट, उ०प्र० में दिनांक 03 सितम्बर 2011, 10 सितम्बर 2011, 01 अक्टूबर 2011 व 03 अक्टूबर 2020 को हुआ है। उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (यथा संशोधित) की धारा-239(1) एवं धारा-239 (2) के साथ पठित अधिनियम की धारा-143 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके जिला पंचायत बाराबंकी द्वारा उक्त उपविधियों को समेकित कर ग्रामीण क्षेत्रों में व्यवसाय करने वाले कोई भी व्यक्ति, कम्पनी, पार्टनरशिप फर्म या अन्य संस्था, राजकीय विभाग, राज्य सरकार द्वारा दिये गये ठेके के ठेकेदार या स्थानीय संस्थाएँ, व्यापारियों/दुकानदार/फर्म/कारखाना मालिक आदि को नियमित एवं विनियमित करने के लिये “ग्रामीण क्षेत्रान्तर्गत व्यवसायिक लाईसेंस उपविधि” तैयार की गयी है। जिसकी मैं, राजेश कुमार, आयुक्त, अयोध्या मण्डल, अयोध्या उक्त अधिनियम की धारा-242(2) के अन्तर्गत दी गयी शक्ति का प्रयोग कर पुष्टि करता हूँ, जो सरकारी गजट, उ०प्र० में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगी।

परिभाषायें—

01—यह उपविधि “ग्रामीण क्षेत्रान्तर्गत व्यवसायिक लाइसेंस उपविधि” कहलायेगी, तथा सरकारी गजट में प्रकाशन के दिनांक से प्रभावी होगी।

02—यह उपविधि जनपद बाराबंकी के ग्रामीण क्षेत्रों में कोई भी व्यक्ति, कम्पनी, पार्टनरशिप, फर्म या अन्य संस्था राजकीय विभाग, राज्य सरकार द्वारा दिये गये ठेके के ठेकेदार या स्थानीय संस्थाएं, व्यापारियों/दुकानदारों/फर्म/कारखाना मालिक आदि जनपद बाराबंकी के ग्रामीण क्षेत्रों में व्यवसाय/व्यापार पर प्रभावी होगी।

03—उपविधि में निम्नलिखित शब्दों का क्या तात्पर्य होगा उसके सामने अंकित कर दिया गया है।

(क) “अधिनियम” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (यथा संशोधित 1994) से है।

(ख) “धारा” तथा “उपधारा” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (यथा संशोधित 1994) की धारा तथा उपधारा से है।

(ग) “अध्यक्ष” का तात्पर्य अध्यक्ष, जिला पंचायत बाराबंकी से होगा।

(घ) “अपर मुख्य अधिकारी” का तात्पर्य अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत बाराबंकी से होगा।

(ङ) “जिला पंचायत” का तात्पर्य जिला पंचायत बाराबंकी से होगा।

04—कोई भी व्यक्ति, कम्पनी, पार्टनरशिप, फर्म या अन्य संस्था राजकीय विभाग, राज्य सरकार द्वारा दिये गये ठेके के ठेकेदार या स्थानीय संस्थाएं, व्यापारियों/दुकानदारों/फर्म/कारखाना मालिक आदि जनपद बाराबंकी के ग्रामीण क्षेत्रों में व्यवसाय/व्यापार जिला पंचायत, बाराबंकी से लाइसेंस प्राप्त करने के उपरान्त ही करेंगे तथा व्यवसाय हेतु सम्बंधित विभागों/संस्थाओं से अनापत्ति प्राप्त कर ही व्यवसाय संचालित किया जायेगा।

05—इन उपविधियों के अन्तर्गत दिया जाने वाला लाइसेंस/अनुज्ञा-पत्र निम्नलिखित शर्तों पर दिया जायेगा।

(क) लाइसेंस का हस्तान्तरण नहीं किया जा सकेगा और तय अवधि व्यतीत हो जाने के पश्चात पुनः नवीनीकरण कराना होगा।

(ख) लाइसेंस नियत शुल्क भुगतान करने के पश्चात ही जारी किये जायेंगे।

(ग) लाइसेंस प्राप्त करने वाले व्यवसायी को व्यवसाय का पूरा विवरण नोटरी हलफनामा के साथ देना होगा।

(ङ) प्रत्येक लाइसेन्स धारक को अपनी दुकान के सामने एक साइनबोर्ड लगाना होगा, जिस पर दुकान, दुकानदार तथा व्यवसाय का नाम स्पष्ट लिखा होगा।

06—लाइसेंस शुल्क की वसूली जिला पंचायत के कर्मचारियों द्वारा या ठेकेदारों द्वारा की जायेगी एवं लाइसेंस शुल्क के वसूली सम्बन्धी ठेके की नीलामी जिला पंचायत, बाराबंकी द्वारा की जायेगी।

07—जिला पंचायत बाराबंकी के मुख्य अधिकारी/अपर मुख्य अधिकारी अथवा उनके द्वारा अधिकृत करने पर कार्य अधिकारी, कर अधिकारी, जिला पंचायत के लाइसेंसी अधिकारी होंगे, जिनको इन उपविधियों के अन्तर्गत लाइसेंस देने/बदलने/समाप्त करने, निलम्बित करने, न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने, वापस लेने तथा सुलह करने का पूर्ण अधिकार होगा।

08—इन उपविधियों का उल्लंघन करने के उपरान्त चलाये गये मुकदमों के दौरान लाइसेंस शुल्क का 50 प्रतिशत सुलहनामा शुल्क के रूप में जमा कराकर लाइसेंस अधिकारी समझौता कर सकेंगे। सुलहनामा शुल्क, लाइसेंस शुल्क व विलम्ब शुल्क के अतिरिक्त होगा।

09—लाइसेंस अधिकारी के किसी आदेश के विरुद्ध अध्यक्ष, जिला पंचायत बाराबंकी को 30 दिन के अन्दर अपील की जा सकती है। इस सम्बन्ध में उनका निर्णय अन्तिम होगा।

10—लाइसेंस की अवधि प्रत्येक वर्ष 01 अप्रैल से 31 मार्च तक होगी।

11—लाइसेन्स प्राप्त करने या उसका नवीनीकरण करने का आवेदन निर्धारित प्रारूप पर दिया जायेगा, जो निर्धारित शुल्क जमा करने पर जिला पंचायत बाराबंकी कार्यालय से प्राप्त होगा। इसका मूल्य रू0 100.00 होगा।

12—खाद्य पदार्थ बनाने वाले दुकानदारों द्वारा ऐसी धातु का बर्तन प्रयोग न किया जाये, जो खाद्य पदार्थ को दूषित करते हो एवं उनमें बनाया गया पदार्थ स्वास्थ्य के लिये हानिकारक हो। खाद्य पदार्थ में किसी प्रकार की मिलावट न हो।

13—मीट शॉप (मीट/मुर्गा/मुर्गी/मछली) वध आदि की दुकान/व्यवसाय करने हेतु निम्न शर्तों के अधीन लाइसेन्स निर्गत किया जायेगा।

(क) मीट शाप सार्वजनिक मार्ग, सार्वजनिक/धार्मिक स्थल से कम से कम 500 मी0 दूर होना चाहिए तथा इस प्रकार बन्द होगा कि बाहर से किसी व्यक्ति को दिखायी न दे।

(ख) विक्रय हेतु रखे खाद्य पदार्थ पूर्णतया आच्छादित होने चाहिए तथा ऐसी धातु का प्रयोग न हो जिससे खाद्य पदार्थ को किसी प्रकार से विषाक्त या विकृत करते हों।

(ग) पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के मानकों का अनुपालन आवश्यक होगा, जिसके अन्तर्गत विशेष रूप से पशुओं के प्रति वध-पूर्व प्रक्रमों के अनावश्यक शारीरिक व मानसिक पीडा या यातना जहाँ तक सम्भव हो समाप्त किया जाय।

(घ) मीट शाप/ब्रिकी स्थल साफ-सफाई तथा पास की नाली का ढका होना आवश्यक है। अगर निरीक्षण के क्रम में गन्दगी पायी जाती है तो संक्रमण रोग फैलने की शंका पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

(च) पशु को मारने से पूर्व उसको निकटतम पशु चिकित्सालय के पशुचिकित्सा अधिकारी से उसके स्वस्थ होने तथा दुधारु और गर्भिणी न होने का प्रमाण-पत्र देना अनिवार्य होगा।

(छ) उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का एन0ओ0सी0 अनिवार्य होगा।

(ज) शर्तों के क्रम में रजिस्टर्ड हलफनामा लाइसेंस अधिकारी, जिला पंचायत बाराबंकी को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। लाइसेंस फीस जमा करने के एक सप्ताह के अन्दर उपरोक्त अभिलेखों को प्रस्तुत नहीं करने की दशा में लाइसेंस फीस जब्त कर ली जायेगी। लाइसेंस की अवधि वित्तीय वर्ष 01 अप्रैल से 31 मार्च तक होगी। 01 अप्रैल से पूर्व नवीनीकरण न कराये जाने पर निर्धारित विलम्ब शुल्क देना अनिवार्य होगा।

14—अवयस्क (नाबालिक), किसी छूत की बीमारी से ग्रसित व्यक्ति को लाइसेंस नहीं जारी किया जायेगा।

15—कारखाना मालिकों/पेट्रोल पम्प मालिकों/बड़े व्यवसायों को अपने फर्म में साफ-सफाई प्रबंध एवं अग्निशमन यंत्र लगाना अनिवार्य होगा।

16—नाबालिकों से काम कराने पर लाइसेंस निरस्त कर चालान की कार्यवाही कर दी जायेगी।

लाइसेन्स शुल्क निम्नवत् होगा—

क्र० सं०	व्यवसायों का विवरण	पुरानी/वर्तमान दर लाइसेन्स शुल्क (प्रतिवर्ष)	प्रस्तावित लाइसेन्स शुल्क (प्रतिवर्ष)
1	2	3	4
001	चीनी मिल	50000.00	55000.00
002	क्रेशर हाईड्रोलिक सल्फीटेशन	4000.00	4400.00
003	क्रेशर नॉन हाईड्रोलिक सल्फीटेशन	4000.00	4400.00
004	क्रेशर नॉन हाईड्रोलिक नॉन सल्फीटेशन	2500.00	2800.00
005	शक्ति चालित गन्ना पेरने का कोल्हू	400.00	450.00
006	शक्ति चालित केन्द्रापग (खाण्ड मशीन)	1000.00	1100.00
007	हस्त चालित केन्द्रापग(खाण्ड मशीन)	200.00	250.00
008	उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग कर रहा क्रिस्टीलाइजर	300.00	350.00
009	धान कूटने का मिल(राइस सेलर)	2500.00	2800.00
010	एक्सपेलर	500.00	550.00
011	आरा मशीन	2000.00	2200.00
012	खराद मशीन	1000.00	1100.00
013	पावर लूम (प्रत्येक)	1000.00	1100.00
014	रेशम व कपड़ा बनाने का कारखाना	4000.00	4400.00
015	सरिया बनाने का कारखाना	15000.00	16500.00
016	लोहा बनाने का कारखाना (प्रति भट्ठी)	5000.00	5500.00
017	बर्फ बनाने का कारखाना (दो सौ सिल्ली तक)	2000.00	2200.00
018	बर्फ बनाने का कारखाना (उपरोक्त से अधिक)	4000.00	4400.00
019	गत्ता बनाने का कारखाना (बड़ा)	7000.00	7700.00
020	पेपर कोन बनाने का कारखाना	4000.00	4400.00
021	पेपर रोल बनाने का कारखाना	8000.00	8800.00
022	कागज बनाने का कारखाना (10 टन क्षमता)	10000.00	11000.00
023	कागज बनाने का कारखाना (10 टन से अधिक 20 टन क्षमता तक)	15000.00	16500.00
024	कागज बनाने का कारखाना (20 टन से अधिक 30 टन क्षमता तक)	30000.00	33000.00
025	कागज बनाने का कारखाना (30 टन क्षमता से अधिक)	50000.00	55000.00

1	2	3	4
026	दूध का पाउडर या दूध से अन्य पदार्थ बनाने का कारखाना	10000.00	11000.00
027	चिलिंग प्लांट	8000.00	8800.00
028	स्टील, आयरन आदि से पाइप बनाने का कारखाना (2" मोटाई तक)	25000.00	27500.00
029	स्टील, आयरन आदि से पाइप बनाने का कारखाना (2" मोटाई अधिक)	50000.00	55000.00
030	मशीन या यंत्र बनाने का कारखाना	7000.00	7700.00
031	फल, सब्जियां एवं खाद्य पदार्थ सुरक्षित रखने का कारखाना (कोल्ड स्टोरेज 50000 बैग तक)	10000.00	11000.00
032	फल, सब्जियां एवं खाद्य पदार्थ सुरक्षित रखने का कारखाना (कोल्ड स्टोरेज 50000 बैग से अधिक क्षमता पर)	15000.00	16500.00
033	पिक्चर ट्यूब बनाने का कारखाना	5000.00	5500.00
034	हॉटमिक्स प्लान्ट	10000.00	11000.00
035	रबड़ की वस्तुएँ बनाने का कारखाना	2000.00	2200.00
036	चीनी मिट्टी के बर्तन या टाइल्स बनाने का छोटा कारखाना	2000.00	2200.00
037	चीनी मिट्टी के बर्तन या टाइल्स बनाने का बड़ा कारखाना	7000.00	7700.00
038	मसाले की ईंट आदि बनाने का कारखाना (सिरेमिक्स)	8000.00	8800.00
039	पीतल, एल्यूमिनियम, स्टील, शीशा, ताँबा व टीन आदि से वस्तुएँ बनाना।	4000.00	4400.00
040	वनस्पति/देशी घी या रिफाइनड आयल बनाने का कारखाना	15000.00	16500.00
041	शराब, स्प्रिट या एल्कोहल बनाने का कारखाना	50000.00	55000.00
042	कृषि सम्बन्धी यंत्र बनाने का कारखाना	4000.00	4400.00
043	फर्टिलाइजर या कीटनाशक दवाई बनाने का कारखाना	10000.00	11000.00
044	खाण्डसारी उद्योग के यंत्र बनाने का कारखाना	5000.00	5500.00
045	प्लास्टिक का दाना, फिल्म या बैग बनाने का कारखाना	4000.00	4400.00
046	प्लास्टिक के पाइप, टैंक बनाने का कारखाना	7000.00	7700.00
047	बिजली के सामान बनाने का कारखाना	4000.00	4400.00
048	कपड़ा, कम्बल आदि की रंगाई/छपाई या फिनिशिंग का कारखाना (छोटा)	2000.00	2200.00
049	कपड़ा, कम्बल आदि की रंगाई/छपाई या फिनिशिंग का कारखाना (बड़ा)	8000.00	8800.00
050	सीमेन्ट बनाने का कारखाना	10000.00	11000.00
051	फ्लोर मिल	10000.00	11000.00
052	दाल मिल	5000.00	5500.00

1	2	3	4
053	रिईनफोर्स्ड, सीमेंट कंक्रीट आदि के ह्यूम पाइप बनाने का कारखाना	10000.00	11000.00
054	टेलीविजन बनाने का कारखाना	10000.00	11000.00
055	माचिस बनाने का कारखाना	10000.00	11000.00
056	बटन बनाने का कारखाना	6000.00	6600.00
057	मोमबत्ती बनाने का कारखाना	3000.00	3300.00
058	विनियर एण्ड शॉ मिल	7000.00	7700.00
059	पेय पदार्थ बनाने का कारखाना/फैक्ट्री	50000.00	55000.00
060	मिनरल वाटर बनाने का कारखाना	15000.00	16500.00
061	साकिट बनाने का कारखाना	5000.00	5500.00
062	प्लाईवुड या माइका बनाने का कारखाना	10000.00	11000.00
063	दवाई बनाने का कारखाना	7000.00	7700.00
064	गत्ते के डिब्बे बनाने का कारखाना	3000.00	3300.00
065	लैमिनेशन का कारखाना	5000.00	5500.00
066	दूध पैकेजिंग का कारखाना	6000.00	6600.00
067	केमिकल बनाने का कारखाना	8000.00	8800.00
068	डबल रोटी या बिस्कुट बनाने का कारखाना	5000.00	5500.00
069	गैस आदि बनाने का कारखाना	5000.00	5500.00
070	गैस के सिलेण्डर का कारखाना	8000.00	8800.00
071	वेल्डिंग राड्स बनाने का कारखाना	6000.00	6600.00
072	पीतल की राड्स बनाने का कारखाना	6000.00	6600.00
073	ढलाई करने का कारखाना	6000.00	6600.00
074	स्टील अलमारी, बक्से, मेज आदि बनाने का कारखाना	6000.00	6600.00
075	पशु आहार बनाने का कारखाना	5000.00	5500.00
076	धागा बनाने का कारखाना	4000.00	4400.00
077	धागा डबलिंग का कारखाना	7000.00	7700.00
078	दरी, कालीन आदि बनाने का कारखाना	7000.00	7700.00
079	साबुन बनाने का कारखाना	2000.00	2200.00
080	डिटर्जेंट बनाने का कारखाना	7000.00	7700.00

1	2	3	4
081	पट्टा बनाने का कारखाना	3000.00	3300.00
082	कमानी पट्टा बनाने का कारखाना	7000.00	7700.00
083	रबड़ के टायर ट्यूब बनाने का कारखाना	15000.00	16500.00
084	टायर रिट्रेडिंग	4000.00	4400.00
085	तिरपाल बनाने का कारखाना	10000.00	11000.00
086	आतिशबाजी संबंधी सामान बनाने का कारखाना	10000.00	11000.00
087	ग्रीस, मोबिल आयल, काला तेल आदि बनाने का कारखाना	5000.00	5500.00
088	चार पहिया बनाने का कारखाना	100000.00	110000.00
089	दो पहिया बनाने का कारखाना	50000.00	55000.00
090	तार बनाने का कारखाना	15000.00	16500.00
091	तार की जाली बनाने का कारखाना	3500.00	3900.00
092	लालटेन बनाने का कारखाना	3000.00	3300.00
093	रेगमाल बनाने का कारखाना	4000.00	4400.00
094	बैट्री बनाने का कारखाना	5000.00	5500.00
095	पंखा या कूलर बनाने का कारखाना	5000.00	5500.00
096	रंग बनाने का कारखाना	5000.00	5500.00
097	गम, टेप बनाने का कारखाना	4000.00	4400.00
098	आटो मोटर्स बनाने का कारखाना	5000.00	5500.00
099	निकिल पॉलिश (प्लेटिंग) करने का कारखाना	5000.00	5500.00
100	राँगा बनाने का कारखाना	5000.00	5500.00
101	गैस चूल्हा या उसके पार्ट्स बनाने का कारखाना	5000.00	5500.00
102	हड्डी मिल	25000.00	27500.00
103	सरेश मिल	5000.00	5500.00
104	पेट्रोल मिल	4000.00	4400.00
105	डीजल मिल	5000.00	5500.00
106	गैस बाटलिंग प्लाण्ट	25000.00	27500.00
107	सादा या काला नमक बनाने का कारखाना	2000.00	2200.00
108	प्रिंटिंग प्रेस या आफसेट प्रेस	2500.00	2750.00
109	सिनेमा हाल	4000.00	10000.00
110	विडियो सिनेमा हाल	2500.00	2750.00

1	2	3	4
111	मुर्गा/मुर्गी दाना का कारखाना/फैक्ट्री	3000.00	3300.00
112	पेट्रोल पम्प का टैंक बनाने का कारखाना	10000.00	11000.00
113	रेडीमेड गारमेंट्स का कारखाना	15000.00	16500.00
114	फोम के गद्दे बनाने का कारखाना	15000.00	16500.00
115	इंटीग्रेटेड फूड प्रोसेसिंग प्लांट	100000.00	110000.00
116	ट्रान्सफार्मर फैक्ट्री	20000.00	22000.00
117	स्टील के बर्तन बनाने का कारखाना	15000.00	16500.00
118	एयर कण्डीशनर बनाने का कारखाना	10000.00	11000.00
119	जूट सन व नायलान बनाने का कारखाना	5000.00	5500.00
120	शीशा बनाने का कारखाना	3000.00	3300.00
121	पिपरमिंट बनाने का कारखाना	2000.00	2200.00
122	चमड़ा टेनरी बनाने का कारखाना	25000.00	30000.00
123	जैविक कारखाना	5000.00	5500.00
124	फिक्स चिमनी ईंट भट्ठा (किसी भी प्रकार का) (01 अक्टूबर के बाद विलम्ब शुल्क रु0 500.00 प्रतिमाह)	15000.00	16500.00
125	स्टोन क्रेशर	15000.00	16500.00
126	रेडीमेड, कपड़े, होजरी तथा अन्य कपड़ों की छोटी दुकान	0.00	500.00
127	रेडीमेड, कपड़े, होजरी तथा अन्य कपड़ों की बड़ी दुकान	0.00	1000.00
128	कपड़े रंगाई, छपाई की दुकान	60.00	100.00
129	परचून की छोटी दुकान	120.00	150.00
130	परचून की बड़ी दुकान	0.00	500.00
131	किराना की छोटी दुकान	300.00	500.00
132	किराना की बड़ी दुकान	0.00	800.00
133	फुटकर गल्ला की दुकान	120.00	200.00
134	गल्ला बाड़ा	0.00	1000.00
135	जनरल स्टोर/विसातखाना/कास्मेटिक की दुकान	150.00	250.00
136	राशन डीलर/सस्ते गल्ले की सरकारी दुकान	150.00	300.00
137	मीठे/हलवाई की दुकान	150.00	200.00
138	दूध/खोया/मक्खन/घी/डालडा/वनस्पति, सरसो व अन्य तेल की दुकान	300.00	400.00
139	घी एवं वनस्पति अथवा तेल उत्पादन की फैक्ट्री	0.00	10000.00

1	2	3	4
140	चीनी या खाड़सारी के उत्पादन का व्यवसाय	0.00	500.00
141	कन्फेक्शनरी/बिस्कुट/नमकीन/केक आदि बेचने की दुकान	0.00	300.00
142	फल/सब्जी की स्थायी दुकान	40.00	200.00
143	छोटे जलपान गृह/चाय/शरबत/लस्सी/जूस/पान मसाला या तम्बाकू की दुकान	0.00	200.00
144	पान मसाला या तम्बाकू की थोक दुकान	0.00	1000.00
145	अण्डे बेचने की दुकान	40.00	100.00
146	अण्डे की थोक दुकान	0.00	1000.00
147	मीट शॉप (मीट/मुर्गा/मुर्गी/मछली) की दुकान	0.00	500.00
148	कैटरिंग सर्विस	0.00	2000.00
149	छोटा ढाबा	0.00	2000.00
150	बड़ा ढाबा	0.00	5000.00
151	छोटे रेस्टोरेन्ट/भोजनालय/होटल (जिसमें शयन कक्ष न हों)	0.00	10000.00
152	बड़ा रेस्टोरेन्ट/भोजनालय/होटल (जिसमें शयन कक्ष न हों)	0.00	20000.00
153	फूड कोर्ट	0.00	50000.00
154	होटल छोटा (रेस्टोरेन्ट सहित 10 शयन कक्ष तक)	0.00	10000.00
155	होटल बड़ा (रेस्टोरेन्ट सहित 10 शयन कक्ष से अधिक)	0.00	20000.00
156	हॉस्टल/लॉजिंग/गेस्ट हाउस (10 शयन कक्ष तक)	0.00	5000.00
157	हॉस्टल/लॉजिंग/गेस्ट हाउस (10 शयन कक्ष से अधिक)	0.00	10000.00
158	मैरिज हाल छोटा	0.00	15000.00
159	मैरिज हाल बड़ा	0.00	20000.00
160	रिज़ार्ट/वाटर पार्क	0.00	50000.00
161	लोहे की दुकान	300.00	500.00
162	लोहे/स्टील की अलमारी, बक्शा, ग्रिल, बेड आदि बनाने/बेचने की छोटी दुकान	300.00	500.00
163	लोहे/स्टील की अलमारी, बक्शा, ग्रिल, बेड आदि बनाने/बेचने की बड़ी दुकान	0.00	1000.00
164	वेल्लिंग की दुकान	60.00	300.00
165	गद्दा/तकिया/पर्दा/चादर आदि की दुकान	0.00	1000.00

1	2	3	4
166	सीमेन्ट/मोरंग/गिट्टी/बालू आदि की दुकान	150.00	1000.00
167	सीमेन्ट की नाद/गमला/जाली/शेड अदि बेचने की छोटी दुकान	150.00	300.00
168	सीमेन्ट की नाद/गमला/जाली/शेड अदि बेचने की बड़ी दुकान	0.00	1000.00
169	इमारती पत्थर/पटिया/मार्बल/स्टोन/ग्रेनाईड/टाइल्स की दुकान	0.00	1000.00
170	पुस्तक कापियाँ स्टेशनरी की छोटी दुकान	60.00	200.00
171	पुस्तक कापियाँ स्टेशनरी की बड़ी दुकान	0.00	500.00
172	फोटो स्टूडियो/जन सेवा केन्द्र आदि की दुकान	0.00	300.00
173	जूते/चप्पल बनाने/बेचने की छोटी दुकान	120.00	200.00
174	जूते/चप्पल बनाने/बेचने की बड़ी दुकान	0.00	500.00
175	केवल सोनारी (आभूषण मरम्मत की दुकान)	150.00	300.00
176	सोने चांदी के आभूषण की दुकान	300.00	1000.00
177	टेलर मास्टर या दर्जी की दुकान	0.00	100.00
178	सैलून	60.00	100.00
179	ब्यूटी पार्लर	0.00	200.00
180	कोयले/लकड़ी (बिना आरा मशीन) बेचने की दुकान	120.00	300.00
181	टिम्बर की दुकान	300.00	400.00
182	फर्नीचर की छोटी दुकान	150.00	300.00
183	फर्नीचर की बड़ी दुकान	0.00	500.00
184	खेल के सामान (हाकी, फुटबाल, क्रिकेट, टेनिस आदि के सामान)	0.00	300.00
185	हार्डवेयर/वार्निश/पेंट या भवन रंगाई सम्बन्धित अन्य सामान जैसे एंगल दरवाजा खिडकी की दुकान	150.00	500.00
186	बर्तन की दुकान	150.00	300.00
187	क्राकरी की दुकान	40.00	100.00
188	नया साइकिल ब्रिकी की दुकान	60.00	200.00
189	साइकिल मरम्मत व पुर्जे की दुकान	0.00	100.00
190	साइकिल को छोड़कर बड़े वाहनों के टायर ट्यूब की दुकान	0.00	500.00
191	टायर ट्यूब मरम्मत की दुकान	40.00	100.00
192	मोटरसाइकिल, मोटर कार, जीप, ट्रक, ट्रैक्टर के पार्ट की दुकान	150.00	300.00

1	2	3	4
193	दो पहिया वाहन के मरम्मत की दुकान	150.00	200.00
194	तीन व चार व उससे अधिक पहिया वाहन के मरम्मत की दुकान	0.00	500.00
195	मोटर गैरेज	0.00	2000.00
196	डेंटिंग/पेंटिंग की दुकान	60.00	100.00
197	पम्प एवं डायनमों के मरम्मत की दुकान	120.00	200.00
198	इंजिनियरिंग की दुकान	150.00	300.00
199	कृषि संबंधित बीज/खाद/कीटनाशक/दवाओं की दुकान	150.00	300.00
200	पम्पिंगसेट व इंजन की दुकान	300.00	500.00
201	घड़ी बिक्री/मरम्मत की दुकान	60.00	100.00
202	बिजली के सामान जैसे तार/बल्ब/स्विच/साकेट आदि की बिक्री की छोटी दुकान	60.00	200.00
203	बिजली के सामान जैसे तार/बल्ब/स्विच/साकेट आदि की बिक्री की बड़ी दुकान	0.00	500.00
204	बिजली के घरेलू उपकरण जैसे टी0वी0/रेडियो/फ्रिज/पंखा/कूलर आदि की बिक्री की दुकान	0.00	1000.00
205	बिजली के घरेलू उपकरण जैसे टी0वी0/रेडियो/फ्रिज/पंखा/कूलर आदि के मरम्मत की दुकान	0.00	500.00
206	बैट्री मरम्मत/चाजिंग की दुकान	60.00	100.00
207	भूसा/खरी/पशु आहार/चोकर आदि की दुकान	0.00	300.00
208	टेंट हाउस (छोटा)	150.00	500.00
209	टेंट हाउस (बड़ा)	0.00	1000.00
210	आटा चक्की	250.00	300.00
211	आटा चक्की व एक्सपेलर संयुक्त	0.00	1000.00
212	कम्प्यूटर की दुकान	0.00	1000.00
213	मोबाइल स्टोर/मरम्मत	0.00	200.00
214	चश्मा(आप्टिकल दुकान)	0.00	200.00
215	कबाड़ी व्यवसाय	40.00	200.00
216	संगीत के उपकरण/डी0जे0 आदि की दुकान	0.00	200.00
217	देशी शराब/विदेशी शराब/बीयर/भाँग	300.00	1000.00

1	2	3	4
218	धर्मकाँटा	550.00	1000.00
219	शराब बेचने की दुकान	300.00	1000.00
220	चूड़ी बेचने की दुकान	40.00	100.00
221	आतिशबाजी सामान बेचने की दुकान	50.00	100.00
222	मेडिकल स्टोर	250.00	500.00
223	मेडिकल क्लीनिक	0.00	2000.00
224	नर्सिंग होम/हास्पिटल (04 बेड तक)	0.00	2000.00
225	नर्सिंग होम/हास्पिटल (04 बेड से अधिक)	0.00	10000.00
226	पैथॉलाजी	0.00	1000.00
227	एक्सरे/अल्ट्रासाउण्ड	0.00	5000.00
228	प्रबंधकीय विद्यालय (नर्सरी से कक्षा 5 तक)	0.00	1000.00
229	प्रबंधकीय विद्यालय (जूनियर हाई स्कूल/माध्यमिक विद्यालय)	0.00	3000.00
230	उच्च शिक्षा प्रबन्धकीय विद्यालय	0.00	10000.00
231	तकनीकी संस्था/प्रशिक्षण संस्था (डिप्लोमा/डिग्री)	0.00	20000.00
232	इंजिनियरिंग/मेडिकल/मैनेजमेंट/नर्सिंग/डेंटल कालेज	0.00	100000.00
233	ट्रांसपोर्ट व्यवसाय	0.00	5000.00
234	प्रॉपर्टी डीलर एवं एजेन्ट	0.00	10000.00
235	आर्किटेक्ट/कंसल्टेन्ट/चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट	0.00	5000.00
236	फाइनेन्स एण्ड चिट फण्ड	0.00	5000.00
237	कालोनाइजर/बिल्डर्स	0.00	20000.00
238	दो पहिया वाहन (एजेन्सी)	2000.00	3000.00
239	चार पहिया वाहन (एजेन्सी)	0.00	10000.00
240	आटो रिक्शा ब्रिकी (एजेन्सी)	0.00	2000.00
241	रिक्शा ट्राली ब्रिकी (एजेन्सी)	0.00	2000.00
242	टोल प्लाजा	0.00	10000.00
243	मोबाइल टावर	5000.00	7500.00
244	गैस एजेन्सी	250.00	1000.00
245	गैस एजेन्सी गोदाम सहित	0.00	5000.00

1	2	3	4
246	गेदाम (छोटा 500.00 वर्ग मीटर तक)	2000.00	5000.00
247	गेदाम (बड़ा 500.00 वर्ग मीटर से अधिक)	5000.00	10000.00
248	पेट्रोल पम्प (पेट्रोल/डीजल/सी0एन0जी0/ई0वी0)	0.00	20000.00
249	पेट्रोल पम्प (पेट्रोल/डीजल/सी0एन0जी0)	0.00	15000.00
250	पेट्रोल पम्प (पेट्रोल/डीजल)	0.00	10000.00
251	ई0वी0 चार्जिंग स्टेशन	0.00	5000.00
252	राइस मिल	5000.00	6000.00
253	आइसक्रीम फैक्ट्री	0.00	2000.00
254	शीशे का सामान बनाने का कारखाना	0.00	2000.00
255	सिगरेट बीड़ी बनाने का कारखाना	0.00	2000.00
256	तकनीकी विज्ञान के सामान बनाने का कारखाना	0.00	2000.00
257	नमकीन एवं पेठा बनाने का कारखाना	0.00	2000.00
258	ट्रक/बस के बॉडी का मरम्मत कारखाना	0.00	2000.00
259	ठेकेदारी लाइसेंस	1500.00	5000.00
260	अन्य प्रकार के दुकान/व्यवसाय जो उपरोक्त वर्गीकरण में नहीं हैं।	0.00	500.00

17-उपरोक्त वर्गीकरण में दर्शाये गये व्यवसायों की प्रकार उद्योग की श्रेणी होने की स्थिति में निम्नलिखित श्रेणी में विभक्त करते हुये लाइसेंस फीस ली जायेगी।

क्र0सं0	व्यवसायों का विवरण	पुरानी/वर्तमान दर लाइसेन्स शुल्क (प्रतिवर्ष)	प्रस्तावित लाइसेन्स शुल्क (प्रतिवर्ष)
1	2	3	4
1	सूक्ष्म/कुटीर उद्योग (माइक्रो) लागत पच्चीस लाख तक	5000.00	6000.00
2	लघु उद्योग (लागत 25.00 लाख से 05.00 करोड़)	20000.00	25000.00
3	मध्यम उद्योग (लागत 05.00 करोड़ से 10.00 करोड़ तक)	50000.00	75000.00
4	भारी उद्योग (लागत 10.00 करोड़ से अधिक)	100000.00	150000.00

18—लाइसेंस की दर प्रत्येक 3 वर्ष पर 10 प्रतिशत वृद्धि के साथ निर्धारित की जायेगी जिसकी स्वीकृति जिला पंचायत बाराबंकी बोर्ड में निहित होगी।

19—नये व्यवसाय पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क देय होगा।

20—इन उपविधियों के अन्तर्गत बनने वाले लाइसेंस का नवीनीकरण 30 अप्रैल तक कराना अनिवार्य होगा। 30 अप्रैल के बाद नवीनीकरण कराये जाने पर निम्नलिखित विवरण के अनुसार विलम्ब शुल्क देय होगा।

क्र० सं०	लाइसेंस शुल्क श्रेणी	विलम्ब शुल्क प्रतिमाह
1	2	3
1	रुपया 0.00 से रुपया 500.00 तक	रुपया 25.00
2	रुपया 501.00 से रुपया 2000.00 तक	रुपया 50.00
3	रुपया 2001.00 से रुपया 10000.00 तक	रुपया 100.00
4	रुपया 10001.00 से रुपया 25000.00 तक	रुपया 200.00
5	रुपया 25001.00 से रुपया 50000.00 तक	रुपया 500.00
6	रुपया 50000.00 से अधिक	रुपया 1000.00

नोट—ईट-भटठों की स्थिति में 30 सितम्बर के पश्चात रु0 500/—प्रतिमाह विलम्ब शुल्क देय होगा।

21—कोई व्यक्ति फर्म कम्पनी आदि कोई ऐसी सूचना नहीं देगा जो असत्य हो या इन उपविधियों से सम्बन्धित कोई ऐसी सूचना जिसे अध्यक्ष, अपर मुख्य अधिकारी, कार्य अधिकारी, कर अधिकारी तथा जिला पंचायत का कोई अन्य कर्मचारी जिनकी नियुक्ति इस कार्य के लिए की गयी हो माँगे तो देने से इंकार नहीं करेंगे।

22—उपविधि की कोई धारा प्रतिकूल होने की दशा में अधिनियमों, नियमों एवं पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 तथा सम्बन्धित विभाग के आदेश मान्य होंगे।

दण्ड

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 की धारा 240 के अंतर्गत प्राप्त अधिकार का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत बाराबंकी यह निर्देश देती है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा इन उपविधियों का उल्लंघन करने पर उल्लंघनकर्ता रु0 1000/— अर्थदण्ड से दण्डित किया जा सकता है तथा दोष सिद्ध होने के पश्चात प्रत्येक दिन के लिये जिसमें उल्लंघन जारी रहा है रु0 10 (दस रुपये) प्रतिदिन के हिसाब से अर्थदण्ड दिया जा सकता है और अर्थदण्ड न अदा करने पर विधिक कार्यवाही कर 03 माह (तीन महीने) का कारावास दण्ड दिया जा सकता है।

निरसन

इस उपविधि के प्रभावी होने के दिनांक से इस विषय से सम्बन्धित जिला पंचायत बाराबंकी में पूर्व में प्रचलित उपविधियाँ निरस्त हो जायेंगी।

राजेश कुमार,
आयुक्त,
अयोध्या मण्डल, अयोध्या।

पशु बाजार लाईसेंस उपविधि

15 दिसम्बर, 2025 ई0

सं0-स्था0नि0सहा0/इक्कीस-1(2025-26) 845-जिला पंचायत, बाराबंकी द्वारा जनपद बाराबंकी के ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित पशु मेलो, पशु बाजारों, पशु पैठों एवं पशु प्रदर्शनियों को नियमित एवं विनियमित करने के उद्देश्य से उपविधि प्रचलित है। जिसका प्रकाशन सरकारी गजट, उ0प्र0 में दिनांक 14 दिसम्बर, 1995 व दिनांक 03 सितम्बर, 2011 को हुआ है। उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (यथा संशोधित) की धारा-239(1) एवं धारा-239 (2) के साथ पठित अधिनियम की धारा-143 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके जिला पंचायत बाराबंकी द्वारा उक्त उपविधियों को समेकित कर ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित पशु मेलो, पशु बाजारों, पशु पैठों एवं पशु प्रदर्शनियों को नियमित एवं विनियमित करने के लिये “पशु बाजार लाईसेंस उपविधि” तैयार की गयी है। जिसकी मैं, राजेश कुमार, आयुक्त, अयोध्या मण्डल, अयोध्या उक्त अधिनियम की धारा-242(2) के अन्तर्गत दी गयी शक्ति का प्रयोग कर पुष्टि करता हूँ, जो सरकारी गजट, उ0प्र0 में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगी।

उपविधियां

परिभाषाएं

01-यह उपविधि “जिला पंचायत, बाराबंकी “पशु बाजार उपविधि” कहलायेगी, तथा सरकारी गजट उ0प्र0 में प्रकाशन के दिनांक से प्रभावी होगी।

02-यह उपविधि जनपद बाराबंकी के ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित पशु मेलों, पशुबाजारों, पशु पैठों एवं पशु प्रदर्शनियों को नियंत्रित एवं विनियमित करने के उद्देश्य से प्रभावी होगी।

03-उपविधि में निम्नलिखित शब्दों का क्या तात्पर्य होगा उसके सामने अंकित कर दिया गया है।

- (क) “अधिनियम” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (यथा संशोधित) से है।
- (ख) “धारा” तथा “उपधारा” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (यथा संशोधित) की धारा तथा उपधारा से है।
- (ग) “अध्यक्ष” का तात्पर्य अध्यक्ष, जिला पंचायत, बाराबंकी से होगा।
- (घ) “अपर मुख्य अधिकारी” का तात्पर्य अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, बाराबंकी से होगा।
- (ङ) “जिला पंचायत” का तात्पर्य जिला पंचायत, बाराबंकी से होगा।
- (च) “पशुबाजार” का तात्पर्य ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित किसी भी प्रकार की पशुबाजार/पशु मेला/पशुपैठ/पशु प्रदर्शनी/ऐसे स्थल जहाँ पशु क्रय विक्रय हेतु लाये जाते हैं, से होगा।
- (छ) “पशु” का तात्पर्य सभी जाति एवं श्रेणी के पशुओं से होगा।
- (ज) “पंजीकरण अधिकारी” का तात्पर्य जिला पंचायत द्वारा स्थापित पशु बाजार/पशु मेला/पशु पैठ/पशु प्रदर्शनी में पशुओं की बिक्री लिखने एवं शुल्क उगाही हेतु रसीद जारी करने निमित्त तथा निजी पशु बाजार/पशु मेला/पशु पैठ/पशु प्रदर्शनी से उसके संचालन अथवा प्रबंधक द्वारा नियुक्त उपरोक्त प्रयोजन हेतु व्यक्ति से होगा।
- (झ) “अनुज्ञप्ति” का तात्पर्य जिला पंचायत, बाराबंकी से जारी अनुज्ञा-पत्र से होगा।
- (ञ) “अनुज्ञप्तिधारी” का तात्पर्य लाइसेंसदार/ठेकेदार से होगा।

04—प्रत्येक व्यक्ति जो बाराबंकी के ग्रामीण क्षेत्र में कोई पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी आयोजित करना चाहेगा को इस उपविधि का अनुपालन करना होगा।

05—निजी पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी के अनुज्ञप्तिधारी अथवा उसके द्वारा नियुक्त प्रबन्धक या अधिकृत अभिकर्ता के लिये बाजार में आये हुये व्यक्तियों के ठहरने जानवरों हेतु चारा पानी सफाई तथा रोशनी का प्रबंध व रख-रखाव की समुचित व्यवस्था स्वयं करनी होगी।

06—पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ, पशु प्रदर्शनी के प्रबंधों का निरीक्षण समय-समय पर जिला पंचायत के अधिकारियों द्वारा किया जायेगा। सफाई एवं अन्य व्यवस्थाओं के सम्बंध में जिला पंचायत, बाराबंकी के अपर मुख्य अधिकारी/कार्य अधिकारी/अभियन्ता/कर अधिकारी/राजस्व निरीक्षक/सहायक राजस्व निरीक्षक द्वारा जांच में इंगित कमियों को तुरन्त दूर करना अनुज्ञप्तिधारी अथवा उसके द्वारा नियुक्त प्रबन्धक या अधिकृत अभिकर्ता के लिये अनिवार्य होगा।

07—एक से अधिक दिन तक चलने वाले पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ, पशु प्रदर्शनी में व्यापारियों एवं जन सामान्य को सुविधा हेतु शौचालय एवं मूत्रालय की व्यवस्था व सफाई कराना अनुज्ञप्तिधारी अथवा उसके द्वारा नियुक्त प्रबन्धक या अधिकृत अभिकर्ता के लिये अनिवार्य होगा।

08—जिला पंचायत के अध्यक्ष/अपर मुख्य अधिकारी/कार्य अधिकारी/अभियन्ता/कर अधिकारी/क्षेत्रीय अवर अभियन्ता/राजस्व निरीक्षक/सहायक राजस्व निरीक्षक, स्वास्थ्य विभाग के उप मुख्य चिकित्साधिकारी/प्रभारी चिकित्साधिकारी/स्वास्थ्य एवं खाद्य निरीक्षक/मुख्य पशु चिकित्साधिकारी/प्रभारी पशु चिकित्साधिकारी के अतिरिक्त अध्यक्ष जिला पंचायत/जिलाधिकारी अथवा लाईसेंसिंग अधिकारी द्वारा अधिकृत कोई भी कर्मचारी किसी भी समय निरीक्षण कर सकता है। इसमें पशुबाजार स्वामी की कोई आपत्ति न होगी।

09—नवीन पशु मेले, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी आयोजित करने के लिये शान्ति व्यवस्था हेतु सम्बंधित उप जिलाधिकारी एवं पुलिस विभाग तथा पशु पालन विभाग की आख्या प्राप्त होने के उपरान्त जिला पंचायत के लाईसेंस अधिकारी द्वारा लाईसेंस प्रार्थना पत्र पर विचार किया जायेगा एवं लाईसेंस अधिकारी के अनुमोदन के उपरान्त प्रदान की जायेगी।

10—नवीन पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी लगवाने के लिये अनिवार्य होगा कि प्रारम्भ करने की तिथि से एक माह (तीस दिन) के पूर्व जिला पंचायत से लाईसेंस प्राप्त कर ही संचालन करेंगे। लाईसेंस की अवधि 01 अप्रैल से प्रारम्भ होकर 31 मार्च तक होगी।

11—किसी पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी के स्थल से 08 कि०मी० की परिधि के अन्दर किसी दूसरे पशु मेले, पशु बाजार, पशु पैठ लगवाने का लाईसेंस नहीं दिया जायेगा।

प्रतिबंध यह है कि नियम उपविधि के लागू होने से पूर्व आयोजित हो रहे पशु मेलों, पशु बाजारों, पशु पैठों एवं पशु प्रदर्शनियों पर प्रभावी नहीं होगा।

12—जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में नवीन पशु मेलों, पशुबाजार, पशुपैठ एवं पशु प्रदर्शनी लगाने से पूर्व जिला पंचायत से अनुज्ञा प्राप्त करना अनिवार्य होगा। लाईसेन्स की अवधि वित्तीय वर्ष (01 अप्रैल से 31 मार्च तक) होगी। अनुज्ञाप्ति धारक द्वारा पशु मेलों, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी को अपने अनुज्ञा पत्र (लाईसेन्स) का नवीनीकरण लाईसेन्स अवधि पूर्ण होने पूर्व (31 मार्च) कराना होगा। अन्यथा की स्थिति में अनुज्ञा/लाईसेन्स का नवीनीकरण रु० 500/— (रु० पाँच सौ मात्र) प्रतिमाह की दर से भुगतान करने के पश्चात ही किया जायेगा। नवीनीकरण हेतु दिये गये प्रार्थना-पत्रों में लाईसेन्स संख्या, दिनांक तथा दिये गये लाईसेन्स शुल्क सहित अन्य वांछित विवरण अंकित करना होगा।

13—जो पशु मेले, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी पूर्व से लग रही हैं, उनके संचालन को इन उपविधियों के प्रकाशन के एक माह के अन्दर लाइसेंस बनवा लेना अनिवार्य होगा अन्यथा उपनियम संख्या-12 के अनुसार विलम्ब शुल्क जमा करने पर ही लाइसेंस जारी किया जायेगा।

प्रतिबंध यह है कि ग्राम पंचायतों द्वारा आयोजित पशु मेले, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी पर लगाये गये विलम्ब शुल्क को किसी स्थिति तक कम करने अथवा समाप्त करने का अधिकार लाइसेंस अधिकारी को होगा।

14—अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, बाराबंकी इन उपविधियों के अन्तर्गत लाइसेंस अधिकारी होंगे।

15—कोई व्यक्ति जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में किसी पशुबाजार, पशुपैठ एवं पशु प्रदर्शनी में क्रय—विक्रय पंजीकरण अधिकारी/अनुज्ञप्तिधारी अथवा उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा पंजीकरण कराये बिना नहीं कर सकेंगे। पशु मेलों, पशु बाजारों, पशु पैठों एवं पशु प्रदर्शनी में पशुओं के पंजीकरण/प्रवेश हेतु पंजीकरण अधिकारी/अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रति पशु रु0 20/— (रु0 बीस मात्र) प्रवेश शुल्क लिया जायेगा।

16—क—निजी पशु मेलों, पशु बाजारों, पशु पैठों एवं पशु प्रदर्शनी के अनुज्ञप्तिधारी का दायित्व होगा कि पंजीकरण के कार्य हेतु नियुक्त किये जाने वाले व्यक्ति का नाम, पिता का नाम, पूरा पता सहित पुलिस विभाग से सत्यापन कराकर उपरोक्त के सम्बंध में प्रार्थना पत्र जिला पंचायत, बाराबंकी को प्रस्तुत कराना अनिवार्य होगा। जिला पंचायत द्वारा इस निमित्त परिचय—पत्र जारी किया जायेगा। जो निरीक्षण के समय दिखाना अनिवार्य होगा।

ख—जिला पंचायत द्वारा संचालित पशु मेलों, पशु बाजारों, पशु पैठों एवं पशु प्रदर्शनी में जिला पंचायत के कर्मचारी को पंजीकरण अधिकारी का कार्य सौंपा जायेगा।

17—पंजीकरण अधिकारी/अनुज्ञप्तिधारी द्वारा नियुक्त व्यक्ति प्रत्येक पशु के बिक्री की रजिस्ट्री पशु देखकर तथा साक्ष्य लेकर ही करेगा। पंजीकरण अधिकारी प्रत्येक पशु की बिक्री का प्रमाणपत्र अपने हस्ताक्षर से विक्रेता को उ0प्र0 पुलिस रेगुलेशन के नियम 183(2) के अन्तर्गत पुलिस फार्म—54 में भरकर देगा तथा उसका प्रतिपुर्ण अपने पास सुरक्षित रखेगा। यदि किसी पशु का दूध पीता बच्चा साथ में हो तो एक ही बिक्री प्रमाणपत्र पर्याप्त होगा। एक प्रतिपुर्ण पर एक ही पशु की पंजीकरण की जायेगी। जिसकी पूर्ण विवरण उसमें अंकित होगा।

18—किसी भी पशु का पंजीकरण सूर्योदय के पूर्व और सूर्यास्त के पश्चात नहीं किया जा सकेगा।

19—निजी पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ, पशु प्रदर्शनी के स्वामी/प्रबंधक द्वारा उपविधि के प्राविधानों अथवा निरीक्षण दौरान दिये गये के आदेशों का पालन न करने पर संचालक या प्रबंधक को एक माह की नोटिस दी जायेगी और उसके उपरान्त भी प्रबंध ठीक नहीं होता है तो लाइसेंस अधिकारी की संस्तुति पर अध्यक्ष, जिला पंचायत, बाराबंकी द्वारा उक्त पशु मेला, पशु बाजार, पशुपैठ अथवा पशु प्रदर्शनी को नियम तिथि से अपने प्रबंध में लेने की समुचित आदेश जारी की जायेगी और जिला पंचायत द्वारा स्वयं अथवा ठेके पर उक्त का प्रबंध किया जायेगा। प्रतिबंध यह है कि उक्त अवधि तीन वर्ष से अधिक न होगी किन्तु अधवादित स्थितियों में जिला पंचायत के संकल्प से यह अवधि बढ़ाई जा सकती है।

उक्त व्यवस्था में होने वाली आय में से जिला पंचायत द्वारा निर्धारित समस्त प्रबंधकीय व्यय काटकर शेष धनराशि स्वामी/प्रबंधक को वापस कर दी जायेगी।

20—जिला पंचायत द्वारा नियुक्त ठेकेदार को किसी भी दशा में उपविधियों द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क वसूल करने का अधिकार नहीं होगा। उसे निर्धारित दरों पर ही वसूली करनी होगी।

21—पशुमेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी के स्वामी/प्रबंधक के लिये यह अनिवार्य होगा कि उनके द्वारा उ0प्र0 पुलिस रेगुलेशन के नियम 183(2) में निर्धारित पुलिस फार्म-54 पुस्तक नियमानुसार प्राप्त की जायेगी।

22—पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं प्रदर्शनी के ठेकेदार अथवा उसके द्वारा नियुक्त प्रबन्धक या अधिकृत अभिकर्ता के लिये आवश्यक होगा कि पशुओं के पंजीकरण तथा शर्तों की सूचियाँ पशुओं के पंजीकरण के बैठने के स्थान पर चिपका दें।

23—कोई भी व्यक्ति जिला पंचायत द्वारा संचालित अथवा किसी पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं प्रदर्शनी के संक्रामक रोग से पीड़ित पशु को नहीं ला सकेगा। तदर्थ नियुक्ति जिला पंचायत के अधिकारी पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी के ठेकेदार अथवा उसके द्वारा नियुक्त प्रबन्धक या अधिकृत अभिकर्ता का अधिकार होगा कि संक्रामक रोग से ग्रसित किसी भी पशु को प्रवेश न करने दें अथवा स्थल से बाहर निकाल दें।

24—कोई भी व्यक्ति या संस्था निर्धारित फीस देकर वर्णित अवधि के लिये जिला पंचायत से लाइसेंस प्राप्त किये बिना पशु मेला पशु बाजार, पशुपैठ एवं पशु प्रदर्शनी का आयोजन नहीं कर सकेगा। अन्यथा उसके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

25—जिला पंचायत, बाराबंकी द्वारा अनुज्ञा प्राप्त पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं प्रदर्शनी के संचालक को संचालित पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं प्रदर्शनी में पशुओं के लदान व उतरान हेतु अड्डों की व्यवस्था समुचित व सुविधाजनक स्वयं करनी होगी। किसी वाहन में निर्धारित पशुओं की संख्या से अधिक पशुओं का लदान नहीं किया जायेगा। अन्यथा उनके विरुद्ध कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

26—अनुज्ञापिधारी द्वारा पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं प्रदर्शनी में यातायात की सुरक्षा तथा मेले में यातायात की व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिये अड्डों के पास वाहन पार्किंग स्थल एवं पशुओं के लदान एवं उतराव के लिये अड्डा की व्यवस्था सुनिश्चित किया जायेगा। जिसमें वाहनों के आवागमन के लिए पर्याप्त स्थान हो।

27—पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी के लिये जिला पंचायत, बाराबंकी को निम्नांकित लाइसेंस शुल्क देय होगा, जो कि वार्षिक होगी।

(क) साप्ताहिक लगने वाली पशुबाजार/पशु प्रदर्शनी हेतु—

क्रमांक	अवधि	लाइसेंस शुल्क प्रतिवर्ष
1	2	3
1	बकरी, भेड़, आदि छोटे जानवरों की पशु बाजार	25,000.00
2	गाय, भैंस, घोड़ा अन्य बड़े जानवरों की पशु बाजार	1,00,000.00
3	बकरी, भेड़, आदि छोटे जानवरों व गाय, भैंस, घोड़ा अन्य बड़े जानवरों की सम्मिलित पशुबाजार	1,25,000.00
4	कृषि औद्योगिक/पशु प्रदर्शनी मेले (शासकीय मेलों को छोड़कर)	10,000.00

नोट: सप्ताह में एक से अधिक दिवस संचालन की अनुज्ञा के लिये लाइसेंस शुल्क सप्ताह में संचालन दिवसों के अनुसार गुणित किया जायेगा।

(ख) वर्ष में एक बार लगातार लगने वाली पशु बाजार/पशु प्रदर्शनी हेतु—

क्रमांक	अवधि	पूर्व स्वीकृत लाईसेंस शुल्क प्रतिवर्ष	संशोधित लाईसेंस शुल्क प्रतिवर्ष
1	2	3	4
1	वर्ष में एक बार 01 से 15 दिन तक लगातार लगने वाले पशु मेला/पशु बाजार।	10,000.00	15,000.00
2	वर्ष में एक बार 30 दिन तक लगातार लगने वाले पशु मेला/पशु बाजार।	20,000.00	30,000.00
3	वर्ष में एक बार 01 से 15 दिन तक लगातार लगने वाली पशु प्रदर्शनी।	3,000.00	5,000.00
4	वर्ष में एक बार 30 दिन तक लगातार लगने वाली पशु प्रदर्शनी।	—	10,000.00

नोट: वर्ष में एक बार लगातार 30 दिन से अधिक दिवस लगने वाले पशु मेले/पशु बाजार एवं पशु प्रदर्शनी की अनुज्ञा के लिये क्रमशः क0सं0-1 एवं 3 पर 15 दिवस के लिये लाईसेंस शुल्क के अनुसार गुणित किया जायेगा।

28—निजि पशु बाजारों/पशु मेलों/पशु पैठ/पशु प्रदर्शनी के अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पशुओं की बिक्री पर क्रेता एवं विक्रेता से आधा-आधा निम्न विवरण के अनुसार उपविधि में निर्धारित किये गये सुविधाओं/व्यवस्थाओं के लिये शुल्क लिया जायेगा।

(1)	पशु के विक्रय मूल्य रुपये 1000.00 तक	रुपया 50.00
(2)	पशु के विक्रय मूल्य रुपये 1001.00 से रुपये 5000.00 रुपये तक	रुपया 100.00
(3)	पशु के विक्रय मूल्य रुपये 5001.00 से रुपये 15000.00 रुपये तक	रुपया 200.00
(4)	पशु के विक्रय मूल्य रुपये 15000.00 से अधिक पर	रुपया 500.00

29—अनुज्ञप्तिधारी द्वारा जिला पंचायत से रवन्ना बुक (100 प्रतियों की) रु0 300.00 प्रति बुक जमा करने के पश्चात प्राप्त करके पशुओं के पंजीकरण हेतु प्रयोग में लायी जायेगी और पुस्तको का प्रतिपुर्ण जिला पंचायत कार्यालय में जमा करना होगा। जिसमें पशुओं के क्रेता व विक्रेता का अनुमन्य पहचान पत्र की संख्या भी अंकित की जायेगी। प्रति एक रवन्ना (पन्ने) में एक ही पशु का क्रय-विक्रय अंकित किया जायेगा तथा क्रय विक्रय किये गये पशुओं का विवरण एक रजिस्टर में अंकित किया जायेगा जिसका निरीक्षण किसी भी समय जिला पंचायत से अधिकृत अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा किया जा सकता है।

30—पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी में संक्रामक रोगों की रोकथाम तथा रोगग्रस्त पशुओं का प्रवेश निषिद्ध करने के लिये मेलों में आने वाले सभी प्रवेश मार्गों पर चेकिंग की व्यवस्था अनुज्ञप्तिधारी द्वारा जिला पंचायत तथा पशु चिकित्साधिकारी एवं पुलिस विभाग के सहयोग से की जायेगी।

31—पशुओं की जाँच के लिये जिला पंचायत की मॉग पर जिले के पशुधन विभाग द्वारा निर्विष्ट पशु चिकित्सा दल के प्रमाण-पत्र के पश्चात ही पशु मेलों, पशु बाजारों, पशु पैठों एवं प्रदर्शनी में पशुओं को प्रवेश निकासी की अनुमति दी जायेगी।

32—जिला पंचायत से अनुज्ञा प्राप्त संचालित पशु मेलों, पशु बाजारों, पशु पैठों एवं प्रदर्शनी में जिला पंचायत अथवा पशुधन विभाग द्वारा संचालक से चिकित्सा शिविर की स्थापना करायी जायेगी, जिसमें रोगी पशुओं के उपचार तथा प्रसूति की व्यवस्था होगी।

33—निजी पशुमेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी के स्वामी को जिला पंचायत के निर्देशानुसार यथोचित व्यवस्था करनी होगी। यदि वह ऐसी व्यवस्था नहीं करता है तो लाइसेंसिंग अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह जिला पंचायत की ओर ऐसी व्यवस्था कर सकता है और उस दशा में होने वाले व्यय को सम्बन्धित निजी संचालक से वसूल करेगा। वसूली राशि जमा न करने की दशा में भू-राजस्व के बकाये की भाँति वसूल किया जायेगा।

34—पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी को स्थापित या संचालित करने वाले प्रबन्धक अथवा लाइसेंस प्राप्त करने वाले व्यक्ति या जिला पंचायत द्वारा नियुक्त ठेकेदार का दायित्व होगा कि—

(क) पशु मेला पशु बाजार पशु पैठ अथवा पशु प्रदर्शनी स्वच्छ रखे।

(ख) पशुओं के चारे व पानी की उचित व्यवस्था कराये।

(ग) पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी में आने वाले व्यापारियों तथा ग्राहकों के लिये स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था कराये।

(घ) पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी स्थल पर प्रकाश एवं शौचालय तथा साफ—सफाई का समुचित व्यवस्था कराये।

(ङ) व्यापारियों के ठहरने के लिए भी शेड, छायादार स्थल एवं समुचित प्रबंध कराये।

(च) संक्रामक रोगों से बचने के लिये ब्लीचिंग पाउडर एवं डी0डी0टी0 का भी समुचित छिड़काव कराये।

(छ) जिला पंचायत के अधिकारियों, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों एवं पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारियों द्वारा मानव स्वास्थ्य चिकित्सा एवं पशु चिकित्सा के सम्बन्ध में दिये गये निर्देशों का पालन निजी पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी के स्वामी को करना अनिवार्य होगा।

35—जिला पंचायत द्वारा संचालित पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी में सुविधा के समस्त प्रबन्ध अपर मुख्य अधिकारी द्वारा जिला पंचायत के निर्देशानुसार किया जायेगा। इस प्रबन्ध व्यवस्था पर आने वाला व्यय जिला पंचायत द्वारा वहन किया जायेगा।

36—पशु परिवहन के मानकों, कय—विकय शुल्क, प्रवेश शुल्क तथा अन्य आवश्यक सूचनाओं के पशु बाजार के मुख्य प्रवेश एवं अन्य निर्दिष्ट स्थानों पर सूचना पट्टों से प्रदर्शित किया जायेगा।

37—निजी पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी लगाने हेतु स्वामी की लाइसेंस प्रार्थना पत्र के साथ (न्यूनतम भूमि 0.20 हे0) पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी का स्थल एवं क्षेत्रफल तथा चौहददी का पूर्ण विवरण दर्शाये हुये खसरा खतौनी की नकल के साथ आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा तभी उस पर विचार किया जायेगा। लाइसेंस अधिकारी यथा आवश्यकता पशुओं की संख्या के आधार पर आवश्यक भू-भाग क्षेत्र का निर्धारण कर सकेंगे। जो आबादी क्षेत्र व यातायात मार्ग से पर्याप्त दूरी पर होगा।

38—विशेष सचिव, पंचायतीराज अनुभाग—3 उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या यू0जी0 45/33—2—2002 दिनांक 12 जुलाई 2002, निदेशक, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या 1563—1725 दिनांक 27.12.2001, पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम—1960 के अधीन बनाये गये पशुओं के परिवहन नियम—1978 व पशुओं का पैदल परिवहन नियम—2001 एवं गोवंशीय पशुओं के विषय में बने उ0प्र0 गोवध निवारण अधिनियम—1955 तथा पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा। इसमें किसी प्रकार का उल्लंघन होने पर सम्बन्धित के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जायेगी।

39—शासन/प्रशासन द्वारा प्रतिबंधित पशुओं/जानवरों का पशु बाजार/पशु पैठ/पशु प्रदर्शनी में क्रय-विक्रय नहीं किया जायेगा। संक्रमण रोग से ग्रसित व बीमार पशुओं को बाजार/मेला स्थल से तत्काल हटाना होगा। किसी संक्रमित या बीमार पशु का क्रय-विक्रय नहीं किया जायेगा।

40—उपविधि की किसी भी धारा का पालन न किये जाने की स्थिति में पशु मेला पशु बाजार, पशु पैठ, पशु प्रदर्शनी के स्वामी अथवा संचालक द्वारा अधिकृत व्यक्ति के विरुद्ध लाइसेन्स अधिकारी की संस्तुति पर पुलिस विभाग/उप जिलाधिकारी स्तर से आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

41—उपविधि की कोई धारा प्रतिकूल होने की दशा में माननीय न्यायालय, अधिनियमों, नियमों एवं पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 तथा सम्बंधित शासकीय विभाग के आदेश मान्य होंगे। जिसका पालन करना अनिवार्य होगा।

42—लाईसेंस अधिकारी के किसी आदेश के विरुद्ध अध्यक्ष, जिला पंचायत, बाराबंकी को आदेश प्राप्ति के दिनांक से 30 दिन के अन्दर अपील की जा सकती है। इस सम्बन्ध में उनका निर्णय अन्तिम होगा।

दण्ड

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 की धारा 240 के अंतर्गत प्राप्त अधिकार का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत बाराबंकी यह निर्देश देती है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा इन उपविधियों का उल्लंघन करने पर उल्लंघनकर्ता रु0 1000/—अर्थदण्ड से दण्डित किया जा सकता है तथा दोष सिद्ध होने के पश्चात प्रत्येक दिन के लिये जिसमें उल्लंघन जारी रहा है रु0 10 (दस रुपये) प्रतिदिन के हिसाब से अर्थदण्ड दिया जा सकता है और अर्थदण्ड न अदा करने पर विधिक कार्यवाही कर 03 माह (तीन महीने) का कारावास दण्ड दिया जा सकता है।

निरसन

इस उपविधि के प्रभावी होने के दिनांक से इस विषय से सम्बंधित जिला पंचायत, बाराबंकी में पूर्व में प्रचलित उपविधियाँ निरस्त हो जायेंगी।

राजेश कुमार,
आयुक्त,
अयोध्या मण्डल, अयोध्या।

संशोधित मानचित्र उपविधि

15 दिसम्बर, 2025 ई0

सं0—स्था0नि0सहा0/इक्कीस—1(2025—26) 846—जिला पंचायत, बाराबंकी द्वारा जनपद बाराबंकी के ग्रामीण क्षेत्र, जो कि उक्त अधिनियम की धारा 2 (10) में परिभाषित हैं, में से इस क्षेत्र में स्थापित किसी विकास प्राधिकरण एवं उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की धारा 2 (डी) में घोषित औद्योगिक विकास क्षेत्र एवं विनियमित क्षेत्र नवाबगंज को हटाते हुए शेष ग्राम्य, क्षेत्र के अन्तर्गत बनने वाले सभी प्रकार के भवनों के नक्शों एवं निर्माण को नियन्त्रित एवं विनियमित करने के उद्देश्य से उपविधि प्रचलित है। जिसका प्रकाशन सरकारी गजट, उ0प्र0 में दिनांक 18 अप्रैल 2020 को हुआ है। उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (यथा संशोधित) की धारा—239(1) एवं धारा—239 (2) के साथ पठित अधिनियम की धारा—143 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके जिला पंचायत बाराबंकी द्वारा उक्त उपविधि के भाग (ड) की धारा (क), धारा (ख), धारा (ग), धारा (घ), धारा (ङ), धारा (ज), धारा (झ), व धारा (ञ) में संशोधन/संवर्धन कर “संशोधित मानचित्र उपविधि” तैयार की गयी है। जिसकी मैं, राजेश कुमार, आयुक्त, अयोध्या मण्डल, अयोध्या उक्त अधिनियम की धारा—242(2) के अन्तर्गत दी गयी शक्ति का प्रयोग कर पुष्टि करता हूँ, जो सरकारी गजट, उ0प्र0 में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगी।

प्रचलित उपनियम

संशोधित/संवर्धित उपनियम

(ड) नक्शे स्वीकृति की प्रचलित दरें

(क) आवासीय भवन एवं शैक्षणिक भवन सूची (1) के अनुसार जनपदों में सभी तलो पर फर्श से ढके भाग रुपये 50.00 प्रति वर्गमीटर, अन्य जनपदों में यह दर रुपये 25 प्रति वर्गमीटर होगी।

(ख) व्यावसायिक एवं व्यापारिक भवन सूची (1) के अनुसार जनपदों में सभी तलों पर फर्श से ढके भाग रुपये 100.00 प्रति वर्गमीटर अन्य जनपदों में यह दर रु0 50.00 प्रति वर्गमीटर होगी।

(ग) 1-भूमि की प्लाटिंग-भूमि को योजनाबद्ध तरीके से विभिन्न आकार के प्लाटों में बांटना है।

2-भूमि विकास-भूमि पर योजनाबद्ध तरीके से पार्क, उद्यान बनाना, फार्म हाउस विकसित करना लगाना, शादी बैंकट हाल आदि।

3-भूमि का उपभोग-भूमि का विभिन्न प्रकार के सामानों के भण्डारण हेतु प्रयोग करना जैसे- निर्माण सामग्री, कन्टेनर, ईंधन आर0सी0सी0 पाईप आदि।

4-किसी परियोजना का ले-आउट प्लान (तल पट मानचित्र)।

उपरोक्त ग (1) से (4) तक सूची (1) के अनुसार जनपदों में रु0 20.00 प्रति वर्गमीटर से जनपदों में यह दर रु0 10.00 प्रति वर्गमीटर होगी।

(घ) पुराने भवन को ध्वस्त करने के पश्चात् पुनः निर्माण करने की दशा में अनुज्ञा शुल्क की दरें नये भवन दरों में समान होंगी।

(ड.) स्वीकृत भवन के नक्शे में संशोधन होने की दशा में अनुज्ञा शुल्क की दरें नये भवन की दरों की चौथाई होंगी।

(ड) नक्शे स्वीकृति की प्रस्तावित दरें

(क) आवासीय भवन एवं शासकीय उपयोग हेतु भवन(कार्यालय, चिकित्सालय आदि) तथा शासकीय शैक्षणिक भवन जिला पंचायत बाराबंकी के नियंत्रणाधीन क्षेत्र में यह दर रुपये 50.00 (रुपये पचास) प्रति वर्गमीटर होगी।

(ख) व्यावसायिक एवं व्यापारिक तथा शैक्षणिक भवन, चिकित्सालय जिला पंचायत बाराबंकी के नियंत्रणाधीन क्षेत्र में यह दर रु0 100.00(रुपये सौ) प्रति वर्गमीटर होगी। तथा खुले क्षेत्रफल (शैक्षणिक छोड़कर) पर धारा-ग(3) के अनुसार शुल्क देय होगा।

(ग) 1-भूमि की प्लाटिंग-भूमि को योजनाबद्ध तरीके से विभिन्न आकार के प्लाटों में बांटना है।

2-भूमि विकास-भूमि पर योजनाबद्ध तरीके से पार्क, उद्यान बनाना, फार्म हाउस विकसित करना, शादी बैंकट हाल, अन्य भूमि विकास आदि।

3-भूमि का उपभोग-भूमि का विभिन्न प्रकार के सामानों के भण्डारण हेतु प्रयोग करना जैसे- निर्माण सामग्री, कन्टेनर, ईंधन आर0सी0सी0 पाईप, पार्किंग, सामान लोडिंग/अनलोडिंग, उद्यान, अन्य भूमि उपभोग आदि।

4-किसी परियोजना का ले-आउट प्लान (तल पट मानचित्र)।

उपरोक्त ग (1) से (4) तक जिला पंचायत बाराबंकी के नियंत्रणाधीन क्षेत्र में सम्पूर्ण क्षेत्रफल पर यह दर रु0 30.00 (रुपये तीस) प्रति वर्गमीटर होगी।

(घ) पुराने भवन को ध्वस्त करने के पश्चात् पुनः निर्माण करने की दशा में अनुज्ञा शुल्क की दरें नये भवन दरों के समान होंगी।

(ड.) स्वीकृत नक्शे में संशोधन (स्वीकृत क्षेत्रफल के अन्तर्गत) निर्माण प्रारम्भ करने से पूर्व होने की दशा में अनुज्ञा शुल्क की दरें नये भवन की दरों की आधी (1/2) होंगी परन्तु स्वीकृत क्षेत्रफल से इतर (तलो को बढ़ाया जाना, क्षेत्रफल में परिवर्तन/संशोधन, भवन के उपयोग में परिवर्तन)होने की दशा में अनुज्ञा शुल्क की दरें नये भवन के समान सम्पूर्ण क्षेत्रफल पर देय होगी तथा निर्माण प्रारम्भ होने के उपरान्त उपविधि की धारा (ज) के अनुसार समझौता शुल्क (compounding fees) भी रोपित किया जायेगा।

प्रचलित उपनियम

संशोधित/संवर्धित उपनियम

(च) बेसमेंट, स्टिल्ट, पोडियम सेवा क्षेत्र व अन्य आच्छादित क्षेत्र की अनुज्ञा शुल्क में गणना की जायेगी।

(च) बेसमेंट, स्टिल्ट, पोडियम सेवा क्षेत्र व अन्य आच्छादित क्षेत्र की अनुज्ञा शुल्क में गणना की जायेगी।

(छ) यदि स्वीकृति के नवीनीकरण का आवेदन, अनुज्ञा अवधि समाप्ति से पूर्व किया जाता है तो स्वीकृति नवीनीकरण की दरें मूल दरों की 10 प्रतिशत होंगी। एक बार में अनुज्ञा की अवधि एक वर्ष व अधिकतम दो वर्ष बढ़ाई जा सकती है। अनुज्ञा अवधि समाप्ति के पश्चात् नवीनीकरण की दरें मूल दरों की 50 प्रतिशत होंगी।

(छ) यदि स्वीकृति के नवीनीकरण का आवेदन, अनुज्ञा अवधि समाप्ति से पूर्व किया जाता है तो स्वीकृति नवीनीकरण की दरें मूल दरों की 10 प्रतिशत होंगी। एक बार में अनुज्ञा की अवधि एक वर्ष व अधिकतम दो वर्ष बढ़ाई जा सकती है। अनुज्ञा अवधि समाप्ति के पश्चात् नवीनीकरण की दरें मूल दरों की 50 प्रतिशत होंगी।

(ज) उपविधियों के अनुसार जिला पंचायत के नक्शों की स्वीकृति के बिना निर्माण करने किसी भूमि पर व्यवसाय करने स्वीकृत नक्शे से इतर निर्माण करने अथवा जिला पंचायत भवन उपविधि की किसी धारा या उपधारा का उल्लंघन करने पर अर्थ-दण्ड के रूप में समझौता शुल्क (compounding fees) रोपित किया जायेगा। समझौता शुल्क (compounding fees) प्रस्तावित भवन अथवा लेआउट प्लान (तल पट मानचित्र) पर परिस्थिति अनुसार कुल शुल्क की गणना का कम से कम 20 प्रतिशत से अधिकतम 50 प्रतिशत अतिरिक्त होगा। समझौता शुल्क (compounding fees) विभाग में जमा होने के उपरान्त पूर्व में निर्मित भवन के नक्शों की स्वीकृति प्रदान की जा सकती है। समझौता की कार्यवाही अधिनियम की धारा 248 में दी गई व्यवस्था से नियन्त्रित होगी।

(ज) उपविधियों के अनुसार जिला पंचायत के नक्शों की स्वीकृति के बिना निर्माण करने, किसी भूमि पर व्यवसाय करने स्वीकृत नक्शे से इतर निर्माण करने अथवा जिला पंचायत भवन उपविधि की किसी धारा या उपधारा का उल्लंघन करने पर अर्थ-दण्ड के रूप में समझौता शुल्क (compounding fees) रोपित किया जायेगा। समझौता शुल्क (compounding fees) प्रस्तावित भवन अथवा लेआउट प्लान (तल पट मानचित्र) पर परिस्थिति के अनुसार कुल शुल्क की गणना का कम से कम 20 प्रतिशत से अधिकतम 100 प्रतिशत अतिरिक्त होगा। समझौता शुल्क (compounding fees) विभाग में जमा होने के उपरान्त पूर्व में निर्मित भवन के नक्शों की स्वीकृति उपविधि की धाराओं के अनुसार होने की दशा में प्रदान की जा सकती है। समझौता की कार्यवाही अधिनियम की धारा 248 में दी गई व्यवस्था से नियन्त्रित होगी।

(झ) सूची (1) के अनुसार जनपदों में पूर्णता-पत्र (completion certificate) जारी करने की दरें 20 रु0 प्रति वर्गमीटर एवं अन्य जनपदों में 10 रु0 प्रति वर्गमीटर होगी। ये दरें सभी तलों के कुल आच्छादित क्षेत्रफल पर लागू होंगी।

(झ) जिला पंचायत बाराबंकी के नियंत्रणाधीन क्षेत्र में पूर्णता प्रमाण-पत्र (completion certificate) जारी करने की दरें रु0 25.00 (रुपया पच्चीस) प्रति वर्गमीटर होगी। ये दरें सभी तलों के कुल आच्छादित क्षेत्रफल पर लागू होंगी।

(ञ) सूची (1) के अनुसार जनपदों में बाउन्ड्री वाल स्वीकृति की दरें 10.00 रु0 प्रति मीटर व्यय अन्य जनपदों में 5.00 रु0 प्रति मीटर होगी।

(ञ) जिला पंचायत बाराबंकी के नियंत्रणाधीन क्षेत्र में बाउन्ड्री वाल स्वीकृति की दरें रु0 10.00 (रुपया दस) प्रति मीटर होगी।

नोट: (शुल्क निर्धारण हेतु भवन के सभी तलों पर फर्श के कुल क्षेत्रफल की गणना करनी होगी।)

उपविधि की कोई धारा प्रतिकूल होने की दशा में अधिनियमों, नियमों एवं पंचायतीराज विभाग उ0प्र0, सम्बंधित शासकीय विभाग के आदेश तथा प्रचलित राष्ट्रीय भवन संहिता मान्य होंगे तथा स्वीकृति अधिकारी के किसी आदेश के विरुद्ध अध्यक्ष, जिला पंचायत बाराबंकी को 30 दिन के अन्दर अपील की जा सकती है। इस सम्बन्ध में उनका निर्णय अन्तिम होगा।

राजेश कुमार,
आयुक्त,
अयोध्या मण्डल, अयोध्या।

जिला पंचायत हमीरपुर

उपविधि

18 दिसम्बर, 2025 ई0

सं0 334/21-एल0बी0ए0-उपविधि-उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत अधिनियम 1961 (यथासंशोधित) की धारा-142 एवं 143 के साथ पठित धारा-239 के अधीन दी गयी शक्ति का प्रयोग कर जिला पंचायत, हमीरपुर द्वारा जनपद हमीरपुर अथवा अन्य जनपदों के ग्रामीण क्षेत्र की नदियों या उनके तट से बालू, मोरम, रेत या अन्य खनिजों-गिट्टी, कोयला, बजरी, भस्सी, खारों के उद्गम स्थल से निकलने वाली मिट्टी को लेने, एकत्रित करने तथा उसे जिले में, जिले के बाहर व्यवसायिक उद्देश्य से परिवहन करने वाले शक्ति चालित वाहन या पशुचालित वाहन यथा ट्रैक्टर ट्रॉली, ट्रक, मिनी ट्रक, डम्पर, पशु गाड़ी या मानव चालित नौका को नियंत्रित एवं विनियमित करने हेतु 447/23-एल0बी0ए0 जिनकी पुष्टि आयुक्त, चित्रकूटधाम, मण्डल, बांदा द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 242 (2) में दी गयी शक्ति का प्रयोग कर की गयी थी। राजपत्र (गजट) में प्रकाशन के दिनांक 16 मार्च, 2015 से प्रभावी है। उक्त अधिनियम की धारा 239 में दी गयी व्यवस्थानुरूप जिला पंचायत, हमीरपुर के द्वारा उपविधि की धारा 06 में उल्लिखित शुल्क दरों में निम्नानुसार संशोधन किया गया है जो उक्त अधिनियम की धारा 242 में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग कर आयुक्त, चित्रकूटधाम, मण्डल, बांदा की पुष्टि उपरान्त राजकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी—

क्र0 सं0	परिवहन का माध्यम	वर्तमान में वसूली हेतु संशोधित एवं प्रभावी प्रभावी दरें (रूपये में)	दर (रूपये में)
1	2	3	4
1	पशुओं से खींची जाने वाली गाड़ी	25 प्रतिफेरी	25 प्रतिफेरी
2	मानव चालित नाव	50 प्रतिफेरी	50 प्रतिफेरी
3	ट्रैक्टर-ट्रॉली	120 प्रतिफेरी	120 प्रतिफेरी
4	ट्रक		
	(1) मिनीट्रक (लाइट गुड्स वेहिकिल्स)	230 प्रतिफेरी	230 प्रतिफेरी
	(2) ट्रक (लाइट गुड्स वेहिकिल्स 6 चक्का)	350 प्रतिफेरी	350 प्रतिफेरी
	(3) भारी ट्रक (हैवी वेहिकिल्स 10चक्का से अधिक परन्तु 18 चक्का से कम)	460 प्रतिफेरी	460 प्रतिफेरी
	(4) भारी ट्रक (हैवी वेहिकिल्स 18 चक्का या उससे अधिक)	460 प्रतिफेरी	600 प्रतिफेरी

सम्बन्धित उपविधियों के शेष उपबन्ध पूर्व में उ0प्र0 गजट में प्रकाशित उपरोक्त संदर्भित उपविधि दिनांक 16 मार्च, 2015 के अनुसार यथावत् रहेगी।

दण्ड

जिला पंचायत, हमीरपुर उ0प्र0, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 (यथा संशोधित) की धारा 240 के अर्न्तगत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये निर्देश देती है। कोई भी व्यक्ति, कम्पनी, पार्टनरशिप फर्म या संस्था इन उपविधियों को या उपविधि के किसी अंश का उल्लंघन करेगा/करेगी वह अर्थदण्ड से दण्डनीय होगा, जो रू0 1000 (एक हजार रू0) तक हो सकेगा, और जब ऐसा उल्लंघन जारी रहे तो अतिरिक्त अर्थदण्ड से दण्डनीय होगा जो प्रथम दोष सिद्ध के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिये जिसके बारे में यह सिद्ध हो जाये कि उसमें अपराधी अपराध करता रहा है रू0 50 (पचास रूपये) तक हो सकेगा, अथवा यदि अर्थ दण्ड का भुगतान न किया जाये तो कारावास से दण्डनीय होगा जो तीन मास तक हो सकेगा।

अजीत कुमार,
आयुक्त,
चित्रकूटधाम मण्डल, बांदा।



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 27 दिसम्बर, 2025 ई० (पौष 06, 1947 शक संवत्)

भाग 8

नगरपालिका परिषद्, नगर पंचायत, सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गांठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार-भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि।

NOTICE

No Legal Responsibility is accepted for the Publication of Advertisements/Public Notices in this Part of the Gazette of Uttar Pradesh. Persons Notifying the Advertisements/Public Notices will remain Solely, Responsible for the Legal Consequences and also for any other Misrepresentation etc.

By Order,
Director.

कार्यालय, नगर पालिका परिषद भदोही, जनपद भदोही

नगर पालिका परिषद, भदोही में टावर स्थापना, नियंत्रण एवं विनियमन सम्बन्धी उपविधि 2025

01 सितम्बर, 2025 ई०

सं० 1146/न०पा०प०भ०/2025-26-उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा-298 उसके साथ अंकित सूची 1 के अधीन शक्ति का प्रयोग करते हुये नगर पालिका परिषद, भदोही पालिका सीमान्तर्गत दूर संचार एवं टावर स्थापना नियंत्रण एवं विनियमन हेतु "नगर पालिका परिषद भदोही में टावर स्थापना, नियंत्रण एवं विनियमन सम्बन्धी उपविधि 2025" उपविधि बनाने का प्रस्ताव करता है उसका प्रारूप उक्त अधिनियम की धारा 301 की अपेक्षानुसार समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों की सूचना के लिए और उसके सम्बन्ध में आपत्तियों और सुझाव आमन्त्रित करने की दृष्टि से दो दैनिक समाचार-पत्र "दैनिक जागरण" व "ज्ञानशिखा" में दिनांक 06 अगस्त, 2025 ई० को प्रकाशित कराया गया था। जिसमें कोई भी आपत्ति एवं सुझाव नहीं प्राप्त हुये। उपविधि का प्रारूप नगर पालिका परिषद भदोही की बोर्ड बैठक दिनांक 17 जुलाई, 2025 के प्रस्ताव सं० 06 द्वारा पारित कर दिया गया है। तथा निर्धारित अवधि उपरान्त अन्तिम रूप से उक्त उपविधि का दो दैनिक समाचार-पत्र "अमर उजाला" व "हिन्दुस्तान" में प्रकाशन कराया जा रहा है, जो सरकारी गजट के प्रकाशन दिनांक से प्रभावी मानी जायेगी।

1—संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

- (1)— यह उपविधि नगर पालिका परिषद, भदोही टावर स्थापना, नियंत्रण एवं विनियमन उपविधि 2025 कही जायेगी।
- (2)— यह नगर पालिका परिषद, भदोही की सीमा में लागू होगी।
- (3)— यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

2—परिभाषायें

- (1)— जब तक विषय या सन्दर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो इस उपविधि में।
- (एक)— “अधिनियम” से तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 से है।
- (दो)— टावर से तात्पर्य रेडियों, दूरदर्शन मोबाइल फोन या अन्य फोन या दूर संचार सम्बन्धी अन्य माध्यमों के संकेतक या रश्मियो, भवन और संयोजन तथा संवाहकता स्थापित रखने हेतु निर्मित ऊँची संरचना से है।
- (तीन)— “सेवा प्रदाता” से तात्पर्य किसी कम्पनी, उसके कर्मचारी, अभिकर्ता अनुज्ञापी, संविदाकर्ता या अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों से है जिसके द्वारा अथवा निर्देशन अथवा पर्यवेक्षण में टावर लगाया जाना प्रस्तावित हो या लगाया गया हो,
- (चार)— भवन के अन्तर्गत मकान, घर के बाहर के कक्ष, झोपड़ी या अन्य घिरा हुआ स्थान या ढाँचा है, चाहे वह पत्थर, ईंट, लकड़ी, मिट्टी, धातु या अन्य वस्तु से बना हो और चाहे वह मनुष्यों को रहने के लिए या अन्यथा प्रयुक्त होता हो और इसके अन्तर्गत बरामदे, चबूतरे मकानों की कुर्सियाँ, दरवाजों की सीढ़ियाँ, दिवाल तथा हाते की दीवालें और मेड तथा ऐसे ही अन्य निर्माण भी हैं।
- (पाँच)— “भूमि” के अन्तर्गत ऐसी भूमि है जिस पर कोई निर्माण हो रहा अथवा निर्माण हो चुका है अथवा जो पानी से ढकी हो, भूमि से उत्पन्न होने वाले लाभ, भूमि से संलग्न किसी वस्तु से स्थायी सूत्र से बँधी हुई वस्तुये और वे अधिकार हैं जो किसी सड़क के सम्बन्ध में विधायन द्वारा सृजित हुए हो।
- (छ)— “नगर पालिका” से तात्पर्य नगर पालिका परिषद, भदोही के नाम से है।
- (सात)— “अधिशासी अधिकारी” का तात्पर्य “नगर पालिका परिषद, भदोही” के “अधिशासी अधिकारी” से है।

- (2)— इस नियमावली में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित और अधिनियम में परिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके लिए समनुदेशित हों।

3—प्रतिषेध

- (1)— अधिशासी अधिकारी या उत्तर प्रदेश पालिका केन्द्रियत राजस्व सेवा का अधिकारी जो कर अधीक्षक पद धारक से कम न हो या इनके द्वारा प्रधिकृत किसी अधिकारी से पूर्व में लिखित अनुज्ञा प्राप्त किए बिना कोई सेवा प्रदाता कम्पनी, कर्मचारी, अभिकर्ता, अनुज्ञापी या संविदाकर्ता या कोई व्यक्ति नगर पालिका की सीमा के भीतर किसी भूमि या भवन या वाहन पर कोई टावर या इसी प्रकार की अन्य संरचना जिससे किसी सामान्य प्रज्ञावाले व्यक्ति को टावर होने का आभास हो, न तो प्रतिष्ठापित करेगा न परिनिर्मित करेगा न खड़ा करेगा न गाडेगा।
- (2)— पालिका की सीमाओं के भीतर किसी भूमि या भवन का स्वामी या अन्य अधिभोग करने वाला कोई व्यक्ति अधिशासी अधिकारी की लिखित पूर्व अनुज्ञा के बिना ऐसे भूमि या भवन के किसी भाग पर कोई टावर न प्रतिष्ठापित करेगा, न परिनिर्मित करेगा, न खड़ा करेगा, न गाडेगा और नही किसी व्यक्ति कम्पनी संस्था या उसके कर्मचारी, अभिकर्ता या अनुज्ञापी को ऐसे भवन या भूमि पर कोई टावर न प्रतिष्ठापित करने देगा और न खड़ा करने देगा न गाडने देगा।
- (3)— कोई टावर इस रीति से स्थापित नहीं किया जायेगा जिससे यातायात अथवा समीपस्थ भवनों तथा उनके अध्यासियों को नागरिक सुविधाओं की उपलब्धता अथवा लोक सुरक्षा में किसी प्रकार का व्यवधान हो।

4-अनुज्ञा प्राप्त करने की प्रक्रिया

(1)- अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए प्रत्येक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रपत्र किया जायेगा जिसे 500 रुपये भुगतान करके नगर पालिका कार्यालय से या पालिका की वेबसाइट से डाउनलोड कर प्राप्त किया जा सकता है। नगर पालिका कार्यालय से प्राप्त आवेदन-पत्र प्रस्तुत करते समय आवेदन-पत्र के मूल्य की रसीद और वेबसाइट से डाउनलोड किया गया आवेदन-पत्र प्रस्तुत करते समय आवेदक उसके साथ आवेदन-पत्र के मूल्य का बैंकड्राफ प्रस्तुत किया जायेगा।

(2)- आवेदक द्वारा भारत सरकार के दूरसंचार विभाग द्वारा जारी अपेक्षित लाईसेन्स अथवा पंजीकरण प्रमाण-पत्र संलग्न किया जायेगा।

(3)- प्रत्येक आवेदन-पत्र में ऐसी भूमि, भवन या स्थान के सम्बन्ध में विस्तृत सूचना निहित होगी जहाँ ऐसी भूमि, भवन या स्थान के पास प्रस्तावित टावर प्रतिष्ठापित किया जाना, परिनिर्मित किया जाना, खड़ा किया जाना, गाड़ा जाना, चिपकाया जाना या लटकाया जाना वांछित हो।

(4)- आवेदन-पत्र के साथ टावर की प्रस्तावित संरचना के आकार का विवरण जिलाधिकारी या अधिशासी अधिकारी द्वारा अनुमोदित संरचना अभियन्ता से सुदृढ़ता सम्बन्धी रिपोर्ट, आवश्यक चित्र तथा संरचना संगणना प्रस्तुत की जायेगी।

(5)- आवेदक द्वारा भूमि अथवा भवन का स्वामित्व प्रमाण-पत्र आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत किया जायेगा यदि आवेदक ऐसी भूमि या भवन का स्वामी न हो तो आवेदन-पत्र के साथ ऐसी भूमि या भवन के स्वामी की लिखित अनुमति उसके स्वामित्व प्रमाण-पत्र एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत भवन के नक्शे की प्रमाणित प्रति आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत किया जायेगा। यदि आवेदक ऐसी भूमि या भवन का स्वामी न हो आवेदन-पत्र के साथ ऐसी भूमि या भवन के स्वामी की लिखित अनुमति उसके स्वामित्व प्रमाण-पत्र एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत भवन के नक्शे की प्रमाणित प्रति के साथ संलग्न करनी होगी।

(6)- भूमि या भवन के प्रत्येक स्वामी को यह लिखित समझौता करना होगा कि किसी व्यक्तिक्रम की स्थिति में वह टावर हेतु देय प्रत्येक प्रकार के शुल्क का भुगतान करने के लिए दायी होगा।

(7)- टावर से सम्बन्धित विवरण जैसे ऊँचाई भार भूतल पर स्थापित या छत पर एन्टिना की संख्या तथा अन्य अपेक्षित सूचनाएँ और विशिष्टियाँ अंकित की जायेगी।

(8)- आटोमोटिव रिसर्च एसोसियेशन आफ इण्डिया द्वारा डीजी जनरेटर सेट के निर्माता को जारी टाइप टेस्ट सर्टीफिकेट की प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जाना अपेक्षित होगा।

(9)- ऊँचे भवनों की दशा में अग्नि शमन विभाग से विलयरेन्स प्राप्त किया जायेगा।

(10)- संरक्षित वन क्षेत्र में वन विभाग की अनापत्ति वंछित होगी।

5-अनुज्ञा प्राप्त करने की शर्तें

(1)- किसी टावर को प्रतिष्ठापित करने परिनिर्मित करने खड़ा करने की अनुज्ञा निम्नलिखित निबन्धनों एवं शर्तों के अधीन प्रदान की जायेगी।

(क)- अनुज्ञा केवल उसी अवधि तक के लिए प्रभावी होगी जिस अवधि के लिए प्रदान की गयी हो बशर्ते शुल्क इस उपविधि के अधीन संदत्त और जमा किया गया हो।

(ख)- टावर को समुचित स्थितियों और दशाओं में रखा और अनुरक्षित किया जायेगा।

(ग)- प्रदान की गई अनुज्ञा अन्तरणीय नहीं होगी।

(घ)- सेवा प्रदाता कम्पनी या व्यक्ति ऐसी अवधि जिसके लिए अनुज्ञा दी गई थी की समाप्ति के एक सप्ताह के पूर्व अनुज्ञा नवीनीकरण हेतु निर्धारित शुल्क जमा करेगा। शुल्क न जमा करने की स्थिति में एक सप्ताह में टावर हटा दिया जायेगा।

(ड)– टावर अनुज्ञात स्थान पर ही प्रतिष्ठापित किये जायेंगे, परिनिर्मित किये जायेंगे, खड़े किये जायेंगे, गाड़े जायेंगे, चिपकाये जायेंगे या लटकाये जायेंगे। टावर किसी हेरिटेज/संरक्षित स्मारको/भवनों पर स्थापित नहीं किये जायेंगे।

(च)– टावर से समीपस्थ भवनों के आवागमन, प्रकाश और यातायात में बाधा उत्पन्न नहीं की जायेगी।

(छ)– लोकहित में अधिशासी अधिकारी उत्तर प्रदेश पालिका केन्द्रियत राजस्व सेवा का अधिकारी जो कर अधीक्षक पदधारक से कम न हो या इनके द्वारा इस निमित प्रधिकृत किसी अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह अनुज्ञा अवधि समाप्त होने से पूर्व भी अनुज्ञा-पत्र को निलंबित कर दे।

(ज)– ढाँचो अवलम्बों और पट्टियों सहित टावर को अज्वलनशील सामग्री से निर्मित किया जायेगा, समस्त धात्विक पूर्जों के वैद्यत भू आच्छादन की व्यवस्था की जायेगी और सभी वायरिंग सुरक्षित और रोधित रखी जायेगी।

(झ)– भूमि अथवा छत पी लगाने वाले बेस ट्रॉस रिसिविंग सिस्टम (बी0टी0एस0) के सम्बन्ध में भवन के ढाँचे की डिजाइन तथा टावर के आधार स्थायित्व और सृद्धता के प्रमाण-पत्र पर स्थानीय निकाय या राज्य सरकार या सी0बी0आर0आई0 रुडकी, आई0आई0टी0, एन आई0आई0टी0 या किसी अन्य संस्था के अधिकृत संरचना अभियंता द्वारा की गई लिखित आख्या अपेक्षित होगी।

(ञ)– किसी भवन के छत पर कोई टावर इस प्रकार प्रतिष्ठित नहीं किया जाएगा जिससे छत के एक भाग से दूसरे भाग में मुक्त प्रवेश में व्यवधान हो।

(ट)– कोई टावर किसी छत पर तब तक प्रतिष्ठापित नहीं किया जायेगा जब तक सम्पूर्ण छत अज्वलनशील सामग्री की न हो।

(ठ)– कोई टावर भवन के विद्यमान एलाइनमेंट से बाहर किसी भी दशा में नहीं बढ़ेगा।

(ड)– प्रत्येक टावर को पूर्णतया सुरक्षित रखा जाएगा। ऐसे भवन या संरचना जिस पर यह प्रतिष्ठापित या परिनिर्मित हो, का सम्पूर्ण भार भवन के संरचनात्मक भागों में सुरक्षित रूप से संवितरति होंगे।

(ढ)– विमान पत्तनों के समीप टावर स्थापन हेतु विमान पत्तन प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण-पत्र करना आवश्यक होगा।

(ण)– टावर के स्थापना हेतु प्रथम वरीयता वन क्षेत्र एवं द्वितीय वरीयता आबादी से दूर खुले या सार्वजनिक क्षेत्र को दिया जायेगा। टावर आवासीय क्षेत्रों में लगाने से बचा जाय किंतु जहाँ यह सम्भव न हो वहाँ यथा सम्भव खुली भूमि पर उसे स्थापित किया जाय।

(त)– टावर पर लगा एंटीना समीपस्थ भवन से न्यूनतम 03 मीटर दूरी और उसका निम्न धरातल अथवा छत से न्यूनतम 03 मीटर की ऊँचाई पर होगा।

(थ)– टावर की स्थापना किसी शैक्षिक संस्थान, अस्पताल परिसर अथवा संकरी गलियों (जिनकी चौड़ाई 05 मीटर से कम हो) में नहीं की जाएगी। टावर किसी अस्पताल अथवा शैक्षिक संस्था के 100 मीटर की त्रिज्या में भी स्थापित नहीं किए जायेंगे।

(द)– टावरों की स्थापना हेतु (भूमिगत या छत पर) एंटीना के ठीक सामने कोई बिल्डिंग इत्यादि होने की स्थिति में टावर/बिल्डिंग की न्यूनतम दूरी निम्नवत होगी—

क्रमांक	गुणज एन्टीनों की संख्या	एन्टीना से बिल्डिंग की सुरक्षित दूरी
1	2	3
		मीटर—
1	2	35
2	4	45
3	6	55
4	8	65
5	10	70
6	12	75

(घ)– क्षेत्र विशेष में कई कम्पनियों द्वारा ट्रांसमिशन स्थल वांछित होने पर उन्हें यथा सम्भव एक ही टावर पर स्थापित कराना होगा।

(न)– टावर अथवा उसपर स्थापित एंटीना तक सामान्य जन के पहुँच को समुचित तरीके जैसे कंटीले तार, छत पर जाने के दरवाजे अथवा बाउन्ड्री वाल बनाकर गेट पर ताला आदि लगा कर प्रतिबन्धित किया जायेगा। अनुरक्षण कर्मियों को भी यथासम्भव कम से कम अवधि के लिए टावर तक पहुँचने की अनुमति दी जायेगी।

(प)– टावर स्थल पर साइन बोर्ड उपलब्ध कराया जायेगा जो स्पष्ट दृष्टव्य होगा और चेतावनी चिन्ह स्थल के प्रवेश द्वार पर लगाया जाना चाहिए जिसमें स्पष्ट रूप में अंकित किया जाये–

1– विकिरण का खतरा, कृपया अन्दर प्रवेश न करें।

2– प्रतिबन्धित क्षेत्र।

(फ)– सेवा/अवस्थापना प्रदाता कम्पनियों द्वारा भारत सरकार के दूरसंचार विभाग (डॉट) के टर्म सेल द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार रेडिएशन के सभी नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायें।

(ब)– प्रत्येक सेवा/अवस्थापना प्रदाता कम्पनी उसके अभिकर्ता अनुज्ञापी कर्मचारी या स्वामी

द्वारा टावर स्थापना के समय स्थल के चारों ओर बेरीकेटिंग टिन आदि लगाकर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

(भ)– ऐसे स्थलों जहाँ यातायात हेतु दृष्ट्या में बाधा और व्यवधान उत्पन्न हो वहाँ टावर लगाने की अनुज्ञा नहीं दी जायेगी।

(म)– जहाँ इसमें स्थानीय नगरीय सुविधाये प्रभावित हो वहाँ अनुमति देय नहीं होगी।

(य)– आवेदक द्वारा विभिन्न संबंधित विभागों और प्राधिकारियों से आवश्यकतानुसार अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

(र)– टावर की स्थापना मरम्मत या संबन्धित अन्य कार्यों के सम्पादन के समय या पश्चात जन सुविधा का पूर्ण दायित्व आवेदक अथवा सेवा प्रदाता का होगा। किसी प्रकार की दुर्घटना

या क्षति और उसके परिणामों के लिए आवेदक या सेवा प्रदाता उत्तरदायी होगा।

(ल)– टावर पर किसी प्रकार का विज्ञापन सम्प्रदर्शित नहीं किया जा सकेगा।

(व)– भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्धारित अन्य नियम और शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

6–क्षतिपूर्ति बन्ध पत्र

प्रत्येक सेवा प्रदाता कम्पनी उसके अभिकर्ता, अनुज्ञापी, कर्मचारी या स्वामी द्वारा टावर या टावर की स्थापना से हुई दुर्घटना या किसी हानि के लिए क्षतिपूर्ति बन्ध पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।

7–सम्पत्ति कर का आरोपण

टावर के पास निर्मित जनरेटर कक्ष, उपकरण कक्ष, चौकीदार कक्ष, या अन्य कक्षों पर अधिनियम के सुसंगत प्राविधानों के अधीन सम्पत्ति कर का आरोपण किया जायेगा और अनुज्ञा शुल्क के साथ वसूला जायेगा।

8–अनुज्ञा की अवधि और नवीनीकरण

अनुज्ञा विनिर्दिष्ट अवधि के लिए होगी। प्रत्येक ऐसा अनुज्ञा या नवीनीकरण उसके जारी होने के दिनांक से अनधिक दो वर्ष की अवधि के लिए प्रदान की जायेगी।

9-टावर को हटाने की शक्ति

यदि कोई टावर इस उपविधि के उल्लंघन में प्रतिष्ठापित किया जाता है, परिनिर्मित किया जाता है, खड़ा किया जाता है, या गाड़ा जाना है, या लोकरक्षा के लिए परिसंकटमय या खतरनाक हो या सुरक्षित यातायात संचालन हेतु बाधा और अंशाति का कारण हो तो अधिशासी अधिकारी या उत्तर प्रदेश पालिका केन्द्रियत राजस्व सेवा का अधिकारी जो कर अधीक्षक पद धारक से कम न हो या इनके द्वारा निमित्त प्राधिकृत अधिकारी किसी नोटिस बिना उसे हटवा सकता है और जमा प्रतिभूति से निम्नलिखित धनराशियों को वसूल सकता है—

(एक)— टावर हटाये जाने का व्यय,

(दो)— ऐसी अवधि जिसके दौरान टावर प्रतिष्ठापित किया गया था परिनिर्मित किया गया था, खड़ा किया गया था, गाड़ा गया था के लिए हुई क्षति की धनराशि।

10-टावर पर निर्बन्धन

किसी संविदा या अनुबन्ध में अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी किसी टावर को प्रतिष्ठापित करने, परिनिर्मित करने, खड़ा करने या गाड़ने की अनुज्ञा निम्नलिखित स्थिति में नहीं दी जायेगी।

(क)— ऐसी रीति से और ऐसे स्थानों पर जिससे यातायात में बाधा उत्पन्न होती हो,

(ख)— राष्ट्रीय/राज्य राजमार्गों के यान मार्ग के छोर से 20 मीटर के भीतर,

(ग)— अन्य मार्गों के यानमार्ग के छोर से 10 मीटर के भीतर,

(घ)— ऐतिहासिक या राष्ट्रीय स्मारकों, सार्वजनिक भवनों चिकित्सालय, शैक्षिक संस्थाओं, सार्वजनिक कार्यालय और पूजा स्थलों के ऊपर,

(ङ)— जब इससे स्थानीय नागरिक सुविधायें प्रभावित और बाधित हो,

(च)— किसी परिसर के बाहर क्षेपित हो,

(छ)— राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा घोषित निषिद्ध क्षेत्र के भीतर हो।

11-निषिद्ध क्षेत्र की घोषणा

नगर पालिका राज्य सरकार या केन्द्र सरकार किसी स्थान या स्थानों, क्षेत्र या क्षेत्रों, को टावर प्रतिष्ठापित करने, परिनिर्मित करने, खड़ा करने या गाड़ने के लिए निषिद्ध घोषित कर सकती है।

12-अनुरक्षण

(1)— सभी टावर जिनके लिए अनुज्ञा अपेक्षित है, अवलम्बो, बेंधनी, रस्सा, और स्थिर के साथ भली प्रकार मरम्मत किये जायेंगे जो कि ढाँचागत और कलामत दोनों ही दृष्टिकोण से

होगी और यदि चमकीले प्रज्वलनशील सामग्री से निर्मित नहीं है, तो उन पर मोर्चा आदि से रोकने हेतु रंग रोगन किया जायेगा।

(2)— प्रत्येक सेवा प्रदाता कम्पनी उसके कर्मचारी अभिकर्ता अनुज्ञापी या व्यक्ति का यह कर्तव्य और दायित्व होगा कि वह टावर से अच्छादित परिसर में सफाई स्वच्छता और स्वास्थ्य सम्बन्धी परिस्थितियों का ध्यान रखें।

(3)— सेवा प्रदाता कम्पनी के अनुरोध पर विद्युत संयोजन प्राथमिकता के आधार पर किया जायेगा।

13—प्रवेश और निरीक्षण की शक्ति

अधिकांश अधिकारी या उत्तर प्रदेश पालिका केन्द्रियत राजस्व सेवा का अधिकारी जो कर अधीक्षक पदधारक से कम न हो या इनके द्वारा निमित्त प्रधिकृत कोई अधिकारी या सर्वे के कोई निरीक्षण खोज माप या जाँच करने के प्रयोजन के लिए या ऐसा कार्य निष्पादित करने के लिए जो इस उपविधि के अधीन हो किसी उपबन्ध के अनुसरण के सहायकों या श्रमिकों के साथ या उनके बिना किसी परिसर या उस पर प्रवेश कर सकता है।

14—शुल्क का निर्धारण तथा भुगतान की रीति

(1)— इस निमित्त वार्षिक शुल्क और प्रतिभूति एवं अन्य देय शुल्कों का निर्धारण सम्बन्धित नगर पालिका द्वारा किया जा सकेगा जो नगर पालिका सीमान्तर्गत न्यूनतम 25,000/— तक प्रति टावर प्रति वर्ष वार्षिक शुल्क एवं प्रतिभूति शुल्क अलग-अलग होगा।

(2)— वार्षिक शुल्क एकल किस्त में संदेय होगा। जबतक पूर्ण धनराशि का भुगतान न किया जाय तब तक किसी टावर को प्रतिष्ठापित करने परनिर्मित करने खड़ा करने गाड़ने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(3)— किसी कटौती के न होने पर प्रतिभूति की पूरी धनराशि और कटौती अथवा समायोजन होने पर अवशेष धनराशि अनुज्ञा समाप्त होने की तिथि से एक सप्ताह में वापस कर दी जायेगी।

(4)— यह शुल्क उन टावरों पर लागू नहीं होगा जिनको राज्य सरकार नगर पालिका द्वारा जन सुविधाएँ तथा सी0सी0टी0वी0 कैमरे प्रकाश यंत्र आदि लगाने के लिए उपयोग में लाया जा रहा हो।

5—शास्ति और अपराधों का प्रशमन

(1)— इस उपविधि के उपबन्धों का किसी प्रकार उल्लंघन ऐसे जुर्माने से जो निर्धारित वार्षिक शुल्क का 50 प्रतिशत तक हो सकता है, और उल्लंघन करते रहना की दशा में प्रथम उल्लंघन की सिद्धि के पश्चात प्रत्येक ऐसे दिन के लिए जिस दौरान ऐसा उल्लंघन जारी रहा ऐसे जुर्माने से 500/— रुपये प्रतिदिन हो सकता है, दण्डनीय होगा।

(2) इस उपविधि के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिए निर्धारित धनराशि के आधे से अन्यून और तीन चौथाई से अनाधिक धनराशि वसूल करने पर अधिकांश अधिकारी उत्तर प्रदेश पालिका केन्द्रियत राजस्व सेवा का अधिकारी जो कर अधीक्षक पदधारक से कम न हो द्वारा प्रशमित किया जा सकता है।

अध्यक्ष,
नगर पालिका परिषद,
भदोही

कार्यालय, नगर पंचायत जहाँगीरगंज, अम्बेडकर नगर

सीमान्तर्गत अवस्थित अचल सम्पत्तियों के अन्तरण पर संगत अधिनियमों के अन्तर्गत निबन्ध के समय वसूली गयी
2 प्रतिशत अतिरिक्त स्टाप ड्यूटी की धनराशि के सम्बन्ध में उपविधि का प्रकाशन

विधि का प्रकाशन

04 अगस्त, 2025 ई0

सं0 708/न0पं0जहाँ0/2% स्टा0शु0उपविधि प्रकाशन/2025-26—उत्तर प्रदेश, म्युनिस्पल्टीज एक्ट 1916 की धारा- 128 (1) के खण्ड- 13 (ख) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके नगर पंचायत जहाँगीरगंज, अम्बेडकर नगर ने नगर पंचायत की सीमा के अन्दर अवस्थित अचल सम्पत्तियों के अन्तरण लेखों पर कर लगाने के सम्बन्ध में दिनांक 16 अप्रैल, 2025 को अपने प्रस्ताव संख्या- 4(2) के क्रम में उप विधि तैयार कर संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन विभाग के शासनादेश संख्या क0नि0-5/391/11-2008-312(268)/2001 लखनऊ दिनांक 07 फरवरी, 08 के अनुपालन में निम्नलिखित उपविधि इस आशय से प्रकाशित की गयी थी। तत्क्रम में नगर पंचायत जहाँगीरगंज द्वारा बोर्ड दिनांक 16 अप्रैल, 2025 प्रस्ताव संख्या-04(2) द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया तत्क्रम में “दैनिक समाचार-

पत्र हिन्दुस्तान” दिनांक 31 मई, 2025 एवं “जनमोर्चा समाचार-पत्र” 31 मई, 2025 को प्रकाशित कराकर 30 दिवस के अन्दर आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किया गया निर्धारित समावधि 30 दिन के अन्दर कोई भी आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नहीं हुआ। निम्नवत उपविधि को गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी माना जायेगा—

नियमावली

1— यह नियमावली नगर पंचायत जहाँगीरगंज, अम्बेडकर नगर की सीमा के अन्तर्गत अवस्थित अचल सम्पत्तियों के अन्तरण पर निबन्धन के समय वसूली गयी 2% अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी की धनराशि सम्बन्धित नियमावली कहलायेगी।

2— नगर पंचायत जहाँगीरगंज की सीमान्तर्गत स्थित अचल सम्पत्ति हस्तान्तरण/लेखा हस्तान्तरण क्रय, विक्रय, हिवानामा, तबादलानामा या दान आदि पर भारतीय स्टाम्प के अन्तर्गत उनसे सम्बन्धित प्रलेखों का पंजीकरण (निबन्धन) जो कोई भी करायेगा, उन सभी व्यक्ति/व्यक्तियों पर नियमावली लागू होगी।

3— इस कर के अन्तर्गत सभी व्यक्तियों जिनका विवरण प्रस्तर-एक में दिया गया है सभी हस्तान्तरित हो जाने वाली अचल सम्पत्तियों के मूल्य पर स्टाम्प ड्यूटी के अतिरिक्त 2% (दो प्रतिशत) कर देय होगा, यह कर अचल सम्पत्तियों के विक्रय, हिवानामा, तबादलानामा, दान आदि के अवसर पर सम्बन्धित व्यक्ति/व्यक्तियों, जो स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान करेंगे तथा अतिरिक्त ड्यूटी के रूप में देय होगा।

4— नगर पंचायत जहाँगीरगंज की सीमान्तर्गत स्थित अचल सम्पत्ति का कोई भी हस्तान्तरण तब तक वैध नहीं माना जायेगा, जब तक कि उक्त अतिरिक्त ड्यूटी, जो इस नियमावली के द्वारा आरोपित है, की धनराशि अदा नहीं कर दी जाती है।

5— इस नियमावली के अन्तर्गत संगठित समस्त कर की धनराशि संग्रह चार्ज यदि कोई हो, काटकर नगर पंचायत के पक्ष में उपरोक्त शासनादेश दिनांक 07 फरवरी, 2008 द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार भुगतान किया जायेगा।

6. निबन्धक/सहायक निबन्धक, नगर पंचायत की सीमा के भीतर सम्पत्ति का पृथक् दस्तावेज रखेंगे, जिसमें वह शुल्क व कर (अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी) लिखेंगे।

7— निबन्धक/सहायक निबन्धक इण्डियन रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा- 64, 65 व 89 के अधीन प्राप्त प्रमाण-पत्रों की प्रतिलिपि प्राप्त कर इन्हें अपनी पुस्तक संख्या-1 में नत्थी करेंगे राजस्व अधिकारी शुल्क व कर लेखा भी इसी प्रकार रखेंगे।

8— निबन्धक/सहायक निबन्धक प्रत्येक माह विवरण-पत्र जिसमें वह शुल्क व कर के रूप में अपने द्वारा वसूली गयी धनराशि निम्नलिखित प्रारूप में लिखेंगे तथा निम्न की सूचनार्थ भेजेंगे।

प्रारूप

मदों का नाम	लेख-पत्रों की कुल संख्या	कुल उगाही गयी धनराशि	यू0पी0 म्यूनिस्पल्टीज एक्ट के अन्तर्गत शासनादेश सं0-क0नि0-5 391/11-2008-312(268)/2001 संस्थागत कर एवं निबन्धन अनुभाग-5 लखनऊ, दिनांक 07 फरवरी, 2008
1	2	3	4

1— निबन्धक महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

2— महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

3— अपर सचिव, राजस्व परिषद प्रयागराज।

4— अधिशाषी अधिकारी, नगर पंचायत जहाँगीरगंज, अम्बेडकर नगर।

9— नगर पंचायत के पक्ष में उगाही गयी कर की धनराशि प्रत्येक माह के अन्त में उक्त शासनादेश दिनांक 2008 के अनुसार सहायक स्टाम्प आयुक्त/वरिष्ठ कोषाधिकारी, अम्बेडकर नगर, नगर पंचायत के पी0एल0ए0 खाते में अन्तरण कर देंगे।

10— इस नियमावली के अधीन उगाही धनराशि के लेखों का निरीक्षण अधिशाषी अधिकारी/अध्यक्ष, अथवा उनके द्वारा अधिकृत किसी कर्मचारी द्वारा निबन्धक/सहायक निबन्धक के कार्यालय से करा सकेंगे।

शस्ति

म्युनिस्पल्टीज एक्ट, 1916 की धारा-299 के अन्तर्गत प्राप्त प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगर पंचायत जहाँगीरगंज, अम्बेडकर नगर निर्देश देती है, कि उपरोक्त किसी भी उपबन्ध का उल्लंघन करने पर अर्थ-दण्ड दिया जायेगा, जो एक हजार रुपये तक हो सकता है।

अधिशाषी अधिकारी,
नगर पंचायत जहाँगीरगंज,
अम्बेडकर नगर।

कार्यालय, नगर पंचायत जहाँगीरगंज, अम्बेडकर नगर

04 अगस्त, 2025 ई0

सं0 709/न0पं0जहाँ0/उपविधि/लाइसेन्स/2025-26—सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा-294 एवं 298 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगर पंचायत जहाँगीरगंज, जनपद-अम्बेडकर नगर द्वारा अपनी सीमा के अन्दर निम्नांकित लाइसेन्स उपविधि नियंत्रण एवं विनियमितीकरण उप नियमावली बनाती है। इस नियमावली को उक्त एक्ट की धारा- 301-क(1) के अन्तर्गत आपत्तियों एवं सुझाव आमंत्रित करने हेतु विज्ञापन का प्रकाशन कराया जा चुका है। तत्क्रम में नगर पंचायत जहाँगीरगंज द्वारा बोर्ड बैठक दिनांक 16 अप्रैल 2025 प्रस्ताव संख्या-04(2) द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृत प्रदान किया गया है। तत्क्रम में “दैनिक समाचार-पत्र अमर उजाला” दिनांक 31 मई, 2025 एवं “जनसैलाब समाचार-पत्र” 31 मई, 2025 को प्रकाशित कराकर 30 दिवस के अन्दर आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किया गया। निर्धारित समयावधि 30 दिन के अन्दर कोई भी आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नहीं हुआ। निम्नवत उपविधि को गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी माना जायेगा।

उप नियमावली, 2025

परिभाषा— किसी प्रसंग के प्रतिकूल न होने पर—

1— उपनियम से तात्पर्य नगर पंचायत जहाँगीरगंज, अम्बेडकर नगर के अन्दर लाइसेन्स फीस उपनियम ये है।

2— सीमा से तात्पर्य नगर पंचायत जहाँगीरगंज, अम्बेडकर नगर की क्षेत्राधिकार सीमा से है।

3— नगर पंचायत अधिकारी से तात्पर्य नगर पंचायत जहाँगीरगंज, जनपद-अम्बेडकर नगर के अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/अधिशाषी अधिकारी से है।

4— नगर पंचायत जहाँगीरगंज, बाजार सीमा के अन्दर जो भी दुकानदार या कोई भी अन्य व्यवसाय उद्योग चलायेगा या किसी प्रकार का ऐसा कार्य करेगा जो लाइसेन्स शुल्क नियमावली से आता है। उसे निर्धारित शुल्क अदा कर लाइसेन्स प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

5— अधिशाषी अधिकारी नगर पंचायत, जहाँगीरगंज के लाइसेन्स अधिकारी होंगे। जिनके द्वारा लाइसेन्स जारी किया जायेगा।

6— नगर पंचायत जहाँगीरगंज, बाजार की सीमा के अन्तर्गत कोई व्यवसायी बिना लाइसेन्स प्राप्त किये कोई व्यवसाय करते या उद्योग चलाते पाया गया तो लाइसेन्स अधिकारी को दण्डात्मक कार्यवाही करने का पूर्ण अधिकार होगा।

7— लाइसेन्स अधिकारी अपने अधिनस्त किसी अन्य कर्मचारी या कर्मचारियों को लाइसेन्स जारी करने हेतु अधिकृत कर सकता है।

8— लाइसेन्स की अवधि केवल एक वित्तीय वर्ष (01 अप्रैल से 31 मार्च) तक होगी अवधि समाप्त होने पर एक सप्ताह पूर्व ही नियत शुल्क जमा कर पुनः लाइसेन्स प्राप्त करना होगा।

9— अगर कोई व्यवसायी ऐसा कोई उद्योग लगाता या परिवर्तन करता है। जो जन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो ऐसी सूचना मिलने पर जाँच की जा सकती है और लाइसेन्स निरस्त किया जा सकता है।

10— इस हेतु निर्धारित दरों का दो-तिहाई के अद्यतन के आधार पर छपी दरों का दृष्टिगत रखते हुए एवं शा0सं0-161सीएम/नौ-9-97-23ज/97 दिनांक 16 दिसम्बर, 1997 में निर्धारित दरों के अनुसार नगर पंचायत, हैसर बाजार धनघटा, जनपद-संत कबीर नगर में मदवार लाइसेन्स की दरें निम्नवत होगी—

क्र० सं०	लाइसेन्स की मद	निर्धारित वार्षिक दरें
1	2	3
		रुपये
	होटल रेस्टोरेन्ट	
1—	होटल लाजिंग तथा गेस्ट-हाउस बारात घर	15,000.00
2—	ढाबा/रेस्टोरेन्ट/जलपान गृह	5,000.00
3—	स्वास्थ्य सेवा—	
	(क)— प्राइवेट अस्पताल/नर्सिंग होम/प्रसूति गृह (20 बेड तक)	15,000.00
	(ख)— प्राइवेट अस्पताल/नर्सिंग होम/प्रसूति गृह (20 बेड से 50 बेड तक)	25,000.00
	(ग)— प्राइवेट अस्पताल/नर्सिंग होम/प्रसूति गृह (50 बेड से ऊपर तक)	35,000.00
	(घ)— एक्सरे/अल्ट्रासाउन्ड सेन्टर/पैथोलॉजी सेन्टर	10,000.00
	(ङ)— प्राइवेट क्लीनिक/डिस्पेन्सरी/डेंटल क्लीनिक	5,000.00
	(च)— मेडिकल स्टोर (एलोपैथिक/आयुर्वेदिक/होम्योपैथिक एवं पशुओं की दवाइयों की दुकान)	5,000.00
4—	परिवहन—	
	(क)— ट्रान्सपोर्ट एजेन्सी (वाहन सहित)	12,000.00
	(ख)— ट्रान्सपोर्ट एजेन्सी (बिना वाहन)	5,000.00
5—	बस/ट्रक	2,500.00

1	2	3
		रुपये
6-	मिनी बस/टैक्सी, जीप, टाटा मैजिक, विन्जर आदि रामतुल्य वाहन	2,000.00
7-	अन्य चार पहिया वाहन (व्यवसायिक प्रयोग हेतु समस्त वाहन)	1,500.00
8-	आटो-रिक्शा 7 सीटर तक/आटो रिक्शा (माल वाहक)/ई-रिक्शा	600.00
9-	ठेला (इंजन चालित)/ट्रैक्टर-ट्राली (व्यवसायिक प्रयोग)	500.00
10-	रिक्शा ठेला (माल/आइसक्रीम)/रिक्शा/तांगा/बैलगाड़ी	250.00
11-	मोटर/मोटर साइकिल/स्कूटर/मोपेड गैरेज (रिपेयरिंग/सर्विसिंग)	1,500.00
12-	मोटर वाहन एजेन्सी (सेल्स, सर्विस एवं स्पेयर)	10,000.00
13-	दो पहिया वाहन की एजेन्सी (सेल्स, सर्विस एवं स्पेयर)	6,000.00
14-	साइकिल की दुकान (सेल्स, सर्विस एवं स्पेयर)	1,000.00
15-	मोटर एवं दोपहिया का टायर एवं पन्चर, मरम्मत आदि अन्य सम्बन्धित दुकान जो कि इस श्रेणी में सूचीबद्ध नहीं हैं।	500.00
	अन्य व्यवसाय-	
16-	हाउसिंग, लीजिंग, रिज्यूडरी नॉन बैंकिंग फाइनेन्स, कम्पनी, चिट फण्ड एवं इन्श्योरेंस कं0 प्रति शाखा	9,000.00
17-	आर्किटेक्ट कन्सलटेन्ट/बिल्डिंग डिजाइनर (इस्टीमेटर एवं वैल्युअर आदि।)	3,000.00
18-	आइस, कोल्ड ड्रिक्स, सोडा वाटर एवं मिनरल वाटर के निर्माता/विक्रेता/एजेन्सी	5,000.00
19-	देशी शराब (प्रति दुकान)	7,000.00
20-	(क) आबकारी विभाग द्वारा अनुज्ञापित विदेशी/अंग्रेजी शराब एवं बियर की दुकान	12,000.00
	(ख) आबकारी विभाग द्वारा अनुज्ञापित मॉडल शॉप/बार/बियर बार (बैठकर विदेशी/अंग्रेजी शराब एवं बियर पीने एवं खाने की सुविधा युक्त दुकान)	15,000.00
21-	तम्बाकू, गुटखा, पान मसाला एवं पान मैटीरियल्स की दुकान	5,000.00
22-	किराना की दुकान/जनरल स्टोर	1,200.00
23-	(क) इलेक्ट्रिकल्स स्टोर	1,200.00
	(ख) इलेक्ट्रानिक्स उपकरणों का सेल्स स्टोर/शोरूम/गोदाम	2,000.00
24-	कपड़ा/रेडीमेड कपड़ा की दुकान/जूता की दुकान	1,200.00
25-	ज्वेलरी की दुकान	2,000.00
26-	कम्प्यूटर, मोबाइल, टी0वी0, फ्रिज व अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरणों की सर्विस व मरम्मत तथा चिप, मोबाइल टैरिफ, रिचार्ज, ई-टापअप आदि की दुकान।	1,500.00
27-	(क) किताब, कापी, लेखन सामग्री, मैगजीन, न्यूज पेपर आदि की दुकान एवं एजेन्सी	500.00
	(ख) फोटो कापी एवं लेमिनेशन, कम्प्यूटर टाइपिंग तथा रोजगार एवं अन्य फार्म आदि के बिक्री की दुकान	600.00
	(ग) कॉल सेन्टर/पी0सी0ओ0/फैक्स/फोटोग्राफी एवं फोटो फ्रेमिंग आदि की दुकान	500.00
	(घ) प्रिन्टिंग प्रेस/छपाई की दुकान/पलेक्स एवं बैनर प्रिन्टिंग की दुकान	2,000.00

1	2	3
		रुपये
28—	(क) ग्रेनाइट/मार्बल/बिल्डिंग मैटेरियल्स (गिट्टी, मोरंग, बालू, सीमेन्ट व सरिया आदि की दुकान)	5,000.00
	(ख) हार्डवेयर, टाइल्स, प्लम्बरिंग व सेनेटरी आइटम, चूना, पेन्ट्स व प्लाई की दुकान	5,000.00
	(ग) बॉस, बल्ली, पटरा आदि की बिक्री एवं किराये पर देने की दुकान	500.00
29—	आटो मोबाइल्स/कृषि मशीनरी पार्ट्स स्टोर	1,000.00
30—	(क) लोहे के सामानों की दुकान	1,000.00
	(ख) बर्तन, क्राकरी आदि की दुकान	1,500.00
31—	(क) टेण्ट हाउस	3,000.00
	(ख) बिजली सजावट/रोड लाइट/डी०जे०/साउन्ड सर्विस आदि	2,400.00
32—	पेट्रोल/डीजल एवं सी०एन०जी०/पी०एन०जी०/एल०पी०जी० पम्प एवं कुकिंग गैस एजेन्सी	6,000.00
33—	(क) ब्यूटी पार्लर, हेयर कटिंग सैलून आदि	1,000.00
	(ख) सौन्दर्य प्रसाधन की दुकानें	1,000.00
34—	(क) मिठाई एवं पेठा के निर्माता एवं विक्रेता	1,000.00
	(ख) कैटर्स, बेकर्स, चाट, बतासा व अन्य नमकीन/रेडीमेड मिठाईयों आदि की दुकान	1,000.00
	(ग) बकरा, मुर्गा व मुर्गी के मांस की दुकान	2,000.00
	(घ) गोट फार्म, पोल्ट्री फार्म एवं अण्डा की दुकान	1,500.00
	(ङ) सब्जी/फल की थोक दुकान	1,500.00
	(च) सब्जी/फल की फुटकर दुकान/मौसमी फलों व गन्ने के जूस	600.00
35—	अनाज, दलहन, तिलहन, तेल, वनस्पति घी, देशी घी, चीनी, गुड़ व खाँड़सारी की थोक दुकान	2,000.00
36—	(क) स्पेलर/तेल मशीन, दाल मशीन	1,200.00
	(ख) आटा चक्की, आरा मशीन, लकड़ी विक्रेता, लकड़ी के सामनों, फर्नीचर्स आदि का निर्माण एवं बिक्री	1,200.00
	(ग) प्लास्टिक ट्रेडर्स, खिलौना, चूड़ी व बिसात खाना	2,000.00
	(घ) टेलरिंग शॉप (दो सिलाई मशीन एवं उससे अधिक)	200.00
	(ङ) कबाड़ की दुकान	2,000.00
37—	मसाले की थोक व फुटकर दुकान	500.00
38—	इन्जीनियरिंग वर्क्स, फैब्रीकैटर्स एवं खराद की दुकान	1,000.00
39—	(क) रसायनिक खाद (फर्टिलाइजर), कृषि रक्षा रसायन/कीटनाशक आदि की दुकान	2,000.00
	(ख) सब्जी, फल एवं अनाज के बीज की दुकान	1,000.00
	(ग) गोदाम	2,000.00
	(घ) सूचीबद्ध दुकानों के अतिरिक्त अन्य समस्त व्यवसाय से सम्बन्धित दुकाने	500.00

दण्ड

उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम-1916 (की उपधारा (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगर पंचायत जहाँगीरगंज, जनपद अम्बेडकरनगर यह प्राविधान करती है कि उपविधियों का उल्लंघन करने पर सम्बन्धित व्यक्तियों पर दोष सिद्ध होने न्यायालय द्वारा रु0 2,000.00 (दो हजार रुपये मात्र) तक अर्थदण्ड आरोपित किया जायेगा जो प्रथम बार दोष सिद्ध होने की तिथि से प्रत्येक दिन के लिए यदि सिद्ध होता है कि अपराधी ने अपराध जारी रखा है तो रु0 100.00 (एक सौ मात्र) प्रतिदिन की दर से अर्थदण्ड आरोपित किया जा सकता है। अर्थदण्ड की धनराशि न चुकाने पर छः माह तक के कारावास से दण्डित किया जा सकता है।

सुनीता
अध्यक्ष,
नगर पंचायत जहाँगीरगंज,
अम्बेडकरनगर।

कार्यालय, नगर पंचायत जहाँगीरगंज, अम्बेडकरनगर

गृहकर

04 अगस्त, 2025 ई0

सं0 710/न0पं0जहाँ0/2024-25—सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उ0प्र0 शासन, नगर विकास अनुभाग-9 द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 912/नौ-9-24ज/05टी0सी0-1 लखनऊ दिनांक 28 जून, 2024 के द्वारा उत्तर प्रदेश नगर पालिका (भवन व भूमि या दोनों के वार्षिक मूल्य पर कर) नियमावली-2024 को अन्तिम रूप से प्रख्यापित कर दिया गया है यह नियमावली उत्तर प्रदेश के समस्त नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों पर लागू होती है। उक्त नियमावली के अन्तर्गत अधिशासी अधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये नगर पंचायत जहाँगीरगंज अम्बेडकरनगर की भौगोलिक सीमाओं में स्थित आवासीय भवनों या भूखण्डों पर सम्पत्ति कर आरोपण हेतु वार्ड की अवस्थिति, भवन के निर्माण की प्रकृति, मार्ग की चौड़ाई जिस पर सम्पत्ति स्थित है, के कवर्ड एरिया की प्रति वर्ग फीट किराये की न्यूनतम मासिक किराया दर को आवासीय सम्पत्तियों के कर निर्धारण के निर्मित वार्षिक किराया मूल्य के निर्धारण हेतु कक्ष कर भवन के कारपेट एरिया (वास्तवित माप आधारित) अथवा कवर्ड एरिया का 80 प्रतिशत की प्रति ईकाई क्षेत्रफल (वर्ग फुट) या भूमि के प्रत्येक समूह के लिये प्रति ईकाई क्षेत्रफल न्यूनतम मासिक किराया क्षेत्रफल न्यूनतम मासिक किराया दर को बोर्ड बैठक दिनांक 16 अप्रैल, 2025 के प्रस्ताव संख्या 04(2) द्वारा अनुमोदन के उपरान्त जनमानस के अवलोकनार्थ एवं वार्डवार आपत्तियां प्राप्त करने हेतु दिनांक 31 मई, 2025 को प्रमुख दैनिक समाचार-पत्र अमर उजाला एवं जनसैलाब में प्रकाशित कराया गया है, आपत्ति हेतु 15 दिवस का समय निश्चित किया गया है। निर्धारित अवधि में किसी भी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ। वार्डवार मासिक किराया प्रतिवर्ग फुट दरों की सूचना निम्नवत है—

भवन/भूमि की श्रेणी	0 से 09 मीटर चौड़े मार्ग पर		09 से 12 मीटर चौड़े मार्ग पर		12 से 24 मीटर चौड़े मार्ग पर		24 मीटर से अधिक चौड़े मार्ग तक		
	सर्किल रेट मु0	सर्किल रेट मु0	सर्किल रेट मु0	सर्किल रेट मु0	सर्किल रेट मु0	सर्किल रेट मु0	सर्किल रेट मु0	सर्किल रेट मु0	
	9000.00	15000.00	9000.00	15000.00	9000.00	15000.00	9000.00	15000.00	
	या कम की दर	या कम की दर	या कम की दर	या कम की दर	या कम की दर	या कम की दर	या कम की दर	या कम की दर	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	रु0	रु0	रु0	रु0	रु0	रु0	रु0	रु0	रु0
कच्चा	0.12	0.15	0.15	0.20	0.20	0.25	0.25	0.35	
अन्य पक्का	0.25	0.35	0.35	0.45	0.45	0.65	0.65	0.80	
पक्का	0.30	0.40	0.40	0.50	0.50	0.75	0.75	1.00	
भूमि	0.10	0.12	0.12	0.15	0.15	0.20	0.20	0.35	

नोट—

1— अधिसूचना के प्रस्तर-5(2) के अधीन उल्लिखित सूची के अनुसार व्यवसायिक भवन/भूमि सामान्य दर का दो गुना, एवं सरकारी भवन/भूमि सामान्य दर का तीन गुना होगा।

2— अधिसूचना के प्रस्तर-7 के अधीन भवन/भूमि के वार्षिक मूल्य की गणना की जायेगी, वार्षिक मूल्य का 10 प्रतिशत सामान्य गृहकर, 7.50 प्रतिशत जलकर, तथा 2.50 प्रतिशत जलनिकास कर लागू होगा।

अधिशायी अधिकारी,
नगर पंचायत जहाँगीरगंज,
अम्बेडकरनगर।

कार्यालय नगर पंचायत जहाँगीरगंज, जनपद अम्बेडकरनगर

टैक्सी स्टैण्ड शुल्क वसूली हेतु उपनियमावली

20 अगस्त, 2025 ई0

सं0 732/न0पं0जहाँ0/2025-26—उ0प्र0 नगर पालिका का ऐक्ट 1916 की धारा 128(1) के खण्ड 13(ख) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके नगर पंचायत जहाँगीरगंज, जनपद अम्बेडकरनगर में नगर पंचायत की सीमान्तर्गत टैक्सी/बस स्टैण्ड की शुल्क वसूली हेतु निम्नलिखित उपविधि तैयार की गयी है। इस नियमावली को उक्त ऐक्ट की धारा 301-क(1) के अन्तर्गत आपत्तियों एवं सुझाव आमंत्रित करने हेतु प्रकाशित कराया जा चुका है। तत्क्रम में नगर पंचायत जहाँगीरगंज द्वारा बोर्ड दिनांक 16 अप्रैल, 2025 प्रस्ताव संख्या-04(2) द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया तत्क्रम में दैनिक समाचार-पत्र हिन्दुस्तान दिनांक 31 मई, 2025 एवं परिधि न्यूज समाचार-पत्र 31 मई, 2025 को प्रकाशित कराकर 30 दिवस के अन्दर आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किया गया निर्धारित समाधि 30 दिन के अन्दर कोई भी आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नहीं हुआ। निम्नवत उपविधि को गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी माना जायेगा।

नियमावली

1— यह नियमावली नगर पंचायत जहाँगीरगंज, अम्बेडकरनगर की सीमान्तर्गत टैक्सी/बस स्टैण्ड की शुल्क वसूली किये जाने से सम्बन्धित उपविधि कहलायेगी।

2— नगर पंचायत का तात्पर्य नगर पंचायत जहाँगीरगंज, अम्बेडकरनगर से है।

3— अधिशायी अधिकारी/अध्यक्ष से तात्पर्य अधिशायी अधिकारी/अध्यक्ष नगर पंचायत जहाँगीरगंज अम्बेडकरनगर से है।

4— नगर पंचायत जहाँगीरगंज, अम्बेडकरनगर सीमान्तर्गत चलने वाले समस्त सवारी वाहन को नगर पंचायत जहाँगीरगंज अम्बेडकरनगर द्वारा निर्धारित स्टैण्ड स्थल पर ही खड़ा किया जायेगा।

5— कोई भी सवारी टैक्सी/वाहन सार्वजनिक रोड़ पर नहीं खड़ा किया जायेगा।

6— टैक्सी/बस स्टैण्ड की शुल्क वसूली हेतु ठेका 1 वर्ष की अवधि हेतु किया जायेगा, जो माह अप्रैल से आगामी 31 मार्च तक माना जायेगा।

7— यदि निर्धारित अवधि में/समय से टैक्सी/बस स्टैण्ड का ठेका संपादित नहीं हो पाता है, तो ठेका संपादित हो जाने की अवधि तक टैक्सी/बस स्टैण्ड की शुल्क वसूली का कार्य नगर पंचायत अपने कर्मचारियों से अथवा उक्त कार्य हेतु नियुक्त अलग से कर्मचारी से वसूली की कार्यवाही की जायेगी।

8— ठेका प्राप्तकर्ता को निर्धारित रेट के अनुसार ही टैक्सी/बस स्टैण्ड की शुल्क वसूली की जायेगी।

9— सम्बन्धित ठेकेदार को सम्बन्धित वाहनों से वसूली की गयी धनराशि की रसीद वाहन स्वामियों/वाहन चालकों को दी जायेगी, तथा रसीद की द्वितीय प्रति अपने पास सुरक्षित रखी जायेगी।

10— टैक्सी/बस स्टैण्ड के सम्बन्ध में यदि कोई वाद/मुकदमा दायर होता है तो उसका समस्त खर्च ठेका प्राप्तकर्ता को वहन करना होगा।

11— ठेका प्राप्तकर्ता को टैक्सी/बस स्टैण्ड वसूली के पूर्व 100 रु0 मात्र का स्टाम्प पेपर प्रस्तुत कर नगर पंचायत जहाँगीरगंज से अनुबंध कराया जाना आवश्यक होगा।

12— सम्बन्धित ठेकेदार को ठेका/नीलामी की धनराशि के अनुसार नियमानुसार स्टाम्प देय होगा।

13— ठेका/नीलामी प्राप्तकर्ता द्वारा यदि अलग से व्यक्ति रखकर वसूली की कार्यवाही की जाती है तो सम्बन्धित वसूलीकर्ताओं की सूची फोटो सहित कार्यालय नगर पंचायत जहाँगीरगंज, अम्बेडकरनगर में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

14— ठेकेदार द्वारा अथवा ठेकेदार द्वारा रखे गये वसूली कर्मचारियों के स्तर से यदि निर्धारित रेट के अतिरिक्त अधिक धनराशि वसूली जाती है तो, अधिशाषी अधिकारी/अध्यक्ष को यह अधिकार होगा, ठेकेदार को ऐसा न करने के लिए नोटिस जारी करें, नोटिस में दिये गये आदेशों की अवज्ञा किये जाने की दशा में अधिशाषी अधिकारी/अध्यक्ष उक्त ठेका/नीलामी को बीच में ही निरस्त किये जाने की कार्यवाही कर सकते हैं, अथवा टैक्सी/बस स्टैण्ड की शुल्क वसूली की कार्यवाही नगर पंचायत कर्मचारियों से करायी जा सकती है या पुनः स्टैण्ड की नीलामी की कार्यवाही संपादित करायी जा सकती है।

15— ठेका/नीलामी प्राप्तकर्ता को निम्नलिखित विवरण के अनुसार वाहनों से दैनिक शुल्क वसूली की कार्यवाही निर्धारित रेट के अनुसार की जायेगी।

क्रम सं०	वाहन का प्रकार	दैनिक वसूली का दर (प्रतिवाहन/प्रतिदिन)	अन्य
1	2	3	4
रुपये			
1	बस या इसी प्रकार के अन्य वाहन	100/- प्रतिवाहन	
2	मैजिक, जीप या इसी प्रकार के अन्य वाहन	60/- प्रतिवाहन	
3	विक्रम बड़ा	50/- प्रतिवाहन	
4	विक्रम छोटा	40/- प्रतिवाहन	
5	CNG वाहन बड़ा	50/- प्रतिवाहन	
6	CNG वाहन बड़ा	40/- प्रतिवाहन	
7	ई-रिक्शा	20/- प्रतिवाहन	
8	अन्य वाहन जो उपर छूट गये हो	50/- प्रतिवाहन	

1— उक्त वाहनों से शुल्क वसूली की निर्धारित दर की धनराशि में समय-समय पर नगर पंचायत बोर्ड में प्रस्ताव पारित कर परिवर्तन किया जा सकता है।

2— वाहन स्वामियों द्वारा यदि निर्धारित दर से वसूली की धनराशि देने में अवरोध उत्पन्न किया जाता है तो ठेकेदारों की लिखित शिकायत पर नगर पंचायत को यह अधिकार होगा कि सम्बन्धित वाहन स्वामियों के विरुद्ध जो भी उचित हो कार्यवाही संपादित कराये।

3— ठेका/नीलामी के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन, प्रशासन अथवा नगर पंचायत जहाँगीरगंज अम्बेडकरनगर स्तर से निर्गत आदेशों का अनुपालन करने हेतु ठेकेदार बाध्य होगा।

4— परिस्थिति के अनुसार अधिशाषी अधिकारी/अध्यक्ष नगर पंचायत जहाँगीरगंज अम्बेडकरनगर उक्त बिन्दुओं को कठोर/शिथिल किये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक निर्णय ले सकते हैं, जो समस्त ठेकेदारों/नीलामी प्राप्तकर्ता को मान्य होगा।

दण्ड

म्युनिस्पल्टीज ऐक्ट, 1916 की धारा 299 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगर पंचायत जहाँगीरगंज अम्बेडकरनगर यह निर्देश देती है कि उपरोक्त किसी भी धारा के उलंघन करने पर अर्थदण्ड दिया जायेगा जो 1,000 रु0 तक हो सकता है और ऐसा उलंघन निरन्तर जारी रहे तो अतिरिक्त जुर्माना का दण्ड दिया जायेगा, जो पहला दोष सिद्ध होने के दिनांक से प्रत्येक ऐसे दिन के लिए जिसके बारे में यह सिद्ध हो जाये कि अपराधी अपराध करता रहा हो तो 25 रु0 प्रतिदिन तक हो सकता है।

सुनीता,
अध्यक्ष
नगर पंचायत जहाँगीरगंज,
अम्बेडकरनगर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम आलेख्या पाण्डेय पुत्री जितेन्द्र कुमार पाण्डेय है जो उसके शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्री के आधार कार्ड सं0— 4868 1334 3519 में उसका नाम समृद्धि पाण्डेय अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम आलेख्या पाण्डेय पुत्री जितेन्द्र कुमार पाण्डेय के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

जितेन्द्र कुमार पाण्डेय,
पता—10ए, शिव विहार कॉलोनी,
लखनऊ, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम प्रियांशू बाबू पुत्र कुशल सिंह है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0—6239 2506 1861 में उसका नाम कोमल बाबू अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम प्रियांशू बाबू पुत्र कुशल सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

कुशल सिंह, पुत्र दयाशंकर,
निवासी ग्राम लाला का पुरवा,
बलकरनपुर कौशाम्बी, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम वाना केवट पत्नी चन्द्रा केवट है जो मेरे निर्वाचन कार्ड, परिवार रजिस्टर, हेल्थ इन्सोरेन्स तथा उपजिलाधिकारी की जॉच आख्या में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0-2440 8585 8509 में मेरा नाम भाना पत्नी चन्दर अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम वाना केवट पत्नी चन्द्रा केवट नाम से जाना पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

वाना केवट, पत्नी चन्द्रा केवट,
ग्राम व पो0 खड़सरा, परगना अल्देमऊ,
तहसील जयसिंहपुर, जिला सुलतानपुर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम शिवम गुप्ता (SHIVAM GUPTA) पुत्र नित्यानन्द गुप्ता (NITYANAND GUPTA) है जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0-5037 3490 7691 में मेरा नाम चन्दन गुप्ता (CHANDAN GUPTA) अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम शिवम गुप्ता पुत्र नित्यानन्द गुप्ता के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

शिवम गुप्ता, पुत्र नित्यानन्द गुप्ता,
चौरहिया गोला आदर्श नगर, पंचायत वार्ड नं0-4,
फरेन्दा आनंदनगर, महाराजगंज उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का नाम प्रियांशु चौहान है, जैसा कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश उसके आधार कार्ड संख्या

7340 8629 2264 में उसका नाम प्रिन्शू चौहान अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम प्रियांशु चौहान पुत्र सतीश चौहान के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

सतीश चौहान,
नि0 शेरडीह चक फातमा, झूँसी,
प्रयागराज, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम वंश सरोज (VANSI SAROJ) पुत्र स्व0 महेश प्रसाद है जो कि उसके जन्म प्रमाण पत्र में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0-7347 0938 3117 में उसका नाम नीतीश कुमार अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम वंश सरोज (VANSI SAROJ) पुत्र स्व0 महेश प्रसाद के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

सरोज गौतम पत्नी स्व0 महेश प्रसाद,
पता-2/4/43 आवास विकास कालोनी,
एल0आई0सी0 ऑफिस के पीछे,
बाराबंकी, उ0 प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम रुद्रप्रताप सिंह पुत्र महिपाल सिंह है जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0-3903 9325 0389 में मेरा नाम सुयांश सिंह अंकित हो गया है जोकि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम

रुद्रप्रताप सिंह पुत्र महिपाल सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

रुद्र प्रताप सिंह,
8/128 म0जी0, योजना 3 आ0वि0का0,
झूँसी, प्रयागराज, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम सुशील दत्त (SUSHIL DATT) पुत्र स्व0 राम लाल है। जो कि मेरे पैन कार्ड, हाईस्कूल अंकपत्र व सर्विस रिकॉर्ड में अंकित है, त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0-9646 3753 0110 में मेरा नाम सुनील दत्त (SUNIL DUTT) अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम सुशील दत्त (SUSHIL DATT) पुत्र स्व0 राम लाल के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

सुशील दत्त पुत्र स्व0 राम लाल,
नि0- उस्तापुर महमूदाबाद परगना झूँसी,
तहसील फूलपुर जनपद-प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम राखी पुत्री दीपचन्द्र यादव है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0- 5690 9431 1977 में उसका नाम पूनम यादव अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम राखी पुत्री दीप चन्द्र यादव के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

दीप चन्द्र यादव पुत्र राम बहादुर यादव,
निवासी- ग्राम पूरे जनई पोस्ट जसमेड़ा,
जनपद प्रतापगढ़, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम प्रवेश कुमार पुत्र गजेन्द्र सिंह है जो मेरे शैक्षिक अभिलेख (हाईस्कूल मार्कशीट) में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0-7026 3498 9888 में मेरा नाम शिवपाल सिंह अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम प्रवेश कुमार पुत्र गजेन्द्र सिंह के नाम जाना से पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

प्रवेश कुमार पुत्र गजेन्द्र सिंह,
निवासी- ग्राम पटसार पोस्ट विसारी खेड़ा,
जिला-लखीमपुर खीरी।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम शिवम यादव पुत्र-राज नारायण यादव है। जो उसके शैक्षणिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0-2455 0149 1462 में उसका नाम यशस्वी प्रताप यादव अंकित हो गया है जो कि गलत नाम है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम शिवम यादव पुत्र राज नारायण यादव के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

राज नारायण यादव पुत्र श्री पड़ोसी यादव,
निवासी- ग्राम गुरुम्हां, पो- मर्यादपुर,
थाना रामपुर, तहसील मधुबन जनपद-मऊ।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है मेरे पुत्र का सही नाम विराट सिंह पुत्र जंगबहादुर सिंह जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0-4927 3758 1131 में उसका नाम शंशाक सिंह हो गया है जोकि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम विराट सिंह पुत्र जंगबहादुर सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

अर्चना सिंह पत्नी जंगबहादुर सिंह,

नि0-ग्राम व पोस्ट-काछा भिटौरा,

तहसील-जयसिंहपुर, जिला-सुलतानपुर, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम आर्या पाण्डेय (ARYA PANDEY) पुत्री कुमुद कान्त पाण्डेय है, जो कि उसके शैक्षणिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री का आधार कार्ड सं0-9336 4977 4043 में उसका नाम सौम्या पाण्डेय अंकित हो गया है जो कि गलत नाम है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम आर्या पाण्डेय पुत्री कुमुद कान्त पाण्डेय के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

कुमुद कान्त पाण्डेय,

पुत्र स्व0 इन्द्र नारायण पाण्डेय,

नि0 27 जी/6/165 भुलई का पुरा,

तेलियरगंज प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम सनी देओल पुत्र जोगी प्रसाद है जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड

सं0-9776 9229 2494 में मेरा नाम शनि जायसवाल अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे सही नाम सनी देओल (SUNNY DEOL) पुत्र जोगी प्रसाद के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

सनी देओल,

पता-बल्दुक पुरवा, राजापुर नेतवा गाड़ा,

जिला गोण्डा, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम कु0 अमृता कैथरीन बक पुत्री मैक्सवेल बक है, जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड संख्या-8237 1348 9429 में मेरा नाम अमृता सी जॉन अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे सही नाम अमृता कैथरीन बक पुत्री मैक्सवेल बक पत्नी अमित जॉन के नाम से जाना व पहचाना जाये।

कु0 अमृता कैथरीन बक, पुत्री मैक्सवेल बक,

निवासिनी- 269, बढैया सेवइत,

प्रयागराज, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम ओम कुमार पुत्र राकेश कुमार है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0-9146 0261 3394 में उसका नाम यश अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम ओम कुमार पुत्र राकेश कुमार के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

राकेश कुमार, पुत्र सुखदेव प्रसाद,

पता-33/25, कर्नलगंज,

सदर प्रयागराज, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम मणिक गुप्ता पुत्र प्रेम किशोर है जो मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0-4512 6953 9868 में मेरा नाम तुषार गुप्ता अंकित हो गया है जोकि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम मणिक गुप्ता पुत्र प्रेम किशोर के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

मणिक गुप्ता पुत्र प्रेम किशोर,
पता-औरंगाबाद, खीरी उत्तर प्रदेश।

देवीपुर सरदार नगर चौरी चौरा गोरखपुर जिसका पंजीयन संख्या Registration No-00078/2019-2020 File No-GOR/0003293 दिनांक 12 अगस्त, 2021 है के साझेदार कुमारी जान्वही शाही पुत्री श्री अजय कुमार शाही 814 सी विष्णुपुरम् कालोनी बशारतपुर वी मार्ट के पास गोरखपुर ने दिनांक 15 नवम्बर, 2025 को अपनी साझेदारी सभी प्रकार के हिसाब किताब करके अपना अंश प्राप्त कर लिया है अब फर्म के ऊपर किसी प्रकार की देनदारी अवशेष नहीं है।

अजय कुमार शाही,
साझेदार,

मेसर्स विजय कुमार शाही एण्ड ब्रदर्स,
देवीपुर सरदार नगर, चौरी चौरा गोरखपुर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम ज्योतिष्का गुप्ता (Jyotishka Gupta) पुत्री रमेश चन्द गुप्ता जोकि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0-6888 6333 0079 में उसका नाम परी गुप्ता अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम ज्योतिष्का गुप्ता (Jyotishka Gupta) पुत्री रमेश चन्द गुप्ता के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

रमेश चन्द गुप्ता, पुत्र ओम प्रकाश गुप्ता,
नगर पंचायत पिपराईच वार्ड-7,
पोस्ट व थाना-पिपराईच,
जिला-गोरखपुर, उ0प्र0।

सूचना

जन सामान्य को सूचित किया जाता है कि पंजीकृत फर्म मेसर्स विजय कुमार शाही एण्ड ब्रदर्स

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स विनायक टैक कंसल्टैन्ट पता 906/एस-4, शालीमार गार्डन, एक्सटेंशन 1, साहिबाबाद, जिला गाजियाबाद, उ0प्र0 की पार्टनर्स शिप डीड दिनांक 26 दिसम्बर, 2016 को हुई थी, जिसके अनुसार फर्म में दो साझेदार 1. श्री प्रेम नाथ सिंह 2. श्री जगदीश प्रसाद शर्मा थे। संशोधित पार्टनरशिप डीड दिनांक 19 नवम्बर, 2025 के अनुसार फर्म में से साझेदार नं 2. श्री जगदीश प्रसाद शर्मा अपनी इच्छानुसार इस फर्म से अलग हो गये हैं, तथा अब इनका इस फर्म में कोई लेन-देन बाकी नहीं है, तथा अब इस फर्म में आपसी सहमती से नये साझेदार, श्रीमती कंचन सिंह जुड़ गयी है संशोधित पार्टनरशिप डीड दिनांक 19 नवम्बर, 2025 के अनुसार वर्तमान में अब इस फर्म में दो साझेदार 1. श्री प्रेम नाथ सिंह 2. श्रीमती कंचन सिंह रहेंगे।

प्रेम नाथ सिंह,
साझेदार,

मेसर्स विनायक टैक कंसल्टैन्ट,
पता- 906/एस-4, शालीमार गार्डन, एक्सटेंशन 1,
साहिबाबाद, जिला गाजियाबाद, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि साझेदारी फर्म मेसर्स एस के एगो इन्डस्ट्री आराजी नम्बर-507 ग्राम शुक्लापुर, तहसील बिल्हौर, कानपुर नगर जिला कानपुर, उ०प्र० नामक फर्म में दिनांक 01 मार्च 2023 को साझेदार अभिषेक त्रिपाठी पुत्र एस के त्रिपाठी निवासी-सेक्टर के 1286 आशियाना कालोनी, लखनऊ ने स्वेच्छा से फर्म को त्यागपत्र देकर अलग हो गया उक्त साझेदार का फर्म से कोई लेन देन शेष नहीं है। उक्त दिनांक 01 मार्च, 2023 को श्रीमती रानी त्रिपाठी पत्नी श्री शिव कान्त त्रिपाठी निवासिनी-37सी रामपुरम सोसाइटी श्यामनगर, कानपुर नगर कानपुर नें फर्म में सम्मिलित हो गयी। अब वर्तमान में फर्म में तीन साझेदार हरी कान्त त्रिपाठी, शिखर त्रिपाठी एवं श्रीमती रानी त्रिपाठी है।

हरी कान्त त्रिपाठी,

मेसर्स एस के एगो इन्डस्ट्री,

आराजी नं०-507 ग्राम शुक्लापुर,

तहसील-बिल्हौर कानपुर नगर, जिला कानपुर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है मेरे पुत्र का सही नाम निशान्त मिश्र पुत्र रत्नोभव मिश्रा है। जो कि मेरे पुत्र के शैक्षिक अभिलेख में अंकित है त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं०-6879 2724 7071 में नाम श्रीश मिश्रा अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम निशान्त मिश्र पुत्र रत्नोभव मिश्रा के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

रत्नोभव मिश्रा,

पुत्र मणिकान्त मिश्रा,

निवासी- ग्राम व पोस्ट भीटा,

तहसील बारा, जिला प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है मेरा सही नाम राघवेन्द्र दूबे सुत राजेश कुमार दूबे है जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है, त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं० 8523 5357 2180 में मेरा नाम अंशु दूबे अंकित हो गया है जोकि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम राघवेन्द्र दूबे सुत राजेश कुमार दूबे के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

राघवेन्द्र दूबे,

ग्राम सनईभाई, सेन्दुरी,

तहसील सदर सुलतानपुर, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है मेरे पुत्र का नाम यशस्वी राजपूत पुत्र सुरजीत कुमार सिंह है जो कि उनके शैक्षिक अभिलेख एवं आधार कार्ड में अंकित है। मैंने अपने पुत्र का स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण अपने ज्योतिषाचार्य के अनुसार उसका नाम यशस्वी राजपूत से बदल कर यशस्वी प्रताप सिंह रख लिया है। भविष्य में मेरे पुत्र को यशस्वी प्रताप सिंह पुत्र सुरजीत कुमार सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

सुरजीत कुमार सिंह,

ग्राम गौराबाद पोस्ट-गौराबाद थाना सरपतहां,

तहसील शाहगंज जनपद जौनपुर, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम पीयूष (Piyush) पुत्र जय प्रकाश है जो

कि उसके शैक्षिक अभिलेख व जन्म प्रमाण पत्र में अंकित है, त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0-7451 4077 1336 में उसका नाम (Payush) अंकित हो गया है जोकि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम पीयूष (Piyush) पुत्र जय प्रकाश के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

पूनम देवी पत्नी जय प्रकाश,
झिरिहिरी हंडिया प्रयागराज, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम अनूप कुमार त्रिपाठी पुत्र राजेश कुमार त्रिपाठी है जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है, त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0-9302 6101 4146 में मेरा नाम अनूप त्रिपाठी अंकित हो गया है जो कि गलत है भविष्य में मुझे मेरे सही नाम अनूप कुमार त्रिपाठी पुत्र राजेश कुमार त्रिपाठी से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

अनूप कुमार त्रिपाठी पुत्र राजेश कुमार त्रिपाठी,
वार्ड नं0-1 भौतर नगर पंचायत अझुवा,
पो0 अझुवा सिराथू, कौशाम्बी उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम आयशा शफीक (AYESHA SHAFEEQ) पुत्र मोहम्मद शफीक है जो कि उसके जन्म प्रमाण पत्र एवं शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0-6566 8526 6570 में उसका नाम अलैना शफीक (ALAINA SHAFEEQ) अंकित हो गया है जोकि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री

को उसके सही नाम आयशा शफीक (AYESHA SHAFEEQ) पुत्री मोहम्मद शफीक के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

अनशेरा वासिया,
के डब्ल्यू-189, जे0के0 नगर,
करैली जी0टी0बी0 नगर प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम नेहा राज पुत्री राजा राम है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0-6646 2813 0525 में उसका नाम पूजा अंकित है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम नेहा राज पुत्री राजा राम के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

राजा राम,
निवासी ग्राम मोहिउद्दीनपुर पो0 सीतापुर,
परगना व तहसील व जिला सीतापुर, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम जयश गुप्ता (Jayesh Gupta) पुत्र गोविन्द प्रकाश गुप्ता है जोकि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0-4190 8797 5438 में उसका नाम ईशान गुप्ता अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम जयश गुप्ता (Jayesh Gupta) पुत्र गोविन्द प्रकाश गुप्ता के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

गोविन्द प्रकाश गुप्ता, पुत्र स्व0 मुन्ना लाल गुप्ता,
निवासी— मोहल्ला रावगंज, कालपी,
पोस्ट कालपी, तहसील कालपी,
जिला जलौन, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम रुचिता शर्मा (Ruchita Sharma) पुत्री प्रवीण कुमार है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0—8206 3128 6230 में उसका नाम रिया शर्मा अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम रुचिता शर्मा (Ruchita Sharma) पुत्री प्रवीण कुमार के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

प्रवीण कुमार पुत्र राजकुमार शर्मा,
निवासी शाहजहांपुर, कानपुर देहात, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी माता जी का शुद्ध नाम शिल्पी श्रीवास्तव है जो उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड में अंकित है। त्रुटिवश मेरी माता जी का नाम सेकेंडरी स्कूल इगजाम 2023 रोल0 नं0 23201403 में वर्षा श्रीवास्तव अंकित हो गया है।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

शगुन श्रीवास्तव, पुत्री स्व0 अभिषेक श्रीवास्तव,
एल0 410 ए, केशवपुरम कानपुर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी माता जी का शुद्ध नाम शिल्पी श्रीवास्तव है जो उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड में अंकित है। त्रुटिवश मेरी माता जी का नाम सेकेंडरी स्कूल परीक्षा सी0बी0एस0ई0 बोर्ड रोल नं0—23193085/2020 व सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा रोल नं0 23666593/2022 में वर्षा श्रीवास्तव अंकित हो गया है।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

रचित श्रीवास्तव,
पुत्र स्व0 अभिषेक श्रीवास्तव,
एल 410 ए केशव पुरम कानपुर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम इशिता पुत्री श्री राम मिलन भारतीया है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0—8011 0659 2044 में उसका नाम अशिका अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम इशिता पुत्री श्री राम मिलन भारतीया के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

राम मिलन भारतीया,
निवासी— ग्राम कादीपुर,
पो0 सहसों जिला प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम प्रांजल यादव पुत्र मूलचन्द्र यादव है जो

उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0-4588 1059 8095 में उसका नाम शोलू अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम प्रांजल यादव पुत्र मूलचन्द्र यादव के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

मूलचन्द्र यादव पुत्र राम सुमेर यादव,
पता-ग्राम रामपुर उर्फ दौलतपुर सिकन्दरा,
प्रयागराज, उ0प्र0।

सूचना

मैं रेखा राय, पत्नी प्रभात कुमार राय, निवासी ग्राम कसारी, पोस्ट-खुरहट, थाना रानीपुर, जिला मऊ घोषणा करती हूँ कि मेरे पुत्र का सही नाम उसके शैक्षणिक दस्तावेजों और आधार कार्ड के अनुसार कान्हा राय पुत्र प्रभात कुमार राय है। हालांकि, उसकी स्वास्थ्य स्थिति के कारण, मैंने उसका नाम बदलकर अयांश राय, पुत्र प्रभात कुमार राय कर दिया है, और भविष्य में उसे इसी नाम से जाना जायेगा।

रेखा राय,
निवासी ग्राम कसारी, पोस्ट-खुरहट,
थाना रानीपुर, जिला-मऊ।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम हुबराजा पत्नी स्व0 खिलावन है जो मेरे खतौनी, निर्वाचन कार्ड व उपजिलाधिकारी द्वारा जांच रिपोर्ट में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0-3123 5806 4260 में मेरा नाम गयादेई अंकित हो गया है जो कि घरेलू नाम है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम हुबराजा के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

हुबराजा पत्नी स्व0 खिलावन,
निवासिनी- मंझियांवा, उस्मानपुर,
बाराबंकी, उ0प्र0।

NOTICE

My daughter's name has wrongly been recorded as RUDRAKSHI PAL in Aadhar Card whereas her correct name is ANANYA PAL. Hence forth she will be known & identified as ANANYA PAL D/o NIRAJ KUMAR PAL, 59 Maikupurwa, Cantt, Kanpur.

RANI DEVI,
W/o NIRAJ KUMAR PAL,
59, Maikupurwa, Cantt, Kanpur.

NOTICE

My son's name has wrongly been recorded as SHREYAN PAL in Aadhar Card whereas his correct name is ISHAN PAL. Hence forth he will be known & identified as ISHAN PAL S/o NIRAJ KUMAR PAL.

RANI DEVI,
W/o NIRAJ KUMAR PAL,
59, Maikupurwa, Cantt, Kanpur.

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि पंजीकृत फर्म मेसर्स राधे फूड्स, पता अर्जितपुर, हथिगहाँ, प्रयागराज में श्री अमित जायसवाल पुत्र श्री महावीर जायसवाल, श्री अभिषेक जायसवाल पुत्र श्री महादेव जायसवाल और श्री हरीश चन्द्र जायसवाल पुत्र श्री त्रिवेणी प्रसाद जायसवाल दिनांक 01 अप्रैल, 2021 को उक्त फर्म में बतौर भागीदार शामिल हुये हैं। वर्तमान में

फर्म में भागीदारों की कुल संख्या अब पाँच हो गई है।
अब फर्म में भागीदारों की भागीदारी का अनुपात क्रमशः
श्री महादेव जायसवाल का 20 प्रतिशत, श्री महावीर
जायसवाल का 20 प्रतिशत, श्री अमित जायसवाल का
20 प्रतिशत, श्री अभिषेक जायसवाल का 20 प्रतिशत तथा
श्री हरीश चन्द्र जायसवाल का 20 प्रतिशत होगा।

महादेव जायसवाल,
भागीदार,
मेसर्स राधे फूड्स,
पता— अर्जितपुर, हथिगहाँ, प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म
मे० सलीम कॉन्ट्रैक्टर, लाला का नगला, जिला हाथरस में
स्थित है उपरोक्त फर्म में श्री सलीम कुरैशी, श्री शहीद
निवासीगण लाला का नगला, जिला हाथरस हम दोनों
साझेदारों ने अपनी फर्म दिनांक—23 मई, 2018 को
संचालन की थी। दिनांक 15 दिसम्बर, 2025 से श्री यूसुफ
कुरैशी और श्री युनिश फर्म में साझेदार हो गये हैं एवं
दिनांक 15 दिसम्बर, 2025 से श्री शहीद फर्म से पृथक हो
गये हैं। अब फर्म को श्री यूसुफ कुरैशी, श्री युनिश, श्री
सलीम कुरैशी हम सभी साझेदार के रूप में संचालित
करेंगे।

सलीम कुरैशी,
साझेदार,
मे० सलीम कॉन्ट्रैक्टर, लाला का नगला,
जिला हाथरस।

सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स
अमर कंस्ट्रक्शन पता विलेज पूरे दशवंत सिंह खानापुर
चपरा तिलोई अमेठी से पंजीकृत है। यह कि 3 साझेदार
— श्रीमती रूपा सिंह, श्री आदित्य सिंह एवं श्री दुर्गेश
तिवारी साझेदार हैं। दिनांक 28 जून, 2025 को एक नयी
साझेदारी बनी जिसमें श्री दुर्गेश तिवारी आपसी सहमति से
फर्म की साझेदारी से निकल गये हैं। वर्तमान में
2 साझेदार क्रमशः श्रीमती रूपा सिंह एवं श्री आदित्य सिंह
साझेदार हैं।

श्रीमती रूपा सिंह,
साझेदार,
मेसर्स अमर कंस्ट्रक्शन,
पता— विलेज पूरे दशवंत सिंह,
खानापुर चपरा तिलोई अमेठी।

सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स
ओलम्पस इंडस्ट्रीज शाकुन्तलम, 266 ऐशबाग रोड
लखनऊ 226004 से पंजीकृत है। यह कि 3 साझेदार —
श्री अशोक कुमार गुप्ता, श्री मनु गुप्ता एवं श्रीमती शिवाली
गुप्ता साझेदार थे। दिनांक 22 जनवरी, 2018 को
एक नयी साझेदारी बनी जिसमें श्रीमती मानसी गुप्ता
साझेदार के रूप में शामिल हो गयी हैं वर्तमान में 4
साझेदार क्रमशः श्री अशोक कुमार गुप्ता, श्री मनु गुप्ता,
श्रीमती शिवाली गुप्ता एवं श्रीमती मानसी गुप्ता
साझेदार हैं।

अशोक कुमार गुप्ता,
साझेदार,
मेसर्स ओलम्पस इंडस्ट्रीज शाकुन्तलम,
266 ऐशबाग रोड लखनऊ।